खण्ड-178, अंक-3
बुधवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(5 सितम्बर, 1956 ई0)

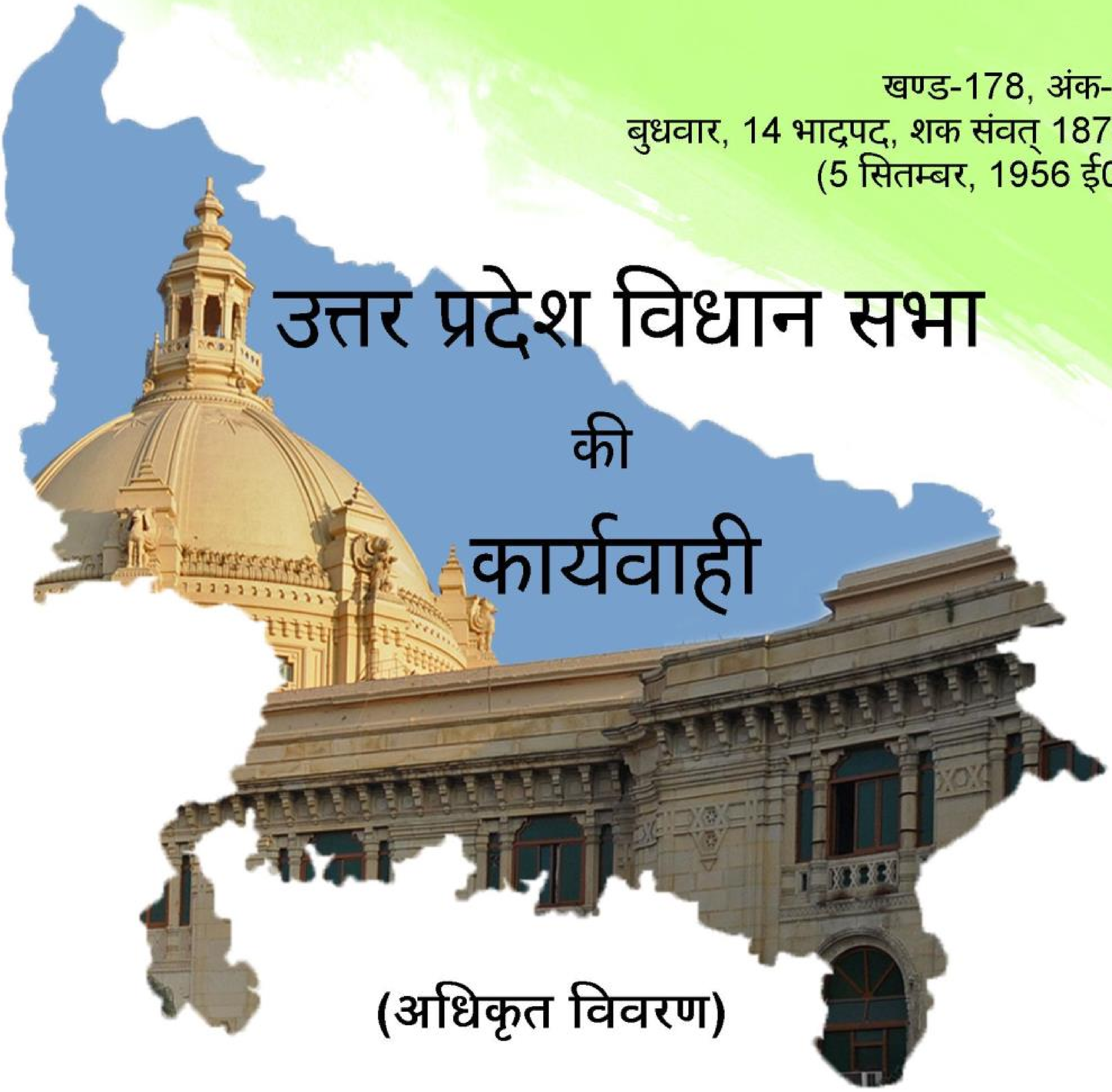

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 178 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२५९)

अजीज इमाम, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खाँ, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री

टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री

यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
रामकमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

गैस्ट्रोइन्टराइटिस का प्रकोप

**१—श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में इस महीने में गैस्ट्रो इन्टराइटिस का प्रकोप कई स्थानों पर बढ़ता चला जा रहा है ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो सूचनाएं गैस्ट्रो इन्टराइटिस के बारे में अगस्त के महीने में प्राप्त हुई हैं उनसे स्पष्ट है कि बीमारी का प्रकोप जुलाई की अपेक्षा अधिक नहीं है, अपितु कम है ।

**२—श्री तुलाराम रावत—क्या यह सही है कि इस गैस्ट्रो इन्टराइटिस बीमारी से कई जानें जा चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार उसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, गैस्ट्रोइन्टराइटिस बीमारी से मृत्युएं हुई हैं, परन्तु इनकी संख्या अगस्त के महीने में जुलाई की अपेक्षा कम है । गैस्ट्रो इन्टराइटिस की रोकथाम के लिये विभिन्न क्षेत्रों में रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया । कुओं में लाल दवा डाली गई । मक्खियों को मारने के लिये डी० डी० टी० गमेक्सीन (Gamaxene) का छिड़काव किया गया, रोगियों के घरों की सफाई की गई । गली सड़ी और खुली हुई खाने की वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण रखा गया ।

श्री तुलाराम रावत—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस अगस्त के महीने में प्रदेश के किन-किन जिलों में इसका प्रकोप बढ़ गया है ?

श्री बनारसीदास—आजमगढ़, बलिया, एटा, बरेली, बाराबंकी और देवरिया ।

श्री तुलाराम रावत—क्या सरकार बतायेगी कि जुलाई के महीने में किस-किस शहर में इसका प्रकोप अधिक रहा है और अगस्त के महीने में किस शहर में सबसे अधिक प्रकोप रहा ?

श्री बनारसीदास—जुलाई के महीने में १,७३४ सीजर्स हुए और ५७९ मृत्युएं हुईं तथा अगस्त के महीने में ७५८ सीजर्स हुए और २२५ मृत्यु हुई ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछते हैं कि किस शहर में सबसे अधिक प्रकोप रहा ।

श्री बनारसीदास—इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गैस्ट्रो इन्टराइटिस रोग की जानकारी प्राप्त करने के लिये यह रोग किन कारणों से होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाय, इसकी बाबत क्या सरकार ने यहां के डाक्टरों की कोई समिति बैठाई है, यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये कोई खास उपसमिति बैठाने की जरूरत नहीं है, प्रायः इसके वही कारण हैं जो कालरा के होते हैं । केवल बाद को जांच करने से पता चल सकता है कि वह रोग गैस्ट्रो इन्टराइटिस है या कालरा है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गुप्ता जी ने स्वयं इस बात को इस सदन में कहा था कि डाक्टरों की कमेटी इसके लिये बैठायी गयी है और उसकी रिपोर्ट भी आने वाली थी ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह सही है कि डायरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज ने कुछ विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की थी और उस कमेटी ने किन कारणों से यह बीमारी होती है उस विषय में विचार-विनिमय भी किया था । उसकी रिपोर्ट भी डायरेक्टर साहब के पास आ चुकी है । उस कमेटी में लखनऊ विश्वविद्यालय के पैथोलाजी विभाग के अध्यक्ष, आगरा मेडिकल कालेज के एक प्रोफेसर, तथा प्रोफेसर आफ मैडीसिन्स, लखनऊ विश्वविद्यालय, ये व्यक्ति थे । उन्होंने बताया कि करीब-करीब उन्हीं स्थितियों में यह बीमारी होती है जिन स्थितियों में कालरा की बीमारी होती है । अन्तर सिर्फ ऐसा बताया जाता है कि गैस्ट्रो इन्टराइटिस की बीमारी का परिचय और कालरा की बीमारी का परिचय फाइनल ऐक्सपेरीमेंट के बाद ही होता है कि एक व्यक्ति को कालरा हुआ है या यह बीमारी हुई । इस तरह की जानकारी हम लोगों को कराई गयी है ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या यह बात सत्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ डाक्टरों ने सरकार के पास यह सूचना भेजी है, अपनी राय प्रकट की है, कि गैस्ट्रो इन्टराइटिस कोई नया रोग नहीं है बल्कि कालरा ही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह विशेषज्ञों की कमेटी थी और विशेषज्ञ ही उसके विषय में ज्यादा जानकारी रख सकते हैं, परन्तु मैं तो एक ले मैन के नाते ऐसा ही समझता रहा हूं कि वह कोई नयी बीमारी नहीं है परन्तु डाक्टरों और विशेषज्ञों ने उसको नयी बतलाया है । और वे किसी अमुक कीड़े के सिलसिले में कहते हैं कि अगर अमुक कीड़ा किसी व्यक्ति के खून में मिला हो तो वह गैस्ट्रो इन्टराइटिस हो जाता है और अगर अमुक कीड़ा मिला हो तो वह कालरा हो जाता है । मैं स्वयं ले मैन होने के नाते उसके विषय में कुछ नहीं बतला सकता । हां, ऐसा अवश्य है कि जब यह बीमारी फैलने लगी तो एक ले मैन के नाते जैसा कि माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने कई दफा यह प्रश्न पूछा, यह मैंने आदेश अवश्य जारी किया कि एक ले मैन इस बीमारी और कालरा की बीमारी में कोई बहुत बड़ा अन्तर या डिस्टिंक्शन नहीं समझता है । तो इसके लिये इलाज और उसके रोकने का कार्य जो हम कर सकते हैं उनके सिलसिले में हमको उचित कार्यवाही करनी चाहिये और इसीलिये उस कमेटी से मैंने सलाह ली तथा उस कमेटी ने जो सिफारिश की वह करीब-करीब उसी प्रकार के कार्यों के करने के लिये हैं, जो कि कालरा रोकने के लिये हम अपने प्रदेश में करते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष इस प्रदेश में गैस्ट्रो इन्टराइटिस की बीमारी पहले किस स्थान से शुरू हुई और कब शुरू हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बीमारी के विषय में अप्रैल के महीने में कुछ स्थानों से सूचना आयी और बाद में जब हमने यह आदेश जारी किया क्योंकि पहले गैस्ट्रोइन्टराइटिस की बीमारी के सिलसिले में चूंकि वह नोटीफाइएबिल डिजीज नहीं थी, हमारे पास कोई इत्तिला नहीं आती थी। हमारे पास इत्तिला केवल उन बीमारियों के सिलसिले में आती है जो कि नोटिफाइएबिल हैं। अब चूंकि हमने इसको नोटिफाइएबिल डिजीज कर दिया है, तो अब इत्तिला हमारे पास आने लगी है। परन्तु मत्युओं की जो संख्या थी उसके बारे में जब अधिक समाचार हमारे पास आने लगे, तब हमने इस बात की घोषणा की जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इसको नोटिफाइएबिल करार दिया जाय जिससे सरकार के पास पूरी इत्तिला इस बीमारी के कारण जो मत्युएं होती हैं वह बराबर आती रहें। तो हमारे पास देवरिया से और आजमगढ़ इत्यादि से इत्तिला आती रही। अब मैं इसका समय सही तौर से नहीं बतला सकता कि पहली इत्तिला किस स्थान से हमारे पास आयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जुलाई के महीने में जिन जिलों में बीमारी थी उसके अलावा और जिलों में भी यह बीमारी अगस्त के महीने में फैली ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बहरहाल, जुलाई के महीने में जितनी बीमारी फैली थी उससे अधिक इत्तिला हमारे पास आयी और उसमें कुछ अन्य स्थानों के नाम भी आये। तो मैं समझता हूं कि कुछ और क्षेत्रों में भी वह बीमारी रही और फैली।

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में महिला अस्पताल तथा पुरुष अस्पताल के भवन निर्माण में विलम्ब

****३—**श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज नगर में महिला अस्पताल तथा पुरुष अस्पताल भवन बनाने की योजना को जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, कार्य रूप में परिणत करने में देरी किन कारणों से लग रही है ?

श्री बनारसीदास—चीफ इंजीनियर भवन का प्लान बना रहे हैं। प्लान तथा अनुमानिक व्यय प्राप्त होने पर अगले साल यदि धन उपलब्ध हुआ तो योजना कार्यान्वित हो सकेगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस भवन का अभी निरीक्षण किया था जिसमें अस्पताल है और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि वह इमारत बहुत खराब हालत में है और उसमें किसी समय खतरा पैदा हो सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी मेरे पास तो ऐसी इत्तला नहीं आई है लेकिन माननीय सदस्य को यदि ऐसी इत्तला है तो वह सही ही होगी और शायद आगे हमारे पास भी वह सूचना आ जायेगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मेरे द्वारा सूचना प्राप्त होने पर मंत्री जी वहां के लिए अच्छी इमारत का बन्दोबस्त करेंगे जिस से वहां के लोग खतरे से बच सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि वह ऐसा मकान है तो विभाग जरूर कोशिश करेगा कि कोई दूसरा स्थान किराये आदि पर लिया जाय जहां अस्पताल रखा जाय।

फाजिलनगर, जिला देवरिया के अस्पताल में डाक्टर न होना

****४—**श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को मालूम है कि कप्तानगंज और फाजिलनगर (देवरिया) अस्पताल पर करीब चार महीने से कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री बनारसीदास---कप्तानगंज अस्पताल में डाक्टर है किन्तु फाजिलनगर अस्पताल में ९-५-५६ से डाक्टर नहीं है ।

श्री राजवंशी---वह डाक्टर जो कुशीनगर भेजे गये हैं उनका मुस्तकिल तबादला हुआ है या वह टेम्पोरेरी भेजे गये हैं ?

श्री बनारसीदास---उनको मुस्तकिल नहीं भेजा गया है, कुशीनगर पर एक मुस्तकिल डाक्टर की नियुक्ति हो चुकी है, जैसे ही वह डाक्टर अपनी जगह पर पहुंच जायगा वह यहां वापस आ जायेंगे ।

श्री राजवंशी---क्या आज कल वहां पर मलेरिया के प्रकोप और मरीजों की दिक्कत को देखते हुए जल्द से जल्द डाक्टर भेजने की कृपा की जायेगी ?

श्री बनारसीदास---जी हां, वहां के सिविल सर्जन को आदेश दे दिया गया है कि वहां के लोगों को दिक्कत न होने पाये और वह जिले में ही कोई स्थायी व्यवस्था कर दें जब तक कि कुशीनगर से डाक्टर वहां नहीं पहुंचते हैं ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या यह सही है कि जब वहां डाक्टर नहीं रहते तो दवा कम्पाउन्डर करते हैं और नीम हकीम खतरये जान का मामला पैदा होता है ?

श्री बनारसीदास---जब डाक्टर नहीं होते तो कम्पाउन्डर दवा देते हैं, वह भी काफी अनुभवी होते हैं, यह सही है कि वह डाक्टर का स्थान नहीं ले सकते लेकिन फिर भी जब डाक्टर नहीं होते तो उनसे काम चलाया जाता है ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि किन वजूहात से सरकार ने यह उचित समझा कि फाजिलनगर के डाक्टर को कुशीनगर भेज दिया जाय ?

श्री बनारसीदास---कुशीनगर में ज्यादा आवश्यक कार्य था और वहां डाक्टरों की कमी थी । वहां नये डाक्टर नहीं भेजे जा सकते थे । चूंकि वहां बुद्ध जयन्ती हो रही थी इसलिए वह थे ।

श्री तुलाराम रावत---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि फाजिलनगर में जो मई से डाक्टर नहीं है तो क्या सूबे में डाक्टरों की कमी है इसलिए नहीं भेजे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---देहाती क्षेत्रों में जाने के लिए डाक्टरों की संख्या जरूर कम है ।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब डाक्टर नहीं रहते तो इन्जेक्शन आदि जो लगाये जाते हैं वह कम्पाउन्डरों के द्वारा लगाये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, डाक्टर की गैरहाजिरी में कम्पाउन्डर इंजेक्शन लगा देते हैं और बहुत से स्थानों में जहां डाक्टर रहते हैं वहां भी कम्पाउन्डर लगा देते हैं क्योंकि यह तो अनुभव का कार्य है और हमारे सूबे के अस्पतालों में ऐसे काफी अनुभवी कम्पाउन्डर हैं जो किसी भी नये डाक्टर के मुकाबले में अपने अनुभव से इंजेक्शन अच्छी तरह से लगा देते हैं

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या देहाती क्षेत्रों के लिए डाक्टरों की कमी को देखते हुए माननीय मंत्री जी कोई ऐसे नियम या कानून बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे यह सम्भव हो सके कि डाक्टर या वह लोग जो डाक्टरी पेशे में आना चाहते हैं उनको कम से कम २ साल या किसी अवधि तक अनिवार्यतः देहाती क्षेत्र में काम करना पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब ऐसा कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कि हमारे यहां नई नौकरी पर आता है पहले उसे देहाती क्षेत्र में, फिर उसको जेल के चार्ज में, फिर सब चार्ज में काम करना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों को जो देहाती क्षेत्रों में काम करते हैं और खास कर पहाड़ के देहाती क्षेत्रों में उन्हें बहुत समय तक वहां नहीं रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस असुविधा से गुजरे जिस असुविधा से देहाती क्षेत्र के डाक्टर को गुजरना पड़ता है।

मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद में चर्मशोधन केंद्र स्थापित करने की योजना

**५—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि फर्रुखाबाद में चर्म-शोधन योजना केन्द्र स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो अभी तक कितनी सफलता हुई ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां। मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद, में एक अग्रगामी चर्मशोधन योजना चलाई गई है। विकास अन्वेषणालय की ओर से इसके अन्तर्गत एक कारखाना खोला गया है जिसमें ४० खाल प्रतिदिन के हिसाब से जूतों के तले का चमड़ा तैयार किया जायगा। इस कारखाने में १९-४-५६ से कार्य आरम्भ हुआ है और तैयार किया हुआ चमड़ा इसी महीने में बाजार में बिकने के लिये जायगा। कुछ मास तक चमड़े की बिक्री होने पर बताया जा सकेगा कि इसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है।

**६—श्री रामदुलारे मिश्र—उपर्युक्त केन्द्र में कितना रुपया खर्च होगा और उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री फूलसिंह—इस योजना पर पिछले वर्ष १,३२,२६२ रु० खर्च हुआ और इस वर्ष ४,२१,२०० रु० की स्वीकृति है। इस योजना की एक प्रति संचालक, विकास अन्वेषणालय से प्राप्त की जा सकती है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चर्मशोधन के अन्तर्गत चलने वाले कारखाने में देहात के जूते बनाने वाले कारीगरों को भी कोई सहूलियत मिलती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री फूलसिंह—इस योजना के दो भाग हैं। एक तो चमड़े की रंगाई का काम और दूसरे गांव में जो लोग चमड़ा रंगते हैं उनको पूरे दाम मिल जायं। जो मिडिलमेन होता है उसकी वजह से गांव के हरिजनों को पूरा लाभ नहीं मिलता है। अगर यह योजना कामयाब हो गई तो फिर सहकारी समिति की बिना पर हरिजनों को लाभ मिलने लगेगा।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार बतलायेगी कि इस योजना से कितने आदमियों को लाभ मिल रहा है ?

श्री फूलसिंह—मैं फिलहाल यह नहीं बतला सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि इस योजना में जितना रुपया खर्च हो रहा है उसमें अधिकांश रुपया चमड़े की खरीदारी में खर्च होता है। गालिबन एक लाख रुपया ऐसा है जो मकानों और तनख्वाहों पर खर्च होने जा रहा है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह योजना और किन-किन जिलों में चल रही है ?

श्री अध्यक्ष—दूसरे जिलों की बाबत मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कितने लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं ?

श्री फूलसिंह—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस केंद्र से शोध किये चमड़े और उसकी बिक्री का क्या इन्तजाम विशेष तौर से माननीय मंत्री जी की ओर से या सरकार की ओर से हुआ है ?

श्री फूलसिंह—जो जूता बनाते हैं उनको बराहरास्त चमड़ा बेंचने की कोशिश की जाती है ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी विशेष सहूलियतें या सूरतें थीं जिनकी वजह से यह चर्मशोधन योजना का केंद्र फर्रुखाबाद निश्चित किया गया है ?

श्री फूलसिंह—चमड़े की रंगाई में कई दिक्कतें थीं । जो देहात का चमड़ा रंगा जाता है वह अच्छा नहीं रंगा जाता और जो चमड़े रंगने के नये-नये तरीके हैं वे कास्टली हैं और देर भी लगती है । यह नया तरीका निकाला है जिससे समय की बचत भी हो जायगी और चमड़ा भी अच्छा रंगा जायगा । और इसी तरह से चमड़े के कारबार करने वालों की एक दिक्कत यह थी कि उनका पूरा कारोबार मिडिलमैन के हाथ में रहता था जिससे उनको उनकी चीजों का पूरा दाम नहीं मिलता था । तो यह दोनों दिक्कतें रफा हो जायंगी ।

श्री तेजप्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि वे कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से फर्रुखाबाद में यह केंद्र खोला गया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां यह केंद्र खोला गया है वह स्थान प्रदेश के उन स्थानों में से था जहां अधिक संख्या में चमड़े इत्यादि की बिक्री होती है और खालें बाजार में आती हैं । इसलिये मोहम्मदाबाद के स्थान को तरजीह दी गई ।

तारांकित प्रश्न

अलीगढ़ जिले में सीमेंट की कमी की शिकायत

*१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को पता है कि अलीगढ़ जिले में सीमेंट की कमी के कारण विकास योजनायें काफी मात्रा में रोक दी गई हैं ? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति की क्या योजना है ?

श्री फूलसिंह—अलीगढ़ जिले में कोई ऐसी विकास योजना नहीं है जो केवल सीमेंट के अभाव के कारण ही रोक दी गई हो ।

यह सवाल नहीं उठता है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट—क्या यह सच है कि देहातों में नाली, खरंजा, पुल, पंचायतघर, स्कूल आदि बनाने का कोई कार्य अप्रैल के बाद से नहीं चल रहा है ? और यदि चल रहा है, तो फिर सीमेंट किस मात्रा में मिल रहा है ?

श्री फूलसिंह--अलीगढ़ जिले को ७७० टन का अलाटमेंट था और उसके बाद १३२ टन का अलाटमेंट और कर दिया गया। तो कुल ६०२ टन का अलाटमेंट अलीगढ़ जिले का हो गया है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ की विकास योजनाओं के कर्मचारी जो हैं उन्होंने सरकार को इस बात की खबर दी है कि सीमेंट बिना वहां का काम रुक गया है और वहां काम का हर्ज हो रहा है ?

श्री फूलसिंह--सीमेंट की कमी प्रांत के बहुत जिलों में है और उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

श्री गेंदासिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अलीगढ़ के विकास कर्मचारियों ने इस बात की शिकायत की है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है।

*२-३--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--[१० अक्तूबर, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

विकास कार्यों के प्रतिवेदन की मांग

*४--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार का इरादा प्रत्येक जिले के संबंध में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने का है जिसमें १६४६-४७ से १६५५-५६ के बीच किये गये विकास कार्यों तथा १६४६-४७ के पूर्व की स्थिति का विवरण हो ?

श्री फूलसिंह--जी नहीं।

श्री गोवर्धन तिवारी--पब्लिक की जानकारी के लिये क्या सरकार यह उचित समझेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो विकास के कार्य हुये हैं वह प्रकाशित कराये जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। लेकिन सुझाव अच्छा है। इनफारमेशन डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि आया वह इस कार्य का सम्पादन शीघ्रता से कर सकते हैं।

रामेश्वर, जिला अल्मोड़ा में कागज का कारखाना खोलने की मांग

*५--श्री गोवर्धन तिवारी--क्या सरकार जिला नियोजन समिति, अल्मोड़ा के द्वारा प्रस्तावित रामेश्वर नामक स्थान पर कागज बनाने का कारखाना खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चीड़ के पेड़ जिनसे कागज बनता है वहां बहुत ज्यादा तादाद में होते है ?

श्री बनारसीदास--यह सही है कि चीड़ के पेड़ अधिक होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा रंगानाथन के नेतृत्व में एक पैनल मुकर्रर किया गया है जो इस संबंध में आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि कहां पर पेपर मिल बनायी जा सकती है पल्प बनाने के लिये।

श्री गोवर्धन तिवारी--तो अल्मोड़े के बारे में भी वह आंकड़े इकट्ठे करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इस कमेटी का संबंध है और जहां तक मेरी इत्तला है, इस कमेटी ने सारे आंकड़े और सारी जानकारी एकत्र कर ली है और मुझे ऐसी सूचना मिली है कि उन्होंने पेपर फैक्ट्री के लिये जो सिफारिशें की हैं, उनके अनुसार अभी हमारे कुमायूं के क्षेत्रों में जो लकड़ी पैदा होती है उसे उन्होंने ऐसा बताया है कि वह काफी मात्रा में नहीं है और एक पेपर की फैक्ट्री लगाने के लिये वह अनुपयुक्त है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी जो बनी है यह कब बनी है और उसकी रिपोर्ट जो आयी है वह कहां-कहां के लिये आयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी रिपोर्ट तो जाब्ते से हमारे पास नहीं आयी है। यह कमेटी अपनी कई बैठकें कर चुकी है और बैठकों के बाद इसने एक टेंटेटिव रिपोर्ट भी अपनी तैयार कर ली है। कमेटी पिछले वर्ष बैठाई गई थी। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय सरकार को यह लिखा था कि हमारे यहां फर्स ऐंड स्प्रूस की लकड़ी जो कि सात-आठ हजार फुट की ऊंचाई पर होती है वह काफी मात्रा में है, हमारे फारेस्ट डिपार्टमेंट और केंद्र के एक विशेषज्ञ ने हमें बताया था कि यह लकड़ी कागज बनाने के कार्य में इस्तेमाल की जा सकती है और हमें यह भी बताया गया कि ५० टन का पेपर प्लान्ट लग सकता है। इस कारण हमने केंद्रीय सरकार को यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि हम पब्लिक सेक्टर में ५० टन की फैक्ट्री लगवाने का प्रबन्ध करें। उसी जमाने में केंद्रीय सरकार ने हमें यह सूचना दी कि हमें इस कार्य में अभी आगे बढ़ना नहीं चाहिये। वह एक कमेटी नियुक्त कर रही है और वह कमेटी सारी जानकारी प्राप्त करके फिर हमें बतायेगी कि हम क्या करें। अभी हमारे अधिकारियों ने, जैसा मैंने बतलाया, सूचना दी है कि उस कमेटी ने कहीं ट्रावनकोर कोचीन इत्यादि या थारवाड़ के जंगलों में उसके लिये कुछ सिफारिश की है। किन्तु हमारे यहां के जंगलों के बारे में उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की है या वह इस प्रकार की सिफारिश के ऊपर विचार करने के लिये आज की हालत में तैयार नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या उस कमेटी ने हिमालय के अलावा बुन्देलखंड या मिर्जापुर जिले के बारे में भी कुछ विचार किया था ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास अभी कोई जाब्ते की रिपोर्ट तो आयी नहीं है। मैंने तो बताया कि जो हमारे अधिकारी उस कमेटी में जाते रहे हैं उन्होंने जो इत्तिलात दी हैं उनकी बुनियाद पर मैंने भवन को यह इत्तिला दे दी। कमेटी की रिपोर्ट मिर्जापुर के बारे में या और कहीं के बारे में क्या है, यह रिपोर्ट तो अभी आयी नहीं है, इसलिये मैं उसकी कुछ जानकारी नहीं करा सकता।

इलाहाबाद जिले में औद्योगिक शिक्षालय

*६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला इलाहाबाद में विकास केन्द्र के अन्तर्गत कितने घरेलू उद्योग-धंधों की शिक्षा दी जा रही है और उनमें कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—इलाहाबाद जिले में फूलपुर सामुदायिक विकास क्षेत्र में औद्योगिक शिक्षालय योजना द्वारा निम्नलिखित शिक्षालय चलाये जा रहे हैं जिनमें कुल ४३ शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं :

(१) टाट पट्टी बनाना,
(२) बढ़ईगीरी,
(३) सिलाईगीरी,
(४) चर्मकला।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह ४५ शिक्षार्थी जो लिये गये हैं यह शिक्षालय किन-किन गांवों में खोले गये हैं ?

श्री बनारसीदास—वह तो उत्तर दिया जा चुका है कि सामुदायिक योजना में शिक्षालय खोले गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनको सिखाने के लिए इन शिक्षालयों में कितने शिक्षक रखे गये हैं ?

श्री बनारसी दास—यह पूरी संख्या तो मेरे पास शायद नहीं है लेकिन यह तो अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग इंस्पेक्टर्स मुकर्रर हैं, बढ़ईगीरी के लिए अलग, टाट-पट्टी के लिए अलग और सिलाई के लिए अलग।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या यह सही नहीं है कि जिला इलाहाबाद में दियासलाई बनाने की शिक्षा भी दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक केन्द्र दियासलाई बनाने के सिलसिले में इलाहाबाद में खुला हुआ है।

हाथरस का शासनिक कटलरी वर्क्स

*७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में शासनिक कटलरी वर्क्स में १९५३–५४ में तथा १९५४–५५ में कितना व्यय हुआ और कितना उत्पादन हुआ ?

*८—क्या यह सच है कि इस केन्द्र के लिये बिजली तथा निर्माण मशीनों की स्वीकृति मिले दो वर्ष से अधिक हो गये ? यदि हां, तो अब तक व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बनारसीदास—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायेगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस केन्द्र का उत्पादन सरकार स्वयं लेती है या जनता को भी खरीदने का प्रोत्साहन मिलता है ?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

उन्नाव जिले की भगवन्तनगर टाउन एरिया में पीतल के बर्तन बनाने के लिये सहायता की आवश्यकता

*९—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकर बतायेगी कि उन्नाव जिलान्तर्गत टाउन एरिया भगवन्तनगर में पीतल के बर्तन के उद्योग को सरकार की ओर से क्या कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बर्तन बनाने वालों की एक सहकारी समिति बनाई गई है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है। इस समिति से ऋण तथा अनुदान के लिये आवेदन-पत्र देने को कहा गया है। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् समिति को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*१०—श्री देवदत्त मिश्र—क्या उद्योग मंत्री पीतल के बर्तन बनाने वाले दस्तकारों को सेल्स टैक्स से उनकी रक्षा का कोई उपाय करने का विचार रखते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*११-१३--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४-१५--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६--श्री रामदुलारे मिश्र--[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१८--श्री रामदुलारे मिश्र--[हटा दिये गये।]

*१९-२०--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१-२२--श्री राजवंशी--[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग

*२३--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि राज्य के किन-किन स्थानों पर अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग हो रही है?

श्री बनारसीदास--अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग की व्यवस्था अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल द्वारा की जाती है। इस राज्य में इसकी ट्रेनिंग उक्त मंडल के अन्तर्गत खादी संस्थाओं द्वारा हो रही है। राज्य सरकार ने कोई अम्बर चर्खा शिक्षण केन्द्र नहीं चलाया है।

*२४--श्री उमाशंकर--क्या अम्बर चर्खे की उपयोगिता के सम्बन्ध की एक रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बनारसीदास--राज्य सरकार ने अम्बर चर्खे की उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है।

*२५--श्री उमाशंकर--क्या सरकार अम्बर चर्खे के लिये राज्य के व्यक्तियों तथा सहकारी संस्थाओं को कोई प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

श्री बनारसीदास--अम्बर चर्खा योजना अखिल भारतीय ग्रामोद्योग मंडल द्वारा चुनी गई संस्थाओं के द्वारा चलाई जायेगी। यदि केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकार को इस योजना के लिये पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करेगी तो उसे शासन द्वारा कार्यान्वित करने पर विचार किया जावेगा।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग मंडल को अपने कोष से धन देकर उपयुक्त क्षेत्रों में अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग देने के लिए प्रोत्साहन देगी?

श्री बनारसीदास--यह तो उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इस योजना को यहां पर गांधी आश्रम और दूसरी संस्थाओं द्वारा चलाता है, तो यहां की सरकार के द्वारा चलाने का इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पैदा होता।

गाजीपुर जिले में ग्राम सेवक पदों के लिये हरिजन तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार

*२६—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले में कितने ग्राम सेवक पद के लिये प्रार्थना-पत्र आये और इनमें से जिला नियोजन कमेटी ने कितनों की सिपारिश सरकार के पास भेजी और उसमें कितने हरिजन और कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गाजीपुर जिले में ग्राम सेवक पद के लिये ६३९ प्रार्थना-पत्र आये । जिला चुनाव समिति ने कुल ४४ अभ्यर्थियों की सिफारिश भेजी, जिसमें से ७ परिगणित जाति के व २ पिछड़ी जातियों के हैं ।

श्रमदान द्वारा निर्मित शामली–सरधना सड़क को पक्की करने की मांग

*२७—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मं बतायेंगे कि सड़क शामली–सरधना कब तक पक्की हो जायेगी ? क्या इस सड़क का भाग पक्का किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितना और किस लागत में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के पंचवर्षीय यो में नहीं है, अतः कब तक पक्की होगी, इसका प्रश्न नहीं उठता। इस सड़क के ६ मील का भाग पक्का हो गया है और कुल लागत ३,३३,००० रु० है।

*२८—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम फुगाना (मुजफ्फरनगर) इत्यादि ग्रामों ने इस सड़क को श्रमदान द्वारा कई मील तक ऊंचा किया है ? यदि हां, तो वह भाग जो श्रमदान द्वारा ऊंचा किया गया था उसको पक्का करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । जिला नियोजन समिति ने श्रमदान द्वारा ऊंचा किये गये भाग को पक्का करने के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता नहीं दी है ।

राज्य में टेक्नोलाजिकल शिक्षा

*२९—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या प्रदेश में जर्मन सहायता से कोई Technological Institute खोला जा रहा है ? वह कहां खुलेगा और उसमें कितना व्यय होगा ?

श्री बनारसीदास—इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३०—श्री देवकीनन्दन विभव—प्रदेश में Technological शिक्षा के लिये क्या और कहां-कहां व्यवस्था है और उनमें प्रति वर्ष किस योग्यता के कितने विद्यार्थी लिये जाते हैं ?

श्री बनारसी दास—प्रदेश में Technological शिक्षा हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में दी जाती है । उसमें बी० एस-सी० पास विद्यार्थी भर्ती किये जाते है और कुल ५५ विद्यार्थी प्रति वर्ष लिये जाते हैं ।

*३१—श्री देवकीनन्दन विभव—प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा के लिये कितना व्यय होता है, उसमें से कितना प्रदेशीय और कितना केंद्रीय सरकार वहन करती है ?

श्री बनारसी दास—प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा पर पिछले वर्ष (१९५५-५६) में ४६·८१ लाख रुपया व्यय हुआ। कुल व्यय प्रदेशीय सरकार वहन करती है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डिप्लोमा तक शिक्षा देने वाली संस्थाओं की उन्नति के संबंध में जो व्यय इमारतों तथा सामान और मशीनों पर होगा उसका एक-तिहाई केंद्रीय सरकार ने वहन करना स्वीकार किया है।

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि जर्मन सरकार की ओर से कोई भारतीय सरकार को टेक्निकल असिस्टेंस का प्रोग्राम, सहायता देने का प्रोग्राम, आफर किया गया है और क्या माननीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिये उस सहायता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्या जी हां, यह सत्य है। प्रधान मंत्री जी जब विदेश और जर्मनी में गये हुये थे तो वहां की सरकार ने उन्हें एक टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट भारत में लगाने के लिये वचन दिया है और कुछ विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने के लिये भी उन्होंने वचन दिया है। करीब सौ विद्यार्थी वेस्ट जर्मनी की सरकार मुफ्त में और उनको पैसेज मनी इत्यादि देकर पढ़ाना चाहती है और छः टेक्नीशियंस शिक्षा पा सकते हैं और फीस नहीं ली जायगी। और सौ और विद्यार्थियों के लिये वेस्ट जरमनी और दूसरी सरकारों ने वचन दिया है, ट्रेनिंग के लिये। ज्योंही यह खबर अखबारों में आई और जब प्रधान मंत्री लौट कर आये तब हमने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह प्रार्थना की कि जो टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट प्रधान मंत्री जी को हिन्दुस्तान के लिये वेस्ट जरमनी से मिला है वह उसे कानपुर में लगवा दें, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक हायर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर में लगने वाला है, जिसकी मंजूरी प्लानिंग कमीशन दे चुका है, यद्यपि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी सालों में लगने वाला है। तो हमने ऐसी प्रार्थना प्रधान मंत्री जी से की है कि उसको अगले वर्ष से या इस वर्ष से कानपुर में लगाने का प्रयास करें। अभी हमें इस संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला है। पता यह चला है कि अभी इसके ऊपर विचार होने वाला है और केंद्रीय सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी कि वह टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कहां और किस स्थान पर लगाया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जो हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट है, उसका स्कोप बढ़ाने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट का संबंध है, उसमें तीन विषय में शिक्षा दी जा रही है; उनको अपग्रेड करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके लिये एक नये प्रिंसिपल को नियुक्त किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार ने यद्यपि इसके सिलसिले में कोई वचन नहीं दिया है कि वह सहायता करेगी ताहम जब हायर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना यदि हो जायगी तो जिन विषयों में यहां शिक्षा प्रदान की जा रही है, हम आशा करते हैं कि उनके अपग्रेड करने में वह सहायता करेगी या दोनों संस्थाओं में ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेगी जिससे दोनों संस्थायें महती और बड़ी बनेंगी और हमें आशा है कि हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे जो इस टेक्नोलाजिकल युग में रहने वालों को होती है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छात्र टेक्नोलाजी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको सहायता के रूप में या छात्रवृत्ति के रूप में कुछ रुपया दिया जाता है, यदि हां, तो कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

*३२-३३—**श्री रामसुन्दरराम** (जिला बस्ती)—[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४–३६—श्री उमाशंकर—[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७–३९—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०–४१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

नजीबाबाद, जिला बिजनौर का डफरिन अस्पताल

*४२—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि नजीबाबाद तहसील, बिजनौर के सरकारी जनाना अस्पताल के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई जनता की ओर से शिकायत आई है? यदि हां, तो कब?

श्री बनारसीदास—(१) यह अस्पताल सरकारी नहीं है बल्कि डफरिन फंड का है।

(२) कोई शिकायत नहीं आई है।

*४३—श्रीमती चन्द्रवती—क्या सरकार यह बतायेगी कि तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर की जनता की मांग उक्त स्थान पर मैटर्निटी सेन्टर खोलने की आई थी?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

*४४—श्रीमती चन्द्रवती—यदि हां, तो उक्त मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बनारसीदास—प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डफरिन फंड से अस्पताल चलते हैं उनमें कंट्रोल किसका होता है और डायरेक्टर कौन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डफरिन फंड की जो संस्थायें हैं वह वहां की स्थानीय कमेटियों द्वारा चलाई जाती हैं जिनमें जिलाधीश भी कदाचित एक सदस्य होता है।

बस्ती जिले के मेंहदावल अस्पताल में रोगशय्या बढ़ाने के लिये सहायता

*४५—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा मेंहदावल (बस्ती) में जो अस्पताल है, उसमें रोगशय्या बढ़ाने के लिये सरकार ने कुछ सहायता प्रदान करने का निश्चय किया है? यदि किया है, तो वह धन कितना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में जिला बोर्ड बस्ती को १० शय्याओं के रोगी वार्ड के निर्माण के लिये ५,००० रु० दिया जा चुका है।

पापरीनगर, जिला आगरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का आदेश

*४६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह आगरा जिले में १९५६–५७ में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रही है?

श्री बनारसीदास—वर्तमान वित्तीय वर्ष में पापरीनगर, जिला आगरा में सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के आदेश ३०, जून १९५६ को जारी कर दिये गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अलावा और भी आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जायेंगे या नहीं ?

श्री बनारसीदास—तमाम प्रदेश में इस योजना में दस आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जायेंगे। आगरे के संबंध में जैसा कि उत्तर दिया गया है, केवल पापरीनगर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के आदेश दिये गये हैं; और कहीं नहीं खुलेंगे।

आगरे में यात्रियों को अधिक सुविधायें देने का सुझाव

*४७—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आगरा शहर में यात्रियों (tourists) की सुविधा और उनका आकर्षण बढ़ाकर इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री फूलसिंह—यह प्रश्न उत्तर प्रदेश में यात्रिकता को प्रोत्साहित करने की समस्या में समाविष्ट है। उक्त समस्या राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समस्या पर राज्य सरकार का निर्णय हो जाने की कब तक संभावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ योजनायें इस विषय की तैयार की जा रही हैं। एक टूरिस्ट कौंसिल की स्थापना हो गयी है और जो केंद्रीय सरकार का टूरिस्ट विभाग है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से संबंध रखता है उससे भी बातचीत होने के बाद वे योजनायें टूरिस्ट कौंसिल के सामने जायंगी और तब उनके ऊपर कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी टूरिस्ट्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये और ताजमहल की दूरी का खयाल करते हुये शहर से ताज तक बस सर्विस चलाने का इन्तजाम करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सुझाव पर भी विचार किया जायगा।

*४८—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४९—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—[१२ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

उद्योग कार्यों के विकास के लिये ऋण

*५०—**श्री शिवकुमार शर्मा** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार ने प्रान्त के किस-किस उद्योगपति को कितना-कितना कर्जा किन-किन उद्योगों को प्रान्त में विकसित करने के लिये १९५५ तथा १९५६ में दिया है ?

श्री बनारसीदास—इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान सत्र के ४ थे बुधवार को श्री द्वारका प्रसाद मौर्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जिन लोगों को यह कर्ज दिया गया है उस रुपये का उपयोग अधिकांश लोगों ने अब तक नहीं किया है ? यदि नहीं किया है, तो क्यों; और इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उपयोग का अगर यह मतलब है कि जिस चीज के लिये वह रुपया दिया गया है वह उपयोग पूरी मात्रा में नहीं हुआ है तो मैं इसका उत्तर "हां" में दे सकता हूं और यदि उपयोग का यह मतलब है कि कोई कार्य जिस सिलसिले के लिये वह लिया गया है वह प्रारम्भ नहीं हुआ है तो उसका उत्तर मैं "नहीं" में दे सकता हूं।

श्री गेंदासिंह---क्या उद्योग मंत्री जी मेहरबानी करके उन लोगों के नाम बतायेंगे जिनको एक लाख रुपये से ऊपर कर्ज दिया गया है और उन्होंने अब तक क्या काम शुरू किया है ?

श्री अध्यक्ष---अब यह चूंकि पुराना सवाल है और उसी जवाब को उन्होंने रेफर किया है इसलिये इतना ब्यौरा इसमें पूछा नहीं जा सकता।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि सोडा ऐश फैक्टरी, बनारस को जिसे १ करोड़ ४८ लाख रुपये शायद देने को तय हुआ है उसने अब तक कोई काम नहीं शुरू किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उनका काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। इतना काम तो प्रारम्भ हुआ है कि वे उस फैक्टरी का नक्शा इत्यादि जो बनारस में लगाने वाले हैं बना चुके हैं और जमीन के लिये जिलाधीश को अर्जी इत्यादि दे चुके हैं लेकिन अभी उस फैक्टरी को लाइसेंस नहीं मिला है। जहां तक उत्तर प्रदेश में लगाने का सम्बन्ध है, और इसका कारण यह है कि बिहार की गवर्नमेंट यह जोर दे रही है केन्द्रीय सरकार को कि यह उद्योग-धन्धा चूंकि पहले बिहार में लगने वाला था तो बिहार में क्यों नहीं लगता है और उत्तर प्रदेश में क्यों लगाया जा रहा है। इस विषय की बातचीत केन्द्रीय सरकार से चल रही है। हमारी सरकार का आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में लगे और बिहार सरकार का जोर यह है कि वह बिहार में लगे।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि ३१ मार्च के पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह रुपया फैक्टरी बनाने वालों को दिया जा चुका है ? अगर यह दिया जा चुका है, तो वह रुपया कहां है और उसके सूद की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो जो हमसे शर्तनामा हुआ है उसमें यह लिख दिया गया है कि जिस दिन से रुपया उन लोगों को या इन लोगों के लिये बैंकों को दिया गया है उस दिन से सूद उन पर चढ़ेगा। रुपया बैंक में जमा है और उन्हें उस रुपये का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है जब तक कि उन्हें उसका लाइसेंस न मिल जाय। और अगर लाइसेंस न मिले और उत्तर प्रदेश में यह उद्योग न लगे तो जितना रुपया बैंक के पास जमा है और जितना सूद उस रुपये का इस जमाने में होगा वह सब उस फैक्टरी के मालिक को देना पड़ेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन उद्योगपतियों को जो यह लोन्स दिये गये हैं उनका फैसला माननीय मंत्री जी खुद कर लेते हैं या किसी कमेटी की सलाह से उन लोगों को लोन दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ये सारे मामले कैबिनेट में जाते हैं। एक हाई पावर बोर्ड है जिसके सभापति माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। इसके सदस्य फायनेंस मिनिस्टर, उद्योग सचिव, वित्त सचिव, पी० डब्ल्यू० डी० के सचिव, और इर्रीगेशन के सचिव वे सब हैं क्योंकि उद्योग धंधों से सम्बन्ध सारे विभागों का है। किसी को इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, किसी को मकान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह सारे मसले पहले उस कमेटी के सामने जाते हैं और उसके बाद कैबिनेट में जाते हैं। कैबिनेट का निर्णय आखिरी होता है कि किसको लोन दिया जाय और किसको न दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार किसी उद्योगपति को लोन देने का फैसला करती है तो उसके बाद ही एकदम खजाने से रुपया उन उद्योगपतियों को दे दिया जाता है या वह रुपया उस खजाने में रखा रहता है और जिस प्रकार उद्योगपति अपनी मशीनें वगैरः लगाते जाते हैं उस हिसाब से धन दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने अभी माननीय गेंदा सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वह रुपया या तो लेने वालों को सीधे या उनके लिये बैंक को दिया जाता है और बैंक की सिक्योरिटी होती है और साधारणतः जब उसकी मशीनें इत्यादि आने लगती हैं अथवा जब उस सम्बन्ध में जो चीजें वे मारगेज करते हैं वे मारगेज हो जाती हैं उसके बाद उस रुपये का इस्तेमाल होना शुरू होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कुछ ऐसी शिकायतें भी आयी हैं कि जो रुपया उन उद्योगपतियों को सरकार की तरफ से दिया गया है उसे वह उस काम में न लगा कर अपने और कामों में लगाते हैं और उससे रुपया पैदा करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह बिलकुल गलत है क्योंकि अगर उन शर्तनामों को जो इन उद्योगपतियों ने प्रदेश की सरकार से किये हैं देखा जाय और उनका अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि कोई भी उद्योगपति ऐसा नहीं कर सकता है। बैंक भी जिनके पास वह रुपया दिया गया है उन्हें किसी दूसरे काम में उस धन को लगाने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि बैंक की भी जिम्मेदारी उस धन को हमें वापस करने की है।

श्री गेंदासिंह--इस धन को इन उद्योगपतियों को देने के लिये जो स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड फैक्टरियों और कारखानों को प्रमोट और आर्गनाइज करने के लिये सूबे में बनाया गया है उससे क्या सलाह ली गई और अगर ली गई तो उसने क्या सलाह दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--किसे धन दिया जाय और किसे न दिया जाय, यह चीज उस कमेटी के सामने नहीं गयी। कौन-कौन उद्योग कहां लग सकते हैं, उनके सम्बन्ध में उनसे अवश्य जून के महीने में बातचीत हुई थी क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर बहुत से उद्योगपति तो खुद ही आपस में झगड़ा करेंगे और फिर उसका निर्णय किसी बाहर के आदमी को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में बहुत से उद्योगपति हैं और वे विभिन्न प्रकार की अपनी योजनायें सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं कि कौनसी योजनायें आसानी से कार्यान्वित हो सकती हैं और कौन सी योजनायें विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने देख ली हैं और किस-किस को कहां-कहां पर सफलता के साथ चलाया जा सकता है, इसका निर्णय सरकार करती है। वे उद्योग किसी तरह की जानकारी की बुनियाद पर सरकार के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं और जो कोई अपने अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध होते हैं। उसके बाद तब धन देने की किसी बात पर विचार हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सन् १९५५-५६ में कर्जा देने के पहले सरकार ने प्लानिंग कमीशन से भी कोई सलाह प्राप्त की ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९५५-५६ में तो हमने केन्द्रीय सरकार से कोई सलाह नहीं ली क्योंकि केन्द्र से पिछले वर्ष हमने जो सलाह ली वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय की थी। सन् १९५५ में प्रदेशीय सरकार ने कोई ६ करोड़ रुपये का कर्जा बहुत से और कामों के लिये केन्द्रीय सरकार की सलाह से लिया था। हमारा वह जो ६ करोड़ का लोन था वह इत्तिफाक से करीब ७ करोड़ तक हो गया और जब ७ करोड़ तक हो गया तो केन्द्र के फाइनेंस

डिपार्टमेंट ने और रिजर्व बैंक ने पूछा कि क्या हमें और लोन की आवश्यकता है। और वह भी इसलिये कि अन्य प्रदेशों में हमारी नाई सैंकशण्ड लोन से अधिक रुपया हो गया था। तो चूंकि जून के महीने में १९५५ में हमारे सामने यह प्रश्न उठा था कि हमें उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने हैं तो हमारे कैबिनेट के आदेश पर हमारे फाइनेंस मंत्री ने केन्द्र के फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा कि हम और लोन ले लेंगे अगर आप हमको इजाजत देंगे। तो इस तरह से तीन करोड़ का लोन और इकट्ठा करने की हमको इजाजत मिल गई और वह हमने इसलिये लिया कि जो सलाहें और सुझाव हमें जून में उद्योग-पतियों द्वारा विभिन्न उद्योगों को लगाने के सिलसिले में मिले थे उनको हम पूरा करने के लिये यह इकट्ठा किया हुआ धन इस्तेमाल कर सकेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि जिन उद्योग-पतियों को रुपया दिया गया था उसमें यह शर्त थी कि समय के अन्दर वह उद्योगों को संचालित कर देंगे। जिन लोगों ने अपने उद्योगों को समय के अन्दर नहीं संचालित किया है उनके खिलाफ क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब लाइसेंस आदि उनको मिल जांय उसके बाद भी यदि वह समय के अन्दर उन उद्योगों को न लगायेंगे तो उसमें यह शर्त है कि वह रुपया हमको वापस कर देंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह उद्योगपति बैंकों से रुपया लेते हैं अपने उद्योग को चलाने के लिये तो उस समय क्या वे सरकार को किसी प्रकार की सूचना देते हैं कि इतना रुपया इस बैंक से उन्होंने इस उद्योग को चलाने के लिये ले लिया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये तो कैपिटल फौर्मेशन का एक कानून है। उसके तहत में केन्द्रीय सरकार से उन्हें कैपिटल फार्मेशन के सिलसिले में इजाजत लेनी पड़ती है। उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट इत्यादि से मैं समझता हूं कि जरूर उन्हें कुछ पूछना पड़ता है।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी कम से कम इतना बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि यह रकम १९५५ के साल में कितनी मंजूर की गई है और कितने व्यक्तियों को दी जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले प्रश्न में मैंने सूची दे दी थी। यह करीब ३ करोड़ ९ लाख की रकम है और यह सात फर्मों को १९५५-५६ में दी गई है।

*५१-५२—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया) [१० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

मिलों पर केन सेस का बकाया

*५३—**श्री बलवन्तसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रत्येक मिल पर बाकी केन सेस की सूची सदन की मेज पर रखेगी और बतायेगी कि उसकी वसूली का क्या प्रबन्ध किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(ख) उन मिलों को छोड़ कर जिन्होंने न्यायालय से (Stay orders) प्राप्त कर रखे हैं, बाकी सब मिलों से नए कानून यानी उत्तर प्रदेश शुगर केनसेस ऐक्ट, १९५६

के अनुसार सेस की वसूली के लिए सम्बन्धित जिलाधीशों तथा गन्ना आयुक्त को आदेश दिए जा चुके हैं। Stay orders को रद्द कराने के लिए भी एडवोकेट जनरल द्वारा यथा सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५२–२५३ पर)

विकास अन्वेषणालय पर व्यय

*५४—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन अनुसंधान विभाग पर प्रतिवर्ष कितना रुपया व्यय होता है तथा उसने अपने कार्यकाल में अब तक क्या–क्या प्रमुख अनुसंधान प्रदेश के नियोजन के संबंध में किये हैं?

श्री फूलसिंह—विकास अन्वेषणालय पर सन् १९५४–५५ में ३,२४,३०० रु० और सन् १९५५–५६ में ३,५९,००० रु० व्यय हुआ तथा चालू वर्ष के लिये ५,१०,००० रु० की स्वीकृति है। यह अन्वेषणालय मई सन् १९५४ से अब तक ५६ प्रकाशन विभिन्न विषयों पर निकाल चुका है जिनकी सूची सदस्य की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य ८ प्रकाशन तथा प्रत्येक जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी अन्वेषणालय की ओर से छप रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५४–२५५ पर)

*५५—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डेवलपमेंट कमिश्नरों के होते हुए इस विभाग को पृथक चलाने की क्या उपयोगिता है?

श्री फूलसिंह—नियोजन अनुसंधान का कोई प्रथक विभाग नहीं है। यह तो विकास आयुक्त के कार्यालय की ही एक शाखा है और विकास आयुक्त के ही आधीन है।

इस अन्वेषणालय के कार्य और संगठन पर एक पुस्तिका† सदस्य की मेज पर रख दी गई है जिसमें अन्वेषणालय की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कृषि और कोआपरेटिव संबंधी जो प्रकाशन इस अन्वेषणालय ने निकाला है क्या वह उन्होंने पढ़ा है और क्या वह कृषि और कोआपरेटिव विभाग द्वारा सुचारु रूप से नहीं निकल सकता था?

श्री फूलसिंह—अन्वेषणालय के दो काम हैं एक तो नयी स्कीम बना कर उनको ट्रायल देना और दूसरे अवैल्यूएशन करना। कोआपरेटिव की जो स्कीमें हैं वह मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन कमेटियों में चर्चा होती है और कोआपरेटिव के अधिकारी उस कमेटी में बैठते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रकाशन अन्वेषणालय द्वारा छपवाये गये हैं इनको प्रत्येक जिले से क्यों नहीं छपवाया गया?

श्री फूलसिंह—दो तरह के प्रकाशन थे एक तो स्कीमों के संबंध में जिनको जिलेवार छपवाने का प्रश्न उठता नहीं है। दूसरे पंचवर्षीय योजना के संबंध में हैं उनको जिलेवार छपवाने में बहुत ज्यादा खर्च पड़ता था। उस काम की देखभाल यहां पर ज्यादा होती है तो यहीं उनको छपवाया गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो प्लानिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट है इससे जो किताबें वगैरा निकलती हैं क्या उस तरह की किताबें एग्रीकलचरल इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट से नहीं निकलती हैं?

श्री फूलसिंह—जो रिसर्च की चीजें हैं उनका एक्सपेरिमेंट प्लानिंग करता है वही किताबें यहां से निकलती हैं और भी विभाग रिसर्च करते होंगे और किताबें छापते होंगे।

---

† छापी नहीं गई।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी इस विभाग द्वारा किये गये मुख्य मुख्य अन्वेषणों के संबंध में कोई प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह---अब यहां पर ६४ चीजों की चर्चा है। मुख्य २,३ चीजें हैं। मसलन एक तो जो हमारा काम होता है उसका तरीका कैसा हो। अवेलुएशन करते ह। जैसे ग्रामसेवक हैं हम यह देखते हैं कि उनके ऊपर कितना लोड है। मन्थली रिपोर्ट करीब २०० के यहां आती थीं तो हमने कोशिश की कि वे कितनी कम हो सकती ह। दूसरे यह था कि वहां पर कौन-कौन उद्योग चल सकते हैं। जैसे चमड़े का उद्योग है जिसका आज यहां पर चर्चा हुआ। कोआपरेटिव सोसाइटी का चर्चा हुआ। ऐसे ही पल्प इंडस्ट्री हैं और स्वायल कंजरवेशन वगैरा हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अन्वेषणों के आधार पर किन किन नई पद्धतियों तथा विचारों को राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्रों में जन्म दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---मैं इस सारी सूची को तो नहीं बतला सकता। यूथ आर्गनाइजेशन का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वह सफल हुआ। उसको हमने और प्रांत में भी फैलाया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ज़ो इस रिसर्च के इंचार्ज हैं वह सारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं या इस डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट अलग अलग रखे गये हैं जो कि अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं ?

श्री फूलसिंह---हर चीज़ के लिये अलग अलग एक्सपर्ट हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतलायेंगे कि वह बहुत सारे काम जो इस अन्वेषण केंद्र द्वारा हो रहे हैं वह इसके पहले अमेरिका में एक्सपैरिमेंट हो चुके हैं, जैसा कि यूथ क्लब जो इक्विविलेंट हैं फोर एच के ?

श्री फूलसिंह---कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे मुल्कों में होती हैं और वह फोर एच का आर्गनाइजेशन यहां फिट नहीं बैठता था उसको मुकामी हालात के मुताबिक चेंज करके एडजस्ट किया।

नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलने पर विचार

*५६---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि २ अक्तूबर, सन् १९५६ को प्रदेश में कितने नये एन० ई० एस० ब्लाक खोले जा रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---नये खुलने वाले ब्लाकों का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये केंद्रीय सरकार से स्वीकृति आनी है वहां से स्वीकृति आ जायगी तो फौरन तय कर दिया जायगा।

नैनीताल जिले के तराई भावर क्षेत्र में मलेरिया निरोधक कर्मचारियों के कार्य

*५७---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के तराई भावर में मलेरिया निरोधक स्टाफ के अन्तर्गत कितने कर्मचारी कार्य करते हैं और उनके क्या-क्या कर्त्तव्य हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५६ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला नैनीताल के तराई भावर क्षेत्र में मलेरिया नियंत्रण कार्य नेशनल मलेरिया कंट्रोल यूनिट नैनीताल, रुद्रपुर करती है। इस यूनिट में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है:—

१—एन्टी मलेरिया आफीसर	..	१
२—सीनियर मलेरिया इन्स्पेक्टर	..	४ (२ जगहें खाली हैं।)
३—मलेरिया इन्सपेक्टर	..	४
४—कल्र्क	..	३
५—मैकेनिक	..	१
६—सुपीरियर फील्ड वर्कर स्थायी	..	४
७—सुपीरियर फील्ड वर्कर अस्थायी	..	२० (केवल ५ माह, १ जून से ३१ अक्टूबर तक के लिये)।
८—फील्ड वर्कर स्थायी	..	१०
९—फील्ड वर्कर अस्थायी	..	११० (केवल ५ माह, १ जून से ३१ अक्टूबर तक के लिये)।
१०—चपरासी	..	४
११—चौकीदार	..	५
१२—मेहतर	..	१
१३—ड्राइवर	..	५ (२ जगहें खाली हैं।)
१४—क्लीनर	..	४ (१ जगह खाली है।)

उपरोक्त कर्मचारियों का विवरण क्रम से निम्नांकित है:—

१—एन्टी मलेरिया आफीसर

मलेरिया अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के मलेरिया निरोधक कार्य का पूर्ण अधिकारी है। उसके अनुशासन में सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर व मलेरिया इन्सपेक्टरों द्वारा गांवों में डी० डी० टी० छिड़काव का कार्य करवाया जाता है। मलेरिया अधिकारी प्रत्येक मलेरिया इन्सपेक्टर के निर्धारित क्षेत्र में बसे हुये गांवों का दौरा करता है और मलेरिया इन्सपेक्टर द्वारा करवाये गये डी० डी० टी० छिड़काव कार्य का निरीक्षण करता है। ग्राम वासियों से मिलकर उनके घरों में डी० डी० टी० छिड़काव किये गये स्थानों का निरीक्षण करता है और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने के लिये प्रयोग की गई दवा डी० डी० टी० के संतोषजनकफल का अनुमान करता है और इस संबंध में आवश्यकतानुसार मलेरिया निरोध के लिये ग्रामवासियों को मच्छरों को मारने वा मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिये सावधान रहने के लिये परामर्श देता है। मच्छरों की अधिकता वाले क्षेत्रों में मलेरिया निरोधक कार्य करने के बारे में मलेरिया इन्सपेक्टरों को आदेश देकर ग्राम वासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचाने का पूरा प्रबन्ध करता है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को पकड़वाकर यूनिट की मलेरिया प्रयोगशाला मे उनको पहचान करता है और ऐसे मच्छरों की उत्पति रोकने का व उनका अन्त करने का प्रयत्न करता है। वह अपने कार्यालय के समस्त पत्रों पर हस्ताक्षर करता है और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से मलेरिया निरोधक कार्य की प्रगति के संबंध में पत्र-व्यवहार करता है।

२—सीनियर मलेरिया इन्स्पेक्टर

सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर पर अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में डी० डी० टी० छिड़काव करवाने का पूरा उत्तरदायित्व होता है। उसके अनुशासन में मलेरिया इन्सपेक्टर, सुपीरियर फील्ड वर्कर तथा फील्ड वर्कर कार्य करते हैं। वह डी० डी० टी० छिड़काव का अग्रिम प्रोग्राम निश्चित करने में मलेरिया अधिकारी की सहायता करता है। वह प्रत्येक दिन के छिड़काव किये जाने वाले स्थानों को सूचित करने वाले मानचित्र बनाता है। डी०

डी० टी० छिड़काव के महीनों में छिड़काव करने वाली दवाओं तथा छिड़काव के यंत्रों, पम्प इत्यादि को एकत्रित करके उनका स्टोर रखता है और आवश्यकतानुसार मलेरिया इन्सपेक्टर को उनका वितरण करता है। फील्ड वर्कर की नियुक्ति होने पर उनको छिड़काव करने के लिये यंत्रों को प्रयोग करने की शिक्षा देता है। वह दौरा करके प्रति दिन छिड़काव किये गये क्षेत्रों के कार्य का निरीक्षण करता है और मलेरिया इन्सपेक्टर को छिड़काव संबंधित त्रुटियां को दूर करने का आदेश देता है।

३—मलेरिया इन्सपेक्टर

मलेरिया इन्सपेक्टर अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर के अधीन कार्य करता है इसके अतिरिक्त मलेरिया इन्सपेक्टर के कर्त्तव्य सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर के कर्त्तव्यों के ही समान हैं।

४—क्लर्क

मलेरिया कार्यालय में क्लर्कों के कर्त्तव्य अन्य राजकीय कार्यालयों के क्लर्कों के ही समान हैं। उनके कर्त्तव्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है।

५—मेकेनिक

डी० डी० टी० छिड़काव संबंधित समस्त यंत्रों की साधारण मरम्मत करना व उनकी सफाई करना मेकेनिक का कर्त्तव्य है।

६—सुपीरियर फील्ड वर्कर

यह कर्मचारी प्रत्येक ५ फील्ड वर्करों की टोली का नायक होता है और फील्ड वर्कर द्वारा किये गये छिड़काव कार्य की प्रत्येक दिन की रिपोर्ट मलेरिया इन्सपेक्टर को प्रस्तुत करता है छिड़काव के संबंध में वह फील्ड वर्करों को निर्देश देता है और उनको छिड़काव कार्य की शिक्षा भी देता है। छिड़काव कार्य के मौसम के समाप्त होने पर नवम्बर से मई के महीने तक यह कर्मचारी मच्छरों को एकत्रित करके प्रयोगशाला में उनकी जांच करने में मलेरिया अधिकारी की सहायता करता है।

७—फील्ड वर्कर

फील्ड वर्कर ग्रामवासियों के घरों में जाकर पम्पों की सहायता से डी० डी० टी० का छिड़काव करते हैं और पशुशाला इत्यादि में डी० डी० टी० छिड़काव करते हैं।

८—चपरासी

कार्यालय के साधारण विभिन्न कार्यों को वह अधिकारी के आदेशानुसार करता है तथा स्थानीय डाक के पत्रों का वितरण करता है।

९—चौकीदार

कार्यालय तथा भंडार में एकत्रित समस्त वस्तुओं दवाओं, यंत्रों इत्यादि की रक्षा करता है।

१०—मेहतर

कार्यालय तथा शौचालय की स्वच्छता रखना इस कर्मचारी का मुख्य कर्त्तव्य है।

११—ड्राइवर

राजकीय मोटरगाड़ियों द्वारा डी० डी० टी० छिड़काव करने के यंत्रों, दवाओं तथा छिड़काव करने वाले कर्मचारियों को नित्य प्रति मोटर द्वारा केंद्र से कार्य क्षेत्र में पहुंचाने तथा छिड़काव कार्य समाप्त होने पर उन्हें सामान सहित पुनः केंद्र पर गाड़ी द्वारा वापस लाना ड्राइवर का मुख्य कर्त्तव्य है।

१२—क्लीनर

राजकीय मोटरगाड़ियों की सफाई व धुलाई करना तथा मोटर में बैठकर ड्राइवर की सहायता के लिये सदा तत्पर रहना क्लीनर का कर्त्तव्य है।

नैनीताल जिले के भावरी इलाके में सांप के काटने से मौतें

*५८—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के भावरी इलाके में १ अप्रैल सन् १९५६ से ३१ जुलाई तक जहरीले कीड़ों तथा सर्पों के काटने से कितने व्यक्तियों की मौतें हुई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला नैनीताल के भावर इलाके में १ अप्रैल, १९५६ से ३१ जुलाई १९५६ तक सर्पों द्वारा काटे जाने के फलस्वरूप ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अन्य जहरीले कीड़ों के काटने से मृत्यु होने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है।

*५९—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन्हें जहरीले कीड़े तथा सांप काट डालते हैं उसके इलाज के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई विशेष चिकित्सा का भी प्रबन्ध है? यदि हां, तो क्या?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, भावर के इलाके के सभी एलोपैथिक चिकित्सकों में सांप काटे की विशेष दवा (Anti-snake venom serum) वर्षा आरम्भ होने के पहले से ही रख दी जाती है, जिससे सर्प द्वारा काटे गये रोगी का तत्कालीन इलाज होता है। जहरीले कीड़ों से काटे गये रोगियों के इलाज का भी प्रबन्ध है।

*६०-६२—श्री मुनीन्द्र पालसिंह (जिला पीलीभीत)—[१७ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न १४-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के मेडिसिन चेस्टों के लिये टेंडर्स

*६३—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या यह सही है कि इस वर्ष एन० ई० एस० ब्लाकों के मेडिसिन चेस्टों की सप्लाई हेतु विकास कमिश्नर के कार्यालय द्वारा टेंडर मांगे गये, पर टेंडर खुल जाने के बाद सभी टेंडर नामंजूर कर दिये गये, यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, टेंडर मांगे गये थे और उनमें से एक टेंडर स्वीकृत किया जा चुका है।

*६४—श्री हरिप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त टेंडरों में सबसे कम धनराशि का टेंडर कितने रुपये का था और अब मेडिसिन चेस्ट किस रेट पर खरीदे जा रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन टेंडरों में सबसे कम धनराशि का टेंडर १९ रुपया १२ आने का था और अब ४५ रुपया १२ आने ९ पाई का टेंडर मंजूर किया गया है और इसी रेट पर मेडिसिन चेस्ट खरीदे जायेंगे।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के बाजार गोशाई में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता

*६५—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के बाजार गोशाई में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना कब तक कार्यान्वित होगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला आजमगढ़ में बाजार गोशाई में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव को जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति दो बार अस्वीकृत कर चुकी है। असरकारी तौर पर ज्ञात हुआ है कि उक्त समिति ने अपनी राय में संभवतः परिवर्तन किया है। जिलाधीश से वास्तविक स्थिति लिखने को कहा गया है जिसका उत्तर आने पर इस प्रश्न पर आवश्यकतानुसार पुनः विचार किया जायगा।

राज्य के सीमांत में अवस्थित गर्ब्यांग ग्राम का भूमि में धंसना

*६६--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के सीमांत में अवस्थित गर्ब्यांग (Garbyang) नामक महत्वपूर्ण ग्राम कुछ अज्ञात भौगोलिक कारणों से भूमि में समाता जा रहा है? अगर हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, भूगर्भ तथा खनिज पदार्थ, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा गर्ब्यांग ग्राम के भूमि में समाने के कारणों का पता लगाने तथा वहां के निवासियों के स्थानान्तरण के हेतु नये सुरक्षित स्थानों का सुझाव देने के विषय में जांच कराई गई है। विस्तृत वृतान्त की प्राप्ति पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी। जिला अधिकारियों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर निष्काषित कर दिया गया है। लगभग ४४,९०० रुपये तकाबी के रूप में और १०,००० रुपये गरीबों की सहायता के लिये वितरित किये गये हैं।

रुद्र प्रयाग के निकट कथित गंधक की खान

*६७--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रूपकुंड के अनुसंधान के लिये जाने वाले दल ने गढ़वाल जिले के रुद्र प्रयाग के निकट एक ऐसे स्थल का पता लगाया है जहां बहुत बड़ी मात्रा में गंधक पाया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

*६८--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार यह बतायेगी कि जहां गंधक होने का अनुमान है उसकी ऊंचाई सतह से कितने हजार फीट है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता।

रामपुर इंजीनियरिंग वर्क्स की साइकिल बनाने के लिये कथित योजना

*६९--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या रामपुर इंजीनियरिंग वर्क्स ने साइकिल को काटेज-कम-फैक्ट्री आधार पर साइकिल बनाने की कोई योजना दी है? यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

इलाहाबाद का टी० बी० अस्पताल

*७०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो टी० बी० अस्पताल खोला गया है उसमें जो डाक्टर की नियुक्ति हुई है वह टी० बी० के आपरेशन करने की जानकारी रखते हैं या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

*७१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू अस्पताल में पूरे औजारों की जो मांग अस्पताल की ओर से की गयी है वहां उसका प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*७२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद टी० बी० अस्पताल में कितने बेड्स का प्रबंध किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—४५ शैय्याओं का ।

हाथरस का राजकीय उद्योग केंद्र

*७३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—प्रश्न संख्या ४६ दिनांक ७-१२-५५ के सम्बन्ध में क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस राजकीय उद्योग केन्द्र पर मशीनें मंगाने के लिये अनुदान सर्व प्रथम कब स्वीकृत हुआ था और उसमें से कितना व्यय हो चुका है ?

*७४—क्या सरकार उक्त केन्द्र पर कटलरी के अतिरिक्त अन्य प्रकारों के उद्योग खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र हो रही है । एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

राज्य की तेल की मिलें

*७५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अपने प्रान्त में तेल की कितनी मिलें हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२६१ ।

*७६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिलों में से कितनी आज कल पूरे समय चल रही हैं और कितनी गत तीन महीने से बन्द हो गई 'तथा कितनी उक्त समय से पूरे समय से पूरे वक्त नहीं चल रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश की कुल २६१ मिलों में से १६९ मिलें आजकल पूरे समय चल रही हैं, ७ मिलें गत तीन माह से बन्द हो गई हैं । ५९ मिलें आज कल पूरे समय कार्य नहीं कर रही हैं और २६ मिलें गत तीन माह से भी अधिक समय से बन्द पड़ी हुई हैं ।

*७७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार की सेवा में यू० पी० तेल मिल एसोसियेशन ने इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

वाराणसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर उर्दू पढ़ाने पर रोक लगाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं । एक तो श्री राजनारायण जी का है । उसमें उन्होंने वाराणसी म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर उर्दू पढ़ाने के बारे में रोक लगा दी गयी है उसका जिकर है । इस विषय में मेरे पास पहले उन्होंने कुछ प्रश्न भी भेजे थे जो कि वह कहते हैं, नामंजूर हुये हैं और मैंने उनसे कहा है कि मैं उन प्रश्नों को देख लूंगा । यह प्रश्न निश्चित है या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूं । इसलिये मैं इसे कल लूंगा ।

तराई भावर एवं पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भाग में पशुघातक मान रोग के रोकने में सरकार की विफलता पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा सवाल श्री नारायणदत्त जी तिवारी का है। प्रदेश के सम्पूर्ण तराई भावर व पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में भयंकर मानरोग, यानी रिन्डरपेस्ट की घातक महामारी व उसे सरकार के पशु-पालन विभाग द्वारा रोकने में पूर्ण असमर्थता और विफलता जिसके परिणामस्वरूप हजारों दुधारू जानवर मर गये और मर रहे हैं, से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार करने के हेतु यह सदन आज का अपना कार्य स्थगति करता है। मैं इसकी निश्चितता और अर्जेन्सी के बारे में पूछना चाहता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह प्रश्न अत्यन्त महत्व का, निश्चित और आवश्यकीय भी है। जैसा मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव में इंगित किया है, तराई भावर क्षेत्र में रिन्डरपेस्ट बीमारी की लहर आयी। यह जानवरों के लिये प्लेग से भी खतरनाक बीमारी होती है। तराई भावर क्षेत्र में पिछले दिनों में अकस्मात हजारों पशु इस रोग से मर गये और बैल और दुधारू गाय बहुत संख्या में मरीं। लोगों ने हजारों की संख्या में तकाबी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं और बैलों तथा ट्रैक्टरों के लिये भी सरकार से मांग की है। लालका मिल्क सप्लाई यूनियन में जहां पहले १० मन दूध मिलता था वहां अब १ मन नहीं मिल रहा है और दुधमुंहे बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रहा है। पशु-पालन विभाग की ओर से टीके लगाने का इन्तजाम हुआ तो दुर्भाग्य से जहां रोग नहीं था वहां भी टीका लगाने से रोग फैल गया। इस बात के पूरे सबत मौजूद हैं कि जिन जानवरों पर....

श्री अध्यक्ष—आपने लिखा है कि सरकार की असमर्थता और विफलता के परिणाम-स्वरूप जानवर मर गये?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके दौरे से आज ही आया हूं। मैं प्रश्न देना चाहता था लेकिन चूंकि ७ तारीख को सदन स्थगित हो रहा है, इसलिए मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नहीं दिया। इस बीमारी के दूसरे जिलों में फैलने का डर है। अगर इसकी रोकथाम नहीं की गयी तो पर्वतीय क्षेत्रों से मिले हुये मैदानी क्षेत्रों में भी फैलने का डर है। इसलिये यह महत्व का है और अर्जेंट भी है।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—अभी जब मैं सदन में आ रहा था तो मुझे इस प्रस्ताव की एक कापी मिली। जो वाक़यात इसमें दर्ज हैं उनके बारे में मेरे मित्र ने भी कभी कोई जिक्र मुझसे नहीं किया और न कोई तहरीर भेजी। आज पहले पहल यह बीमारी लेकर वे यहां आये हैं। ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि यह प्रश्न कल अध्यक्ष महोदय ले लें। इस बीच में मैं कुछ सूचना एकत्रित कर लूं ताकि पूरे प्रश्न के ऊपर मैं ठीक तरह से रोशनी डाल सकूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं माननीय मंत्री जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उनको रिन्डरपेस्ट नहीं हो सकता है, अगर मैं ले भी आया हूं।

श्री हुकुमसिंह—आपको होगा तो मुझे तकलीफ होगी।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो कल ले लिया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं बिजनेस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस वक्त तो यह इलेक्ट्रिसिटी बिल ही चल रहा है, उसके बाद एनोटोमी बिल हो, उसके बाद लिया जाय म्यूनिसिपल कोआपरेशन बिल। कल जैसा कि मैंने अर्ज किया था मैं गवर्नमेंट की तरफ से सेल्स टैक्स के बारे में एक बयान दूंगा, उस बयान के बाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन बिल पर बहस होती रहेगी और सात तारीख को मेरे बयान पर बहस होगी। चूंकि यह दूसरा जो सेल्स टैक्स बिल है उसका ताल्लुक मेरे उस बयान से है जो मैं दूंगा तो उस पर बहस ७ तारीख को हो जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कार्यक्रम एजेंडे में छपा हुआ है उसमें मैं यह देखता हूं कि अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर विचार होगा, उसके बाद शरीर रचना विधेयक पर विचार होगा, उसके बाद वित्त मंत्री जी का जो बिक्री-कर का विधेयक है वह पेश होगा तब उसके बाद कार्पोरेशन बिल आयेगा। कार्पोरेशन बिल, मैं ऐसा समझता हूं कि एक बहुत बड़ा विधेयक है तथा उसकी आम बहस में भी काफी समय लगेगा। इसलिए कार्पोरेशन बिल आखिर में रक्खा जाय और यह बिक्री-कर वाला जो विधेयक है उस पर पहले विचार कर लिया जाय। बदकिस्मती से हम लोग कल नहीं थे और इसकी सारे प्रदेश में बड़ी चर्चा है। सम्भव है वित्त मंत्री जी अपने बयान में कोई ऐसी बात कहें जिससे राहत हो सकती हो। इसलिये कार्पोरेशन बिल बाद को लिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कार्यक्रम पढ़ कर बताया है क्या उस पर कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार हो चुका है या स्वतः ही उन्होंने सरकार की ओर से सदन को इससे अवगत करा दिया है कि ऐसा ऐसा हो जाय क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं सदन का कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति द्वारा तय होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उस पर और माननीय गेंदा सिंह जी ने जो सुझाव रखा है उसको भी कार्यपरामर्शदात्री समिति में विचार के लिये रख दिया जाय और उसमें जो कार्यक्रम निर्धारित हो उसके अनुसार कार्य किया जाय।

श्री नारायणदत्ततिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की घोषणा से ऐसा मालूम पड़ता है कि आज दो बिल समाप्त हो जायेंगे जो असंभव प्रतिकल्पना मालूम होती है, संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल माननीय वित्त मंत्री जी सेल्स टैक्स के बारे में एक बयान देने वाले हैं। जब वे उस मसले पर बयान देंगे तो हम भी उस पर-विवाद चाहेंगे और यह भी चाहेंगे कि उस बयान के साथ ही साथ सेल्स टैक्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के सामने आये। सरकार ने जो सन् ५५ में एक इंक्वायरी कमेटी बैठायी थी उसकी रिपोर्ट के बारे में हम मालूम करना चाहते हैं। उसके सम्बन्ध में भी सदन को क्या कहना है, यह भी देखना होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन को कुछ थोड़ी गलतफहमी हो गयी है। मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बात यह है कि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, उसमें जरा खुलासा नहीं हो पाया उसकी वजह से कुछ गलतफहमी सी पैदा हो गयी है। उनका मतलब यह नहीं है कि जो विधेयक सामने मौजूद है इस वक्त और उसके बाद जो दूसरा विधेयक शरीर रचना वाला लिया जायगा, वह आज खतम ही हो जाना चाहिये क्योंकि वह कार्य परामर्शदात्री समिति के सामने समय निर्धारण के लिये नहीं गया था। एक के बाद एक के लेने का जो क्रम है इस क्रम को निश्चित करने का सरकार को अधिकार है। उसमें कार्य परामर्शदात्री समिति

[श्री अध्यक्ष]

सलाह नहीं देती। उन्होंने सिर्फ क्रम आपको बतलाया कि पहले क्रम में इलेक्ट्रिसिटी वाला लिया जायगा और उसके बाद क्रम में उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक लिया जायगा। तो इसमें कोई आपत्ति की बात तो है ही नहीं। स्पष्ट ही इसमें दिया हुआ है। अगर वह समाप्त हो जाता है तो वह चाहते हैं कि बजाय बिक्री-कर विधेयक लेने के बीच के समय में नगर निगम विधेयक जो है इसको ले लेंगे। लेकिन शर्त यही रहेगी, कि ७ तारीख को बिक्री-कर विधेयक जरूर आ जाय। अगर नगर निगम विधेयक का काम पूरा न हो तो उसको स्थगित कर दिया जायगा और उस सम्बन्ध में जो बाकी काम रहेगा वह दूसरे रोज आयेगा। तो वे कल ६ तारीख को अपना वक्तव्य देंगे बिक्री-कर के सम्बन्ध में और उसके ऊपर अध्ययन करने के लिये दिन भर आदरणीय सदन के सदस्यों को मौका देंगे और उसके बाद ७ तारीख को ही उसके ऊपर विवाद होगा जो वक्तव्य दे देंगे। साथ ही बिक्री-कर विधेयक को बाकायदा वे ७ तारीख को ही पेश कर देंगे। इस प्रकार वक्तव्य तथा विधेयक दोनों के ऊपर एक साथ ही सामान्य विवाद हो सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यह निश्चित है कि ७ तारीख को विवाद होगा। अगर कोई काम खतम नहीं होता है तो वह स्थगित रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि काम को खतम करना ही होगा लेकिन बिक्री-कर के महत्व को देखते हुये वे कल वक्तव्य देंगे और परसों पहले समय ही बिक्री-कर विधेयक विचारार्थ पेश करेंगे।

एक प्रश्न रह जाता है वह यह कि श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा था कि सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है उसको क्या वित्त मंत्री जी सदन के सामने पेश करेंगे? एक कमेटी बैठी थी सेल्स टैक्स की जांच के लिये उसके बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण और दे दें और कुछ कहना हो तो कहें।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका इरशाद सुन लिया। मैं उसकी बाबत अपने बयान में कल अर्ज करूंगा। जो मैं स्टेटमेंट दूंगा उसमें उसकी बाबत अर्ज करूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। एक तो शरीर रचना वाला विधेयक है जिसे आप कल ले लें और दूसरा सेल्स टैक्स का विधेयक भी लेंगे तो बेहतर है कि कार्पोरेशन बिल को आप इस बैठक के बाद लें क्योंकि कार्पोरेशन बिल पर जनरल डिस्कशन भी होगा और उस पर लगातार डिबेट होना ठीक सा रहेगा, पूरा हो सकेगा। क्योंकि यह एक बड़ा भारी बिल है जिसके लिये तीन चार दिन जनरल डिस्कशन में ही लग जायगा। तो डिबेट शुरू करके फिर उसको बन्द कर दिया जाय, यह जरा अच्छा सा नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कार्पोरेशन बिल पर जनरल डिस्कशन बाद में हो जब कि बैठक फिर बाद में हो तभी शुरू हो तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सुझाव लाने की जरूरत ही नहीं मालूम होती क्योंकि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि वह समाप्त ही नहीं हो सकेगा। तो वह प्रश्न उठेगा ही नहीं।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं कि जैसा माननीय वित्त मंत्री जी के जिन वक्तव्यों के बारे में माननीय नारायणदत्त जी ने प्रश्न उठाया है उसका उत्तर दे दें तो अच्छा होगा। एक तो वे यह चाहते हैं जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि जो सेल्स टैक्स कमेटी बैठी थी विचार करने के लिये, उसने बहुत ही उपयोगी रिपोर्ट शायद तैयार की है। इस बिक्री-कर विधेयक पर विचार करने से पहले अगर वक्तव्य माननीय वित्त मंत्री जी दे देंगे और उस पर बहस करने का अवसर देंगे। यह था, पहले कमेटी की रिपोर्ट आ जाती तो हम समझते और सदन बेहतर बहस करने में भाग ले सकता। इसके ऊपर आप माननीय वित्त मंत्री जी को राजी कर लें तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता कि वे उसका जवाब आज ही दे दें। वे कल जवाब देना चाहते हैं विचार करने के बाद। रिपोर्ट पेश करेंगे या न करेंगे या क्या बात हो, वे कल बतायेंगे तब आप उसके ऊपर कोई आपत्ति हो तो उठावें। वक्तव्य तो वह कल देंगे ही और कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी वह कल कहेंगे।

*उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

†**वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**—स्पीकर महोदय, यह जो बिजली के कंट्रोल का बिल कल मैंने हाउस के सामने रखा उस बिल की इब्तदा सन् १९४७ से हुयी। सन् ४७ में हमारे राज्य में बिजली की इतनी कमी थी और उस कमी के मुकाबिले बिजली की मांग, खासकर उस रकबे में जिस को कि गंगा ग्रिड कहते हैं, इतनी ज्यादा थी कि वह मांग किसी तरह से पूरी नहीं की जा सकती थी। आम तौर पर बिजली का सन् १० का जो कानून था उसकी रूह से बिजली हर उस शख्श को मिल जानी चाहिये जो मांगता है लेकिन जब ऐसी सूरत पैदा हो जाय कि बिजली कम हो और मांगने वाले ज्यादा हों तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में उसकी तामील नहीं हो सकती। इसलिये सरकार ने इसके कंट्रोल या नियंत्रण का एक कानून बनाया और उसको वक्तनफवक्तन मियाद वगैरा मुकर्रर करके उसको इस वक्त तक जारी रखा। और सरकार ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि बिजली की कमी होने की वजह से उसको कंट्रोल कर लिया बल्कि उसने साथ ही साथ इस बात की भी पूरी पूरी कोशिश की कि इस राज्य में बिजली थोड़े से थोड़े वक्त में जैसे भी मुमकिन हो तैयार हो जाय ताकि यहां की आवश्यकता पूरी होने लगे।

अब बिजली का पैदा करना एक ऐसी चीज है और बिलखसूस पानी की बिजली का बनाना इतना मुश्किल काम है और इतना वक्ततलब काम है कि उसको आसानी से नहीं किया जा सकता और विशेषकर हमारे इस देश में जहां बिजली के कारखानों को तैयार करने के लिये जिन चीजों की जरूरत होती है वह चीजें हमारे देश में नहीं बनती हैं और हमको वह चीजें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती हैं, दूसरे वह बाजार में इस तरह से नहीं बिकती कि जिस तरह से हम बाजारतगंज से जाकर खरीद सकते हैं बल्कि उनका पहले से आर्डर देकर दो-दो, डेढ़ डेढ़, ढाई साल और तीन-तीन साल का डिलीवरी पीरियड देकर उनको बनवाना पड़ता है और मंगवाना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों की वजह से यह मुमकिन नहीं हो सकता था कि बिलकुल फौरन इतनी बिजली पैदा हो जाती कि उस पर कोई नियंत्रण बाकी न रहता।

यहां पर कोशिश की गयी उसी वक्त से की पावर हाउसेज बनाये जायं और बिजली बढ़ाई जाय और माननीय मेम्बरान के इल्म में यह बात है कि सन् ४७ से लेकर इस वक्त तक कई पावर हाउसेज इस राज्य में बने। जिसका नाम गंगा ग्रिड है उसको अगर आप देखें तो उसमें मोहम्मदपुर का पावर स्टेशन सन् ४७ से सन् ५६ तक बना और इसी जमाने में रुड़की में पथरी का स्टेशन भी बना और इसी जमाने में तीसरा पावर स्टेशन खटीमा का बना और हर्दुआगंज में जो पावर स्टेशन है उसकी कैपेसिटी को ७ हजार किलोवाट इसी जमाने में किया गया। उस रकबे को छोड़कर जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था जिसको "गंगाग्रिड" कहते हैं बाकी और तरफ भी ध्यान गया है। कितनी जगहों पर पावर स्टेशंस बन रहे हैं और किसी जगह पर आर्जी पावर स्टेशंस बन रहे हैं। ताकि वहां बिजली पहुंचाई जा सके।

---

*३ सितम्बर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मैनपुरी में एक पावर स्टेशन बन रहा है और बहुत सी जगहों पर बन रहे हैं जिनका नाम इस वजह से कि ठीक से मैं नहीं ले सकता नहीं बतला रहा हूं उन जगहों पर पावर स्टेशंस बन रहे हैं और उनके जरिये से मुख्तलिफ जगहों पर बिजली जा रही है और मेरा ख्याल है कि सन् ४७ के मुकाबिले में हर एक आदमी जो इस राज्य के अन्दर रहता है इस बात को मानता है कि इस राज्य में सन् ४७ से सन् ५६ तक का जो जमाना है इस जमाने में सरकार की ओर से बिजली का काफी इन्तजाम किया गया और उसके साथ साथ आगे के लिये भी बिजली का इन्तजाम कर दिया है और किया जा रहा है। मसलन् आपकी पंचवर्षीय योजना इस वक्त जारी है। उसके अन्दर जो चीजें बिजली बनाने के लिये रक्खी गयी हैं, जो पावर स्टेशन बनेंगे और जो बिजली मिलेगी उसके अलावा जो किताबें मिलेंगी उनके जरिये मेम्बरान को यकीनन इस सबके मुताल्लिक मालूम हो गया होगा। इस सबके गुजारिश करने से मेरा मकसद सिर्फ इतना अर्ज करना है कि गवर्नमेंट सिर्फ इस बात की कोशिश नहीं करती रही है कि चूंकि बिजली कम है लिहाजा कंट्रोल कर दो बल्कि इस बात का भी प्रबन्ध किया कि बिजली की जो कमी है वह भी पूरी हो और आज जो दिक्कत है वह दिक्कत न रहे।

तो मैं अर्ज करूंगा कि सन् ४७ में जो दिक्कत थी वह दिक्कत आज नहीं है उसके मुकाबिले में आज बहुत ज्यादा आसानी पैदा हो गयी है। मसलन् एक बात तो यह है कि जहां बिजली लग रही है वहां कोई कंट्रोल न रहे। खटीमा पावर हाउस का जो रकबा है वहां कंट्रोल नहीं है लेकिन जो गंगा ग्रिड एरिया है वहां कंट्रोल है और वह कंट्रोल इस तरीके से है कि १० से १५ किलोवाट बिजली जिस किसी व्यक्ति को चाहिये उसे वह फ्रोलो मिले। उसके साथ कोई रुकावट नहीं है। चुनांचे हजारों आदमियों को जिनको मैं दिखा सकता हूं कि इस जमाने में जब से यह काम शुरू हुआ था बिजली दी गयी है इसी नियंत्रण के मातहत और वह बिजली की कमी उस मांग के मुकाबिले में है जो वहां है। इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुयी कि अभी कुछ अर्से तक यह कंट्रोल रक्खा जाय और उसके लिये मैंने मिसाल दी कि १५ के ऊपर जो लोड है वह कंट्रोल से मिलता है। जो शख्श १५ के ऊपर मांगता है उसको हम फौरन नहीं देते बल्कि देखते हैं कि १०० मांग रहा है और फिलहाल ५० या ६० से काम चल सकता है तो वह दे देते हैं या उसको भी कम देते हैं या किसी को थोड़े दिनों के लिये रोक देते हैं। इस जरूरत को मद्देनजर रख कर यह महसूस किया गया कि यह कानून थोड़े दिनों के लिये और नाफिज रक्खा जाय और इसकी मियाद दो साल के लिये और बढ़ा दी जाय।

एक दूसरी बात इस बिल में नई है और वह एक बिल्कुल दूसरी चीज है जिसका बिजली की सप्लाई से कोई खास ताल्लुक नहीं है। वह यह है कि हमारे इस राज्य में इस वक्त कितने ही लाइसेंसीज मुख्तलिफ टाउन्स में बिजली मुहइया करते हैं। जो कानून पहला है सन् १० का और इस तरफ भी मैं मेम्बरों का ध्यान दिलाऊंगा कि मैंने जब कभी पहले कुछ बिजली की निस्बत कहा है तो इस बात को भी मैंने चन्द मर्तबे दुहराया है इस सदन में माननीय मेम्बरान के सामने कि एक दिक्कत हमको हो रही है और वह यह कि लाइसेंसीज के खिलाफ हम जो कर सकते हैं, लाइसेंसीज तो होते हैं एक कंट्रैक्ट के जरिये से, लाइसेंस तो एक कान्ट्रैक्ट है, मुआहिदा है और उसके अन्दर शर्तें लिखी हुई हैं और वह शर्तें लिखी हुयी हैं बहुत पहले जमाने की और उसके अन्दर आज कानूनन हमको तब्दील करने का हक उसकी रजामन्दी के बगैर नहीं है। तो हमको यह बात साबित हुयी कि कुछ दिक्कतें ऐसी पैदा होती हैं जिनकी वजह से हम इन लाइसेंसीज के खिलाफ कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं और आज जबकि जनता का राज है बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, जैसे कंज्यूमर्स की बहुत सी तकलीफें हैं, उनकी तकलीफों को किस तरीके से दूर किया जाय, उनके मुताल्लिक कुछ करना होता है या जैसे ग्रिड एरिया वाले हैं उन लोगों के मुताल्लिक इस तरह से बहुत सी बातें पैदा हो सकती हैं जिनमें ऐसी जरूरत महसूस हो कि हम किसी लाइसेंसी से यह कहें कि इसमें तुम यह करो और वह वैसा करे। लेकिन इस वक्त ऐसा करना वाजिब नहीं है क्योंकि वह मजबूर नहीं हैं कि जैसा गवर्नमेंट

उनसे कहे वैसा वह करें। तो यह मुश्किल हमको होती रही थी और हमने चन्द मर्तबे इसके बावत सेंटर को लिखा भी क्योंकि बिजली, कांकरेंट सबजेक्ट है संविधान की रूह से यानी इसके मुताल्लिक कानून यह राज्य भी बना सकता है और इसके मुताल्लिक कानून सेंटर भी बना सकता है। चुनांचे जितनी मर्तबे हमने पहले उनको लिखा कि साहब हमको यह दिक्कत है और इस दिक्कत को किसी तरीके से रफा होना चाहिये। तो उसका जवाब उन्होंने यह दिया कि हम खुद एक कानून बिजली का बना रहे हैं और उसके बनाने के सिलसिले में हम इन बातों के ऊपर ध्यान दे देंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, मैं अपने इस प्वाइन्ट आफ आर्डर को पहले ही उठाना चाहता था लेकिन चूंकि मेरे पास किताब पहले नहीं थी और वह अभी अभी लाइब्रेरी से आयी है इसलिये मैं इसको अब उठाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि जो विधेयक माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं और उस पर जो वह भाषण दे रहे हैं इसमें दो ऐक्टों में संशोधन रखा गया है। एक तो यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९४७, टेम्पोरेरी पावर्स ऐंड कंट्रोल ऐक्ट १९४७ और दूसरा है इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१०। तो मेरे विचार से एक ही ऐक्ट के द्वारा यह दोनों विधेयकों को अमेंड नहीं किया जा सकता। श्रीमन्, आप जरा सन् १९४७ के ऐक्ट का प्रिऐम्बुल देखने का कष्ट करें।

"Act to provide for the continuance during limited period of powers to control the production, supply and distribution of and trade and commerce in electricity."

यह प्रान्तीय विधान सभा ने पास किया १३, अगस्त १९४६ को और इसमें केवल इतनी ही एक लिमिटेड अथारिटी है कि टु कन्ट्रोल दी प्रोडक्शन, सप्लाई ऐंड डिस्ट्रिब्यूशन। अब इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट को अमेंड करके हम इसके प्रिऐम्बुल के स्कोप के बाहर जा रहे हैं क्योंकि इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट का स्कोप इससे बहुत वाइडर है। तो एक ऐसे विधेयक को अमेंड करना जिसका प्रिऐम्बुल लिमिटेड है और उसके द्वारा हम एक ऐसे विधेयक को अमेंड करें जिसका स्कोप बहुत बड़ा है, यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० के प्रीऐम्बुल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"An act to amend the law relating to supply and use of the electrical energy."

तो यहां पर जो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट है उसको सीधे अमेंड करते और उसके अन्दर अगर टेम्पोरेरी कंट्रोल ऐक्ट को अमेंड करते तो यह बात समझ में आ सकती थी लेकिन उन्होंने उल्टा रास्ता अख्तियार किया। लिमिटेड स्कोप वाले ऐक्ट के अमेंडमेंट के अन्दर वाइडर स्कोप वाले ऐक्ट का अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि विधान सभा को उस ऐक्ट को अमेंड करने का अधिकार नहीं है। विधान सभा को अधिकार है। वह उसको अमेंड कर सकती है। लेकिन जैसा पहले गवर्नमेंट ने किया.....

श्री अध्यक्ष---यह मेरी समझ में नहीं आया आप जो प्रीऐम्बिल पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं पढ़े देता हूं।

"Act to provide for the continuance during a limited period of powers to control the production, supply and distribution of, and trade and commerce in electricity."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—और १९१० के प्रीऐम्बिल में क्या लिखा है उसको जरा पढ़ें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

"An Act to amend the law relating to the supply and use of electrical energy."

श्री अध्यक्ष—तो उसमें क्या अन्तर है। इसमें वाइडर कैसे हो गया, १९१० के ऐक्ट को आप वाइडर कैसे कहते हैं यह बतायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, यह ज्यादा वाइडर है १९१० का।

श्री अध्यक्ष—उसके शब्द प्रीऐम्बिल के जो आपने पढ़े "to amend the law relating to the supply and use of electrical energy.""सप्लाई और यूज" यह इसमें है। और सन् १९४७ के प्रीऐम्बिल में "to control the production, supply and distribution of" इसमें supply भी मौजूद है production भी मौजूद है। तो जिसमें केवल "सप्लाई और प्रोडक्शन" हो वह वाइडर है या जिसमें "कंट्रोल" भी हो वह वाइडर है। तो १९४७ का ऐक्ट जो है वह ज्यादा वाइडर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इसको आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० में केवल कंट्रोल करने की शक्ति नहीं दी गयी है बल्कि कंट्रोल के अलावा प्रोडक्शन को किस प्रकार बढ़ाया जाय और किस प्रकार से नियंत्रण किया जाय, केवल एक स्टेट में नहीं बल्कि सारे प्रदेशों में इसलिये अगर इसका स्कोप बढ़ा होता तो सरकार एक नया विधान न लाकर इसको अमेंड न करती। नये ऐक्ट की इसलिये आवश्यकता पड़ी क्योंकि यह कंट्रोल करने के लिये है। इसके द्वारा सरकार ने कुछ आर्डर्स बना दिये हैं टेम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट के द्वारा और कोई अधिकार इसके सिवा १९४७ के ऐक्ट से नहीं है। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार १९१० के ऐक्ट को अमेंड करती और उसके अन्तर्गत टेम्पोरेरी पावर्स को अमेंड करती तो ठीक होता। और इसका शीर्षक भी देखे "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) विधेयक, १९५६" इसका नाम भी गलत है। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक ऐक्ट बदला जा रहा है और दो ऐक्ट के बदलने की भावना इसके शीर्षक से नहीं आती।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं जो वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है वह निरर्थक है। जहां तक प्रस्तावना के बारे में बताया गया है १९१० के ऐक्ट की, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का अधिनियम है, और दूसरे सन् १९४७ का जो इस प्रदेश के लेजिस्लेचर ने अधिनियम बनाया उसके बारे में, तो मेरी समझ में यह आता है प्रस्तावना जो सन् १९४७ के अधिनियम में है वह ज्यादा विस्तृत है। उसमें "कन्ट्रोल" शब्द जो आया है और उत्पादन तथा सप्लाई के कार्य के अलावा है यानी वह कार्य और उसमें शामिल कर दिया गया है। बाकी सप्लाई के सम्बन्ध में और प्रोडक्शन के सम्बन्ध में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का अधिनियम है १९१० का वे बातें भी उसमें मौजूद ही हैं। उसके अलावा एक चीज और जोड़ी गयी है; कंट्रोल का भी प्रदेशीय सरकार अधिकार लेना चाहती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कंट्रोल के लिये यह बात कही गयी है। जब १९१० के अधिनियम में कंट्रोल करने का प्रश्न नहीं था इसलिये उसको प्रादेशिक अधिनियम में वह शब्द करने की आवश्यकता पड़ी, इसलिये प्रादेशिक अधिनियम विस्तृत ज्यादा हो गया। चूंकि उसका दायरा विस्तृत है, इसलिये यह आपत्ति उठाना गलत है कि संकुचित दायरे वाला जो अधिनियम है उसमें विस्तृत दायरे का गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो अधिनियम है उसके संशोधन को मिलाकर विधेयक पेश किया गया है। बल्कि मेरी समझ में १९४७ का प्रादेशिक अधिनियम ही अधिक विस्तृत है।

मैं समझता हूं कि एक विधेयक में दो अधिनियमों का संशोधन करना भी औचित्य रखता है, इस तरह की चीजें पहिले भी हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐक्ट को संशोधित करने के इरादे से हम कोई विधेयक उपस्थित भी नहीं कर सकते। हम तो अपने अधिनियम को ही संशोधित करेंगे, उसमें चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो अधिनियम हों वह भी शामिल कर लें। तो इस दृष्टि से भी मैं उसका औचित्य समझता हूं और जो आपत्ति उठायी गयी है उसको अस्वीकार करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो जनाब यह अर्ज करना चाहता था कि हमने चन्द मर्तबा गवर्नमेंट आफ इंडिया की तवज्जह इस तरफ दिलाई थी, मगर वह यह फरमाते रहे कि वह खुद बनायेंगे। अब जब यह वक्त आया इसके टाइम को एक्सटेंड कराने का इस सदन के जरिये से, तो फिर हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से उस बात को जाहिर किया और उसको याद दिलाया तो उन्होंने हमको इजाजत दे दी। चुनांचे यह बिल जो इस वक्त सदन के सामने है यह गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के यहां से सैंक्शन हो कर आया है, इसलिये कि इस सदन में पास किया जाय।

तो जो लाइसेंसी हैं उनके ऊपर कंट्रोल कुछ इसके जरिये से हो सकेगा। इस बिल को पढ़ा जाय तो इसमें लिखा है कि उनको गवर्नमेंट यों कहे कि तुम फलां काम करो तो वह करे। दूसरे से कह दे कि तुम कर दो, वह नहीं करते हैं और कुछ खर्चा होता हो तो वह उनसे वसूल कर लिया जाय, इस किस्म की इसमें दफायें हैं। चूंकि मेम्बरान से तकरीरों में इशारे सुने हैं जो कि लाइसेंसीज के मुताल्लिक किये जाते हैं तो गवर्नमेंट ने इन अख्तियारात को हासिल करने की कोशिश की है, तो हाउस इसको मंजूर फरमायेगा कि इसकी मियाद बढ़ा दी जाय और लाइसेंसीज के मुताल्लिक़ जो कंट्रोल का प्रावीजन किया गया है वह इस ऐक्ट के जरिये से हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब मैं यह कह रहा था कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं तब मेरा मतलब इसी प्रस्ताव से था जो इस समय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। उस समय मुझे भ्रम यह हो गया था कि शायद यह पेश कर दिया गया है, इसलिये मैंने यह कहा था कि मैं इसका विरोध करता हूं।

इस प्रस्ताव का विरोध मैं एक बुनियादी और मौलिक और सुदूरगामी सिद्धांत के आधार पर करता हूं, एक बेसिक और फंडामेंटल सिद्धांत के आधार पर। वह सिद्धांत कंट्रोलों के विरुद्ध है। सिद्धान्ततः मैं कंट्रोल की बात को गलत समझता हूं। आज से कोई दो सौ वर्ष पहले पश्चिम में, वेस्ट में जो पोलिटिकल फिलास्फर हुए उनमें से कुछ आचार्य ऐसे थे जिनका कहना यह था कि कोई सरकार नहीं होनी चाहिये। कोई कंट्रोल समाज के ऊपर और जनता के ऊपर नहीं होना चाहिये। सच्ची स्वाधीनता जनता को तभी मिल सकती है जब किसी तरह का कंट्रोल न हो। इस शास्त्र को, राजनीति शास्त्र के अंग को वह पोलिटिकल फिलासफी आफ अनारकिज्म कहते थे। अनारकिज्म के माने अनार्की नहीं हैं बल्कि राजनीति के दर्शन शास्त्र से मतलब है जो समाज का नियंत्रण किसी सरकार द्वारा किये जाने के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य वक्ता के पीछे ज्यादा जोर से बातचीत कर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--हम इस नियंत्रण के विरुद्ध थे और पश्चिम में उन आचार्यों और विद्वानों के नाम जो जगत प्रसिद्ध हैं, उनमें से मैं दो तीनों के नाम उदाहरण के तौर पर देता हूं। (१) प्राउधन (२) बाकुनीन और (३) प्रिंस क्रोपोरकिन। प्रिंस क्रोपोरकिन उन विद्वानों में से हैं जिनको महात्मा गांधी कांऊंट टाल्सटाय के साथ-साथ गुरु

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मानते थे। इन सबका यह कहना था कि समाज का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये और उनका दर्शन एक हद्द तक पश्चिम में जो प्रचलित था और आज भी प्रचलित है सोशलिज्म का, इसके खिलाफ भी था तो भी इस सिद्धांत के नाम पर मैं इसका विरोध करता हूं।

इस सिद्धांत को एक अंग्रेज उपन्यासकार ने जिसको नोबुल प्राइज मिला था सर हौलकेन, उसने एक वाक्य कहा है। ३०–३५ वर्ष पहले मैंने उसको पढ़ा था उसका अनुवाद किया था अमरपुरी के नाम से, तब से मुझे याद है कि:—

"All Governments are bad. The Government which governs the most is the worst and the only Government that is best is the Government which governs the least."

यानी सब सरकारें बुरी होती हैं और जो सरकार सब से ज्यादा शासन करती है वह सब से ज्यादा बुरी होती है। अगर सरकारों में कोई सरकार सब से कम बुरी या सब से ज्यादा अच्छी हो सकती है तो वह जो कम से कम शासन करे। यह तो २०० वर्ष पहले की विचारधारा थी। लेकिन आज संसार में और हमारे देश में जो सब से बड़ी और सर्वमान्य प्रचलित धारा है, गांधीइज्म और मार्कसज्मि की है। इन दोनों का एक ही ध्येय है, एक ही मत है। गांधीवाद और सर्वोदय का अंतिम ध्येय श्रेणीहीन शोषणहीन और शासनहीन समाज की स्थापना करना है। इसका प्रमुख अंग है श्रेणी, शोषण और शासनहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्सज्मि का अन्तिम सिद्धान्त भी क्लासलेस और कास्टलेस सोसायटी की स्थापना करना है। दोनों की एक ही विचारधारा है। उनका आदर्श वही है जिसके आधार पर मैं इस बिल के कंट्रोल के सिद्धान्त का विरोध कर रहा हूं।

यह जो विचाराधारा है उसको मैं आवश्यक मानता हूं और राजनीति का वेदान्त मानता हूं जैसे कि हिन्दू आध्यात्मवाद में बहुदेववाद तत्त्वमसि और मसिय सोहम तीनों एक के बाद एक विकसित हुये हैं। उनका चरम उत्कर्ष सोहम् अहम् ब्रह्मास्मि में हुआ है उसी तरह से राजनीति शास्त्र का चरम उत्कर्ष इसी में हुआ है कि शासनहीन, शोषणहीन और श्रेणीहीन समाज हो और कोई सरकार न रहे। इसी को मैं राजनीति का वेदान्त मानता हूं। इसीलिये मैं कंट्रोल के सिद्धांत का विरोध करता हूं। कंट्रोल का मैं सदैव विरोध करता हूं। आज इस बिल के सिलसिले में नया नहीं कर रहा हूं। मैंने हमेशा कंट्रोलों के सिद्धान्त का अपने देश में जब मैं कांग्रेस में था तब और इधर था तब भी विरोध किया। मुझे यह अच्छी तरह से याद है कि फरवरी, १९४८ में जब दिल्ली में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था और कांग्रेसी सरकारों को यह आदेश दिया गया था कि कंट्रोल उठा लिये जायं तब भी मैं उसका समर्थक था, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी मैंने उसका समर्थन किया था और उससे पहले चूंकि मुझे यह मालूम था कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का यह प्रस्ताव होने वाला है, जब मैं कैबिनेट मेम्बर की हैसियत से अपने सरकारी दौरे पर अलीगढ़ गया और वहां के व्यापारियों ने अपने मान-पत्र में मुझसे कंट्रोलों की शिकायत की थी तब मैंने उनसे यह कह दिया था कि कंट्रोलों से आप न घबरायें, ये कंट्रोल हटने वाले हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि कांग्रेस का ऐसा निर्णय होने वाला है और वह आदेश मान्य होगा प्रदेशीय सरकारों को और मैंने यह भी कह दिया था कि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि अगली मार्च तक, होली तक ये कंट्रोल खत्म हो जायेंगे और अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, यह सदन जानता है और जिसे राजनीतिक इतिहास का ज्ञान है वह जानता है कि वे कंट्रोल समाप्त कर दिये गये और महात्मा गांधी के बलिदान के बाद फिर से प्रारम्भ हुये। तो उस समय भी मैं कंट्रोल के सिद्धान्त का विरोध करता था और फिर ५०–५१ में किसी तारीख को, ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेजिस्लेटिव कौन्सिल में जिसका मैं उस समय मेम्बर था, एक इसी तरह का विधेयक आया था ईंटों और सीमेंट वगैरह के बारे में जो हमारा उत्तर प्रदेश का अधिनियम था उसकी मियाद बढ़ाने के लिये, तो उस समय भी मैंने यही सैद्धान्तिक आपत्ति की थी जो इस समय मैं यहां कर रहा हूं।

यह सैद्धान्तिक आपत्ति मैं कोई विरोध करने के लिये नहीं कर रहा हूं परन्तु यह तो मेरा आधारभूत सिद्धान्त पहले से रहा है और अन्तिम बात इस सिद्धान्त की बात के अलावा इस कंट्रोल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो शासन में रह कर के जो कंट्रोल लगाये जाते थे उनका समर्थन करते थे, अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी लेते थे, ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी की वजह से फिर भी वे एक बात कहा करते थे कि कंट्रोल और भ्रष्टाचार का चोली-दामन का साथ है। जहां कंट्रोल होंगे वहां भ्रष्टाचार अवश्य होगा। 'करप्शन ऐण्ड कंट्रोल गो टुगेदर' यह उनका कथन था और मैं यह समझता हूं कि अगर कंट्रोलों से जनता का विशेष परिस्थितियों में थोड़ा बहुत हित होता भी हो तब भी उनसे जो भ्रष्टाचार फैलता है और उसके कारण राष्ट्रीय चरित्र का जो ह्रास होता है उसको मैं अधिक हानि वाला समझता हूं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि अगर कुछ परिस्थितियों में कंट्रोल आवश्यक भी हों और इसको आवश्यक बुराई मान भी लिया जाय तब भी वे जितने अल्पकाल के लिये हों उतना ही अच्छा है। लेकिन इस विधेयक से तो यह मालूम पड़ता है कि १९४७ में यह विधेयक बना था जिसमें बिजली के उत्पादन, सम्भरण तथा वितरण और बिजली के वाणिज्य तथा व्यापार को नियंत्रित करने के अधिकारों को एक सीमित अवधि तक बनाये रखने की व्यवस्था की गयी थी और चूंकि वह अवधि अब ३० सितम्बर, १९५६ को समाप्त होने वाली है इसलिये यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि बड़े नगरों में तो सम्भरण की दशाओं में पर्याप्त सुधार हो गया है तथा वहां की समस्या तो हल हो गई। जब मांग सप्लाई से ज्यादा नहीं है तो फिर कंट्रोल की आवश्यकता जिस आधार पर समझी जाती है वह आधार भी नहीं रहता। लेकिन एक चीज आगे इसमें यह बढ़ा दी गयी है—

> "किन्तु अन्य कुछ क्षेत्रों में चालक शक्ति की मांग इतनी अधिक है कि अधिष्ठान उसका सम्भरण नहीं कर सकते। अतः यह आवश्यक है कि इस अधिनियम की अवधि दो वर्ष के लिये बढ़ा दी जाय।"

तो मुझे यह पर्याप्त कारण नहीं मालूम होता कि इसके पीछे कंट्रोल जैसी चीज को फिर से जारी रखा जाय और उसकी अवधि को पहले से और ज्यादा बढ़ाया जाय। इस विधेयक के जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा, दो मुख्य अंग हैं। एक अंग तो वह है जिसका मैंने अभी तक विरोध किया है कि कंट्रोलों की मियाद दो साल के लिये और बढ़ायी जा रही है और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो सत्ता, जो कंट्रोल, जो अधिकार हमारे हाथ में आ जाते हैं उनके प्रति हमें मोह हो जाता है फिर हम उनको छोड़ते नहीं हैं और इसलिये मैं इस इन्सानी प्रवृत्ति, मोह को अधिक देखता हूं जो उसकी जड़ में है। सदा से यह माना गया है कि सत्ता का मोह बड़ा प्रबल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि "प्रभुता पाय काह मद नाहीं।" तो प्रभुता के मद में जीवन के सब क्षेत्रों में, जन-जीवन के हर क्षेत्र में सरकार कंट्रोल को अपने हाथ में लेकर जिस तरह से एक टोटेलिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसी तरह से नियंत्रण में कर लेना चाहती है और कहीं भी जनता की स्वाधीनता के लिये कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहती। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं लेकिन इसका जो दूसरा अंश है जिसमें अन्त में कहा गया है:—

> "विगत कुछ समय से सरकार ऐसी स्थितियों का, जिसमें लाइसेंसदार अपने लाइसेंसों द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों का पूर्ण रूप से तथा कुशलतापूर्वक निर्वहन नहीं करते, सामना करने में कठिनता को अनुभव करती रही है। सरकार के पास कर्मचारीवर्ग के अकुशल होने तथा अनियमित ढंग से बिजली सम्भरण किये जाने की शिकायतें तथा एक न एक कारण से पावर हाउसों को बन्द कर दिये जाने की धमकी वाले नोटिस आते रहते हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ४ का संशोधन कर के प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक उपबन्धों का

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

समावेश कर दिया जाय। इससे सरकार लाइसेंसदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में समर्थ हो सकेगी जिससे राज्य की जनता को कुशलतापूर्वक बिजली का सम्भरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।"

इस अंश का उद्देश्य मैं उचित समझता हूं लेकिन जैसा कि वर्तमान सरकार के लगभग सभी विधेयकों में यह देखा जाता है कि उद्देश्य तो अच्छा होता है लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो प्रबन्ध किये जाते हैं वे इतने अपर्याप्त, इतने निकम्मे और इतने अपूर्ण होते हैं कि वे उद्देश्य को पूर्ण करने के बजाय विफल कर देते हैं और अगर विफल नहीं करते हैं तो जितना उद्देश्य पूरा भी होता है उससे उतना लाभ नहीं होता जितना उसकी विफलताओं के कारण जनता के नये नये कष्टों की उत्पत्ति हो जाती है। यह जो लाइसेंस होल्डरों की शिकायतें हैं उनके सम्बन्ध में होना तो यह चाहिये था कि सरकार इसको नेशनलाइज़ कर देती और इसका खात्मा कर देती और फिर वही समाजवाद वाली बात आ गई। लेकिन यह गवर्नमेंट तो कभी सोशल पैटर्न, कभी सोशलिस्ट पैटर्न और कभी सोशलिस्टक पैटर्न, रातदिन बदलती रहती है। कभी "टिक" लग जाता है, कभी "लिस्ट" रह जाता है और कभी उसको भी बदल दिया जाता है। और वैसे ही रहने दिया जाता है।

बहरहाल जो कुछ भी होता हो किन्तु हम कार्यरूप में देखते हैं कि शहरों के इंडस्ट्रीज़ के लिये जैसा कि मैंने सदन में एक बार कहा कि शहरों के पूंजीपतियों के नेशलानइज़ करने की बात जब आती है तब सोशलिस्ट पैटर्न का रंग कुछ बदल जाया करता है तब हमारी सरकार की क्रान्तिकारिणी शक्ति को लकवा मार जाता है। वहां यह कहा जाता है कि हमारे यहां जनतंत्र है और जनतंत्र की गति बहुत धीमी होती है। अध्यक्ष महोदय, यह कहते समय यह भुला दिया जाता है कि इसकी गति धीमी होने के कारण जनता के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता है। इस जनतंत्र के प्रचार में एक बात और कही जाती है जो सरकार की तरफ से की जाती है और खूनी क्रान्ति के पक्ष में बात होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और जनतंत्र की इतनी धीमी गति है और इसलिये वह बुरी चीज़ है क्योंकि इस धीमी गति से हमारे जीवनकाल में हमारा सुधार नहीं होने वाला है और हमारे कष्ट दूर नहीं होने वाले हैं और वह खूनी क्रान्ति से ही जल्दी दूर हो सकते हैं तो फिर इस जनतंत्र से खूनी क्रान्ति ही अच्छी है लेकिन मैं जनतंत्र को इस प्रकार धीमा नहीं मानता हूं। मुझे चर्चिल के वे शब्द याद हैं जब उन्होंने पिछले महायुद्ध के समय यह एलान किया था कि हमें दुनिया को दिखाना है कि—

"Democratic efficiency is no less effective than Dictatorial efficiency"

जनतंत्र की कार्यक्षमता अधिक है यदि जनतंत्र में काम करने की क्रान्तिकारिणी भावना हो, ऐसा जनतंत्र हो तो किया जा सकता है। मैं चर्चिल की बात की ओर क्यों जाऊं। महात्मा गांधी ने १९३७ में जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल ग्रहण किया था उसके प्रारम्भ में ही कहा था कि "अवर मिनिस्टर्स मस्ट लर्न दि आर्ट आफ बर्निंग रेड टेपिज्म"। हमारे मिनिस्टरों को इस लाल फीताशाही को जलाने की कला सीखनी चाहिये और यह बात हरिजन में और उनके व्यक्तव्यों में निकली थी। वह यह चाहते थे कि हमारे मंत्रिगण तीन महीने के अन्दर जितनी पासिबिलिटी थी उस ऐक्ट में, उसमें जनता की भलाई के काम पूरे कर के बाहर आ जायं और फिर जनता की भलाई के संग्राम में जुट पड़ें। लेकिन उस लाल फीताशाही को जलाने की कला आज तक नहीं सीखी गयी है और यह कह कर जनतंत्र को बदनाम किया जाता है कि जनतंत्र की गति धीमी है और उसमें जनता की भलाई के काम जल्दी नहीं किये जा सकते। लेकिन सरकार के पास इस क़िस्म की शिकायतें आया करती थीं। यह शिकायतें तो सन् १९३७ से आती थीं, बराबर आती थीं, लेकिन २० वर्ष लगे सरकार को ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये, यह संशोधन लाने के लिये। जो संशोधन आज लाया गया है वह भी समस्या को पूरी तरह से हल नहीं करता है। यह हाल्टिंग संशोधन भी लाने में सरकार को

२० वर्ष लगे। यह हमारी सरकार की जनतंत्र की गति है चाहे उसे धीमी कहिये या तेज। मैं यह सुना करता हूं कि आजकल बैलगाड़ी का युग नहीं है, हवाई जहाज का युग है। तो हवाई जहाज में उड़ने के लिये तो हवाई जहाज का युग है लेकिन जन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये और जनता के कष्टों को दूर करने के लिये बैलगाड़ी का युग है, और बैलगाड़ी का तो क्या और भी गया बीता युग है, शायद अफ्रीका के स्लोथ नामक जानवर का युग है। तो जहां तक इस बात का संबंध है वह इस चीज को पूरा नहीं करता है और मैं आशा करता हूं कि सदन इन बातों पर विचार करेगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं और इस स्वागत करने के साथ ही मैं आपकी सेवा में जो निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय बुजुर्ग और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, माननीय पालीवाल जी, उसी कंडेंसेंस के साथ मेरी बातों को सुनेंगे जैसी कि मुझे उनसे तवक्को है।

मुझे श्रीमन्, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस मासूम और छोटे से विधेयक के सम्बन्ध में पालीवाल जी ने कहां-कहां की बातें कह डालीं विक्टर ह्यूगो की पुस्तक का माननीय पालीवाल जी ने जिक्र किया इटरनल सिटी का, जिस व्यक्ति ने कि आज हिन्दी संसार का सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा अनुवाद किया हो वह आज प्रिंस क्रोपौरकिन का जिक्र करे और उन बहुत से पुराने सिद्धान्तों का जिक्र करें कि जो पिट चुके, घिस चुके और जिनके बारे में अर्थ शास्त्रियों ने न केवल उनको बेकार साबित कर दिया है बल्कि असंगत और अनर्गल भी उनको सिद्ध कर दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है श्रीमन्, यह सुनकर कि कहां यह छोटा सा मासूम बिल और कहां सोहं और शिवोह का सिद्धांत। यह सिद्धांत तो हमारे दर्शन शास्त्र की चीज है और माननीय पालीवाल जी ने भी पढ़ा होगा कि वह तो आधार है उस सूत्र का "ऊं इत्येदक्षारमिदं सर्व,तस्योपव्ख्यातम्" उसी से मिल जुल कर तो सिवोडिज्म का सिद्धांत बना और इस अनार्किज्म से, इस कंट्रोल की विडंबना से, इन महान् चीजों के होने से इसका मेल करना तो मेरी बुद्धि में नहीं आया। और फिर जब कि जिक्र होता है मार्क्स का तो मैं चाहता हूं कि मार्क्स के साथ ऐंजिल का भी जिक्र चले, दोनों की किताबें साथ-साथ चलती हैं और जब दोनों की किताबें साथ चलती हैं तो उनसे यह भी प्रतिपादित होता है कि समाजवादी सभ्यता के लिये, साम्यवादी सभ्यता के लिये, कंट्रोल्ड इकोनामी एशेंशियल है। जिन देशों में यह सिद्धांत लागू हुआ और जहां पर यह सिद्धांत केवल बौद्धिक रूप से स्थापित हो चुका है उन सब स्थानों में लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि केवल उस समाज में शासन की आवश्यकता नहीं है जहां पर समाज के लिये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति न करा ली जाय और कंट्रोल के सिद्धांत को ही स्थापित करके वह आदर्श स्थिति प्राप्त हो जाय। मैं माननीय पालीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा ऐसा खयाल है कि लिटरेरी डाइजेस्ट जो बहुत मुल्कों से निकलते थे, उनको वह बहुत पढ़ा करते थे, इसलिये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे विषय में जोड ने क्या कहा है...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं शिष्य को गुरु की गुप्त बातों का विस्फोट नहीं करना चाहिये।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, मैं जानता हूं कि जोड़ ने क्या कहा है, मैं जानता हूं कि मार्शल ने क्या कहा है। मैं जानता हूं कि आज के वर्तमन इकानोमिस्टों ने क्या कहा, लेकिन सब से पहले मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उग्र साम्यवाद के प्रतिनिधि बेविन ने क्या कहा। बेविन का लेबर पार्टी से मतभेद जो था उसका कारण यह व्यवस्था कि उस समय जितनी कन्ट्रोल्ड इकानामी की, जिस शोसलिस्टक समाज की आवश्यकता है, वह मजदूर सरकार पूरा नहीं कर रही है। यह उनकी शिकायत थी। मैं पालीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि लास्की ने मेजारिटी बिल के लिये क्या कहा है। लास्की ने तो यहां तक कहा कि प्रजातंत्र में भी माइनारिटी का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है; तो उसके हितों के लिए क्या होना चाहिये, इसको उसी समाजवादी ने बतलाया है। सामाजिक सफलता के लिए बहुत सी बातों का करना जरूरी होता है।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

माइनारिटी की बिल का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं होता तो उसके लिये भी लास्की ने कुछ साम्यवादी वसूल बतलाये हैं। पर इस अवसर पर पालीवाल जी ने न जाने कहां से यह ३००,४०० वर्ष की प्रत्युक्ति बातें ले आये हैं, इनका तो आज के युग में कुछ उपयोग भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कोई नाम बड़ा ही इम्प्रेसिव मालूम पड़े, बड़ा भारी मालूम पड़े लेकिन अन्त में उसमें कोई दम न हो तो उसका फिर क्या महत्व रह जाता है? आज इस मासूम बिल के सम्बन्ध में ३,४ बातें ही कही जानी चाहिये और वह ३,४ बातें यह हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की जरूरत है, हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली के विस्तार की जरूरत है। कल कारखाने, उद्योग-धंधों के लिये, गांवों के लिये, ट्यूबवेलों के लिये, हर एक चीज के लिये बिजली की जरूरत है। और जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली हमारे पास नहीं है। इस पंचवर्षीय योजना के पहले जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके पहले हाइड्रो-एलेक्ट्रिक और पावर हम जितनी पैदा करते थे वह १९,८०० किलोवाट थी लेकिन इस पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते सरकार ने ७१,८०० किलोवाट पैदा कर ली है। यह प्रसन्नता की बात है। इन आंकड़ों को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जितना हमने बिजली के लिये खर्च किया है उनकी तादाद सामने है। लेकिन जितनी बिजली हमको चाहिये उतनी बिजली हम पैदा नहीं कर रहे हैं।

माननीय आबपाशी मंत्री और पावर मंत्री यहां पर बैठे हुये हैं। दोनों ने मिलकर पिछले ५ वर्षों में इर्रीगेशन और पावर के लिये ४० करोड़ रुपये का खर्चा ज्यादा बढ़ा दिया है इस प्रदेश की प्रगति के लिये और इस प्रदेश के उद्योग धंधे और कल-कारखानों को बढ़ाने के लिये। केवल निन्दा की बात और होती है और कोरे सिद्धांत की बात और हुआ करती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। प्रदेश की प्रगति और बहबूदी का ध्यान रखने वालों के लिये इन चीजों को जरा सोचना चाहिये। शिकायतें होंगी और गलतियां भी होंगी और जितनी तेजी से चलना चाहिये, हो सकता है उतनी तेजी से हम नहीं चल सके; शायद पालीवाल जी उतनी तेजी से चल सकें। लेकिन सरकार तेज चलने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट ने यह सोचा कि बिजली काफी नहीं है। बिजली की पैदावार हमको बढ़ाना पड़ेगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के खर्चे में प्लानिंग कमीशन ने बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिये अपने कुल खर्च का ८·९ परसेंट यानी ९ फीसदी खर्चा बिजली के विस्तार के लिये ही रखा है। उसने यह भी सोचा कि समूचे पब्लिक सेक्टर से ही काम नहीं चल सकता। सब लोग, जनता के लोग मिलकर और सरकार मिलकर जितने कारखाने बढ़ाने चाहिये शायद उतने नहीं बढ़ा सकें; इसलिए उसने प्राइवेट सेक्टर का भी इंतजाम किया। ४५० करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली के विस्तार के लिये पब्लिक सेक्टर के लिये और ५० करोड़ प्राइवेट सेक्टर के लिये रखा है। तो साफ है कि बिजली के लिये हमें खर्चा करना होगा। हमारे सामने सवाल है हर गांव में, हर घर में बिजली हो सके। हम बिजली बिना देरी लगाये हुये सब जगह पहुंचावें। पालीवाल जी की शिकायत है कि १९३७ से शिकायतें चली आ रही हैं और २० वर्ष लग गये इस सरकार को सोचने में; सच तो यह है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कड़ाई की गयी और उन्होंने कानून की शरण ली। किसी तरह खींचतान कर काम चलाया गया। जहां सरकार की बिजली होती गयी वहां प्राइवेट सैक्टर को बन्द किया गया। उनके साथ नये प्लान्ट या मशीनरी लगाने के लिये नये कानून कायदे लगाये गये।

मैं समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी ने, जिन्होंने किसी समय मंत्रिमंडल को भी चलाया था, उस वक्त भी प्राइवेट सैक्टर की बिजली की समस्या को जरूर सोचा समझा होगा, चूंकि कंट्रोल के वह विरोधी थे। आज जो परिस्थिति है उसमें हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे रिहंड डैम की स्कीम जल्दी चालू हो जाय। खटीमा और हरदुआगंज से जल्दी से जल्दी पूरी बिजली मिल सके। लेकिन बहुत से ऐसे जिले और कस्टीट्युऐंसीज हैं जहां पर लोगों को

बिजली नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट ने वहां प्राइवेट, लोगों को प्लान्ट नहीं लगाने दिया। मुश्किल से कई जगह १ इंजन लगाकर काम चलाया जा रहा है। उन कम्पनीज को बन्द कर देना बहुत आसान है लेकिन जरूरत को पूरा करना भी आवश्यक है और इसे ध्यान में रखते हुये उन्हें बन्द नहीं किया जा सकता है। लाइसेंस वालों को यदि यह कह दिया जाय कि तुम ६ या ८ महीने चलाओ तो उसमें भी कठिनाइयां हैं। बहुत सी जगह लोड बहुत ज्यादा है, कुछ घंटों के लिये शाम को ६ बजे से बिजली मिल सकती है और जाड़े में इसी तरह से १२ बजे तक मिल सकती है, इत्यादि। तो ऐसे लैसेंसीज को यदि मालूम हो कि कितने दिन के लिये वे अपना रुपया लगावें इसलिये माननीय मंत्री जी ने २ वर्ष की अवधि रखी है। इसके साथ-साथ एक और भी बात है। नये प्लान्ट बिठाने का मसला है, नये इंजिन्स नहीं मिल रहे हैं और जितने हैं उनसे जरूरत की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आर्डर्स पड़े हुये हैं। जनता को बिजली देनी है। तो २ वर्ष की मियाद कौन सी ज्यादा है और कौन सा इसमें कन्ट्रोल का सिद्धांत या एनारकिज्म आ गया? ऐसी बातों को ही अंग्रेजी में कहते हैं: 'Beginnig the issue', तो उस मसले को टाल देना है।

माननीय मंत्री महोदय ने उन कम्पनीज के बारे में जिक्र किया जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इसमें कड़ाई की वाकई जरूरत है पर वे लैसेंसिज जानते हैं कि उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है और वे यह भी जानते हैं कि उनको ज्यादा दिन नहीं चलने दिया जायगा। फिर भी यह वेलफेयर स्टेट है और नेशनल इकानामी की स्टेट है, तो इन चीजों के बारे में केवल आगे का विचार करके वक्त की मांग को भूला नहीं जा सकता है। कुछ न कुछ कानूनी कार्यवाही उनके साथ करनी होगी और इसके लिये इस विधेयक में गुंजाइश कर दी गयी है। अन्त में मैं पालीवाल जी से यह निवेदन करूंगा कि कृपा करके पुरानी पुस्तकें पढ़ना बन्द करें। उम्र का तकाजा जरूर है कि उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी हैं लेकिन यह भी जरूरी है कि नई पुस्तकें पढ़ी जावें। नहीं किताबों के साथ उन उसूलों का भी ध्यान रखें जिससे अपने प्रदेश और देश का हित और कल्याण हो।

श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय श्रद्धेय पालीवाल जी को सुनने के पश्चात् मेरे मन में भी यह बात आ गी कि हमारे इस भारतवर्ष में और भारतवर्ष के इस प्रदेश में जो पद्धति चली आ रही है उसमें कंट्रोल की आवश्यकता है या नहीं, इस विषय में मैं भी अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी राज्य केवल कन्ट्रोल करने के लिये ही उपस्थित होता है। राज्य का अर्थ ही कन्ट्रोल होता है। जब कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तो उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य स्टेटलैस सोसाइटी की तरफ है। लेकिन स्टेटलैस सोसाइटी को प्राप्त करने के लिये तीन स्टेजेज उन्होंने बतायीं। पहले स्टेट पर कब्जा करके डिक्टेटरशिप की बात कही। वह क्यों कही? उसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि यदि समाज में कंट्रोल की बात नहीं रहेगी तो विषमता अनन्तकाल तक बनी रहेगी। इसलिये डिक्टेटरशिप की आवश्यकता होगी ताकि समाज में से प्रिविलेज्ड क्लास को समाप्त करके एक क्लास बना दिया जाय, एक समान क्लास बना दिया जाय जिसमें प्रिविलेज्ड क्लास या कैपीटलिस्ट क्लास न रहे और उसी वक्त तक डिक्टेटरशिप बनी रहती है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी तब बनेगी जब स्टेट में रहने वालों का विवेक इतना आगे बढ़ जाय कि अपने पड़ोसी के साथ वैसे विवेक के आधार पर यह निश्चित कर सकें कि उनको कैसा व्यवहार करना उचित है। तो एक ओर तो इस प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कंट्रोल की बात कही गयी। इसी बात को दूसरे लेखकों ने भी कहा। पश्चिम के कतिपय राजनीतिक विशारदों ने इस पर बहुत विचार किया और उन विचारकों ने कहा लीस्ट गवर्न्ड सोसाइटी ही हैपी हो सकती है। दूसरों ने कहा कि सोसाइटी की तमाम आवश्यकताओं को कंट्रोल किया जाय जिसमें आदमी

[श्री पद्मनाथसिंह]

रहता है। इन दोनों विचारधाराओं का यदि आज हम विवेचन करें तो देखेंगे कि कार्लमार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण करने के बाद सन् १९१७ से १९५६ तक आज भी रूस इस बात की व्यवस्था नहीं कर पाया है कि उस विवेक के आधार पर स्टेटलेस समाज का संचालन हो सके। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि समाज आज भी उस ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचने के लिये अभी बीच की श्रेणी से गुजर रहा है और इस स्थिति में कंट्रोल यदि न करें तो जो विषम स्थिति को बनाये रखने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं तो वह उस स्थिति को पैदा करने में बाधक होते रहेंगे जिस स्थिति में केवल विवेक काम करता है। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रयोग हो रहा है। श्रद्धेय पालीवाल जी ने कहा कि बड़ी धीमी गति से चलते हैं। डेमोक्रेसी के लिये तो यह लांछन लगाया ही जाता है कि वह धीमी गति से चलती है.....

श्री अध्यक्ष—अब आप फिर जारी रक्खें। अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री व्रजविहारी मिश्र की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री पद्मनाथसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने भारत के वर्तमान समाज में जो स्थिति है, उसके कंट्रोल के सम्बन्ध में निवेदन किया था। उसी सिलसिले में दो चार बातें मैं और निवेदन करता चाहता हूं। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक राजनीतिक विशारदों ने कुछ सिद्धांत स्थिर किये थे और उसमें यह बात समाजवाद के सिद्धांतों के प्रतिपादकों ने निश्चित की थी कि यदि समाज की विषमता और अराजकता की व्यवस्था को दूर करना है तो उस समय तक कंट्रोल की आवश्यकता है जब तक कंट्रोल से हम समाज को उस लेबिल पर न ला दें जहां कि एक स्तर के लोग हों; जहां कि जो मुनाफाखोर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के लिये समाज में व्यतिक्रम उत्पन्न करते हैं वे न हटा दिये जायं। कार्लमार्क्स के सिद्धांत में भी मैंने बतलाया कि उसका एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य यह है कि सुदूर भविष्य में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये डिक्टेटरशिप की आवश्यकता थी और राज्य शक्ति केवल इसीलिये आवश्यक थी कि समाज का व्यतिक्रम दूर करने के लिये एक बड़े भीषण कंट्रोल की आवश्यकता है ताकि राज्य शक्ति समाप्त हो जाय और स्टेटलेस सोसाइटी हो जाय। कंट्रोल के लिये यह बात प्रतिपादित की गयी थी। आज भी हमारे इस देश में हमने जब से स्वराज्य प्राप्त किया है तब से इस देश की स्थिति को सम्भालने के लिये कंट्रोल की चर्चा इस देश में थी, और लास्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में संसार के प्रत्येक देश में कंट्रोल की बात व्यापक रूप से आयी।

हमारे देश की अवस्था क्या है? ४० करोड़ की जन-संख्या के लिये वस्तुओं को अनिवार्य रूप से एकत्र करना है। हमारे पास जैसी वस्तुयें चाहिये, उनके लिये जैसे सामान और साधन चाहिये वे सामान और साधन नहीं थे। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई वस्तु हो, उनका वितरण एक अच्छे और उपयोगी ढंग से होना चाहिये। फिर यह कैसे सम्भव होगा जब तक कंट्रोल न हो? अतः कंट्रोल जारी रखना है। माननीय पालीवाल जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज की स्थिति में हमारे ऊपर जो लोग हावी हैं, जो मुनाफाखोर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के लिये समाज में व्यतिक्रम पैदा करते हैं, वे साधनों पर हावी हो जायेंगे तो फिर वे लोग जिनके लिये वे चाहते हैं तथा सरकार भी चाहती है और जो समाज के शुभचिंतक होने की इच्छा रखते हैं, वे लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आज हम जानते हैं कि लगभग दो वर्ष से सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात हमारे देश में कही जाती है उस पैटर्न की जो भी रूपरेखा हो, उस पैटर्न को आप पसन्द करते हों या न पसन्द करते हों हम सभी एक प्रकार के समाजवादी ढांचे की रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं; लेकिन चाहे जिस रूप से जो भी ढांचा तैयार करें, एक कंट्रोल का रखना ही अनिवार्य होगा। भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था के बारे में हमें यह बात स्वीकार करनी होगी, चाहे वह जिस गति से भी चलती हो।

आज के आधुनिक संसार में हमारी बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। सन् ४७ के बाद तमाम फ्यूडल स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स और ताल्लुकेदारियां एक डेमोक्रेटिक तरीके से इतने कम समय में समाप्त हुयीं कि संसार के किसी देश में इतनी जल्दी यह कार्य नहीं हुआ। आज भी हमारे देश में वस्तुओं का अभाव है, मेटीरियल्स की कमी है लेकिन फिर भी इस देश में जो वस्तुस्थिति है उसमें हमें यह मानना होगा कि डेमोक्रेसी में जो कुछ भी सम्भव हो सकता है वह किया जा रहा है। यह दूसरी बात है कि हमारी बहुत सी बातें और बहुत सी पालिसी अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पातीं, भ्रष्टाचार आदि होता है—यह दूसरा विषय है, लेकिन इस विषय को भी कंट्रोल में लाने के लिये और समाज को ठीक चलाने के लिये यह आवश्यक होगा कि हमारे यहां कंट्रोल कायम रहें, वह कंट्रोल अच्छे हों, ईमानदारी से चलाये जाते हों या और किसी तरह के हों, लेकिन आज के शासन में यदि वह शासन जीवन और समाज की वस्तुओं पर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो ठीक ही है।

१९ वीं शताब्दी में इस सम्बन्ध में २ विचारधारा थीं। एक तो यह कहती थी कि स्टेट को कोई पावर नहीं देना चाहिये और दूसरी ने कहा कि नहीं, स्टेट जीवन की प्रत्येक गति में दखल दे और उसे समाज को ठीक तरह से चलाना चाहिये। आज के संसार में पश्चिमी डेमोक्रेसी ने, जिसने फ्री लाइफ के सिद्धांत को माना है उसने भी कंट्रोल्ड एकनामी को स्वीकार किया है और आज उन देशों में भी फ्री लाइफ के साथ-साथ कंट्रोल्ड एकानामी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है; यह दूसरी बात है कि कैसे लोग कंट्रोल करें, कैसे ढंग से करें लेकिन हमारे देश में ४० करोड़ की जनसंख्या को एक दिशा में ले जाने के लिये, एक दिशा में सोच सकने के लिये और बांधने के लिये और पूर्ण जीवन को एक दिशा देने के लिये यह आवश्यक समझा जा रहा है कि जब हमें अपने यहां कल्याणकारी राज्य कायम करना है तो हम जीवन की प्रत्येक गति पर एक निर्देश करें और वह कंट्रोल के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। समाजवादी व्यवस्था में सिद्धांत की एक और बात प्रतिपादित होती है और वह है डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात और हमने इस की प्रेरणा पूज्य गांधी जी से लीं, लेकिन यह सिद्धांत भी आधुनिक डेमोक्रेसी के अन्तर्गत ही स्वीकार किया गया और आज जो यह बिजली के कंट्रोल का बिल है वह भी उन्हीं माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित है जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर यहां चुनकर आये हैं और अगर यह उन के द्वारा स्वीकार होता है, पारित होता है और लागू होता है तो उस कंट्रोल का करना समाजवादी सिद्धान्तों के अन्तर्गत है। आज से पहले प्राचीन संसार में एक समय जब भारत में वर्णव्यवस्था थी और जब कि कानून का इतना बोलबाला नहीं था तब भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रकार नैतिक (moral) कंट्रोल का हमारे ऊपर एक बड़ा भारी प्रभाव था और हम एक निश्चित गति से पूजा-पाठ, संध्या-वंदन और शिक्षा आदि के कार्य करते थे। उस समय हमारे सामने एक मारल कंट्रोल था और एक मारल विधान का हमारे लिये आदेश था। आप देखें कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में मारल कंट्रोल इसीलिये रखा कि हम अपने जीवन को एक विशेष दिशा की ओर चला सकें।

आज हम अगर अपने देश में कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास है कि एक कदम भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती और न हम अपने यहां किसी प्रकार की भी समाजवादी व्यवस्था ही ला सकते हैं। हमारे देश में आज किसी प्रकार की भी प्लानिंग अगर हो सकती है तो वह केवल कंट्रोल के ही आधार पर हो सकती है। बिजली जैसी चीज जो हमारे उद्योग-धंधों के लिये और घरेलू उद्योग-धंधों के लिये आवश्यक है उसके कंट्रोल्ड प्लानिंग के आधार पर ही हम लाभान्वित हो सकते हैं और उस सीमा तक कंट्रोल का बना रहना आवश्यक है जब तक प्रचुर मात्रा में वह चीज उपलब्ध न हो जाय और हम में इतना विवेक न हो जाय कि हम उसका उपयोग केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समाज के दृष्टिकोण से करें। मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब सिद्धांत रूप में यह बात हमारे सामने उपस्थित होती है तो हमें आज के युग में इस बात को मान लेना होगा कि जब हम सिद्धांत की बात अपने देश के लिये करते हैं तो वह हमें उस दृष्टिकोण से करना चाहिये कि सदन से बाहर प्रत्येक व्यक्ति

[श्री पद्मनाथसिंह]

चाहे वह गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो यहां की राजनीति, आंदोलन और व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचित किया जा सके और उसे स्वस्थ दिशा का निर्देश मिल सके। उस परिचय से वह एक दिशा में अपनी मनोवृत्ति बना सकेगा। अगर हम विचारों का छीछालेदर करते रहेंगे और हर तरह की बात सोचेंगे तो मेरा निश्चित मत है कि हमारा देश अपनी किसी नीति का एक पैटर्न नहीं बना सकेगा।

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन की बात बड़ा महत्व रखती है और श्रद्धेय पालीवाल जी की बात का यही उद्देश्य मैं समझता हूं कि केवल इमप्लीमेंटेशन की बुराइयों से परेशान हो कर वह कन्ट्रोल की बात को असैद्धांतिक कहते हैं। कंट्रोल अच्छी चीज है अगर उसके कार्यान्वित करने में बुराइयां पैदा हुयीं तो पूरी व्यवस्था को जिसको हम लाना चाहते हैं वह अव्यवस्थित रूप में परिवर्तित कर सकती है। तो यह आवश्यक है कंट्रोल का उपयोग इस दृष्टिकोण से हो। शासन इस दृष्टिकोण से उसका उपयोग करे कि फिर उसमें मुनाफाखोरी न घुस जाय। इस बात की आवश्यकता न केवल इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में है बल्कि शासन की पूरी नीति के सम्बन्ध में इस बात की आवश्यकता है। मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज के आधुनिक संसार में भी, आज का आधुनिक संसार चाहे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के रूप में चलता हो और चाहे ईस्टर्न डेमोक्रेसी के रूप में चलता हो, वेस्टर्न डेमोक्रेसी से मेरा मतलब पूंजीवादी डेमोक्रेसी से है जो अमेरिका, इंगलैन्ड, फ्रांस में है और ईस्टर्न डेमोक्रेसी की जब बात कहता हूं तो जहां शोषण नहीं, उत्पीड़न नहीं और जहां पर ब्लैकमेलिंग नहीं है, उससे है। और मेरा विश्वास है एशियन कन्ट्रीज और विशेष रूप से भारतवर्ष उस दिशा की ओर अग्रसर है और उस दिशा की ओर चलना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूं चाहे जो भी डेमोक्रेसी हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो चाहे सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी हो दोनों कंट्रोल के सम्बन्ध में एक ही दिशा में जा रही है। इस संसार की और हमारे इस देश की वस्तुस्थिति को कंट्रोल में लाने के लिये और क्लासलेस सोसाइटी को प्राप्त करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि कंट्रोल हो और उन तमाम वस्तुओं पर हो जिससे हम उस व्यवस्था को ला सकें। इसी उद्देश्य से इसका मैंने समर्थन किया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है उस पर काफी सिद्धांतों का निरूपण हुआ। और इस विधेयक का वादविवाद कंट्रोल वर्सेज अनकंट्रोल, नियंत्रण और अनियंत्रण, इस पर भी चला गया। अच्छा ही है क्योंकि जब तक हम सही माने में कंट्रोल की क्या खामियां हैं और कंट्रोल यदि हो भी तो कब हो और क्यों हो, इनका अच्छी तरह से विवेचन नहीं करेंगे तब तक इस विधेयक की उपयोगिता और अनुपयोगिता पर भी हम अपना मत अच्छी प्रकार प्रकाशित नहीं कर पायेंगे। मैं आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि सदन ने माननीय पालीवाल जी और माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा और माननीय पद्मनाथ सिंह जी को बहुत ही अच्छी तरह से सुना। माननीय पालीवाल जी ने अपने को स्पष्ट कहा कि मैं गांधीवादी दर्शन में विश्वास करता हूं। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहीं भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि वह किस सिद्धांत और दर्शन में विश्वास रखते हैं। माननीय पद्मनाथ सिंह जी, अब चले जा रहे हैं, वह भी इस बात को नहीं बता पाये कि वे किस नीति और सिद्धांत को मानते हैं। समय-समय पर ईस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, गांधीवाद और समाजवाद का नाम ले लेना मैं समझता हूं कि यह अब बड़ा निरर्थक सा होता जा रहा है। श्रीमन्, यदि किसी वाद का नाम न लिया जाय तो मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग जो यहां पर बैठे हुये हैं हमारी आंखें हैं, हमारे मस्तिष्क है, वस्तुगत जगत् है हमारे सामने, इन तमाम को देखकर के हम भी कोई निश्चित राय बना सकते हैं या नहीं? और जब इस तरह से हम सब जगह आ जा सकते हैं, तो कोई निश्चित राय बना भी सकते हैं। इसलिये यदि हम किसी वाद की आड़ न लें तो अच्छा होगा।

खैर, गांधी जी तो इस समय दुनिया में विद्यमान नहीं हैं। इसलिये गांधी जी के बारे में तो उन्होंने जो कुछ लिखा है या कहा है यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इसके बारे में यह बात की। मार्क्स भी नहीं हैं। लेनिन भी नहीं हैं। ऐंजिल्स भी नहीं हैं। मगर जो लिविंग हैं, जिन्दा हैं उनके बारे में भी समय-समय पर इस सदन में बातें प्रस्तुत होती रहती हैं। सीधी बात यह सामने आनी चाहिये कि कंट्रोल हो या न हो। हम वादों को छोड़ते हैं। वाद के विवाद में इस समय नहीं जाना चाहते। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कंट्रोल हो या न हो। इसका सीधा जवाब आना चाहिये था। सन् ४८ से देखा जाय, कै बार यह दो साल का समय बढ़ा है? मैं समझता हूं यह पांचवीं बार है। सन् ४८ में आया, फिर सन् ५० में दो साल के लिये किया गया। फिर सन् ५२ में दो साल समय बढ़ाकर ५४ के लिये किया गया। ५४ में दो साल का समय बढ़ाकर ५६ के लिये किया गया और आज ५६ में दो साल का समय बढ़ाकर ५८ के लिये किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि एक दो साल नीति पर चलना ही इस सरकार का अभीष्ट हो गया है और इसके दिमाग में कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लान नहीं। एक ही बात माननीय वित्त मंत्री या बिजली मंत्री उनको कहा जाय, माननीय बिजली मंत्री जी एक ही रट लगाये रहते हैं। एक ही वाक्य को बार-बार दुहराते रहते हैं। इस सदन में उनका सन् ४८, ५०, ५२ सन् ५४ का भाषण पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि जब भी दो साल के लिये समय बढ़ाने की बात उन्होंने कही है तब यही आड़ ली गई है कि बिजली का उत्पादन कम है, नियंत्रण होना चाहिये ताकि इसकी समुचित व्यवस्था हम कर सकें, इसका समुचित वितरण कर सकें।

यदि मैं यह स्पष्ट कहूं कि यह सरकार पूर्णतया फेल हुई है, नाकामयाब हुई है और यह जो दो वर्ष का नकशा बिजली के उत्पादन का बनाते रहे हैं वह कभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिये मैं एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि बार-बार दो साल के समय को बढ़ाने का विधेयक सदन में प्रस्तुत करना और उस निश्चित अवधि के लिये जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा न करना यह सरकार की नीति का खोखलापन है और यह सरकार पूर्ण रूप से बिजली के उत्पादन की व्यवस्था में फेल हुई है। सरकार को स्वतः मानना चाहिये क्योंकि यदि वह दो वर्ष के अन्दर बिजली के उत्पादन की समुचित मात्रा पहुंचा चुकी होती तो दो साल के बाद फिर दूसरे साल बढ़ाने का विधेयक न प्रस्तुत होता। या तो यह सरकार चाहती है कि जनता भ्रम में रहे, एक साल ही हम छः साल के समय को रख देंगे कि छः साल का समय बढ़ाया जा रहा है तो जनता आश्चर्यचकित होगी और सोचेगी कि यह सरकार छः साल के लिये नियंत्रण अपने हाथ में ले रही है। इसलिये यह सरकार धीरे-धीरे दो-दो साल करके बढ़ाना चाहती है। तो यह बात निर्विवाद रूप में मानी जानी चाहिये कि यह सरकार कतई फेल हुई है। इस सरकार ने जो इस प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया था, जो इस प्रदेश की जनता से वादा किया था कि समुचित मात्रा में बिजली का उत्पादन कर दिया जायगा उस वादे को यह सरकार पूरा नहीं कर पायी है।

श्रीमन्, एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना आ रही है। उन योजनाओं के सिद्धान्त को निरूपण करने का समय इस समय नहीं है; लेकिन मैं बिना किसी हिचक के इस बात को ऐलानिया कहने के लिए तैयार हूं कि जिस तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना नाकामयाब हुई, फेल हुई उसी तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना फेल होगी, नाकामयाब होगी। यह जल योजना नहीं है, यह कांग्रेस सरकार की योजना है, पंचवर्षीय योजना है। इस योजना का मूल गलत है, इसका बेस गलत है। इस योजना में गरीबी मिटाने की योजना नहीं, समानता के समाज को लाने की योजना नहीं, यह तो केवल एक पूंजी-शाही ढांचे को चलाने की योजना है और उसी योजना के मुताबिक यह सरकार बिजली के नियंत्रण पर भी आती है।

[श्री राजनारायण]

माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने न मालूम कहां की फिलासफी और कहां का दर्शन सदन के सामने रखा और माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बराबर जब वे बोलते हैं तो पालीवाल जी के लिए तो उन्होंने कहा कि पालीवाल जी पुराने ग्रंथों का अवलोकन बन्द करदें, परन्तु अपने लिए उस सिद्धान्त को लागू करने का कष्ट नहीं किया। यहां परिपूर्णानन्द जी रट लगाये हैं कि रूस-रूस-रूस, चीन-चीन-चीन ! यह परिपूर्णानन्द जी के मस्तिष्क में जो भ्रम जाल फैला हुआ है कि रूस ही समाजवाद का सच्चा प्रतीक है और जब समय होता है मौके बे मौके इसी बात को कहा करते हैं। तो मैं आपके द्वारा श्रीमन्, उनसे निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि रूस समाजवाद का सच्चा प्रतीक नहीं है, चाइना समाजवाद का सच्चा प्रतीक नहीं है। जिस तरह से रूसी शासकों ने मार्क्सवादी सिद्धान्तों का हनन किया, उसी तरह से आज कांग्रेसी शासक महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का हनन कर रहे हैं; इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आपके कांग्रेसी शासन गांधीवादी नीति पर चल रहे हैं। इसी तरह से इस बात को नहीं मानना चाहिये कि मार्क्सवादी सिद्धान्तों पर रूसी शासक चले और जिस प्रकार आज स्टैलिन की चर्चा हो रही है, जो ख्रुश्चेव और बुलगानिन आज स्टैलिनवाद का खोखलापन जनता के सामने रख रहे हैं, वह इस बात को सामने प्रकट करता है कि स्टैलिन का युग मार्क्सवादी विचारधाराओं के विपरीत गया, समाजवादी विचार-धाराओं के विपरीत गया। उसने सारी पावर को अपने हाथ में सेंट्रलाइज करने की योजना बनायी। उसी तरह से आज जो कांग्रेसी शासकों का युग अपने देश में व्यतीत हो रहा है वह महात्मा गांधी के सिद्धान्तों से च्युत होकर हो रहा है, महात्मा गांधी के बताये हुये रास्ते को अलग करके हो रहा है, महात्मा गांधी के रास्ते को तिलांजलि देकर चल रहा है।

माननीय परिपूर्णानन्द जी इस समय नहीं हैं; मैं उनसे पूछाना चाहता हूं कि क्या गांधी जी के युग को पढ़ना, गांधीवाणी का अवलोकन करना, गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चलना, किसी प्राचीन ग्रन्थ का अवलोकन करना है ? पता नहीं उन्होंने किस तरह से माननीय पालीवाल जी के लिए कह दिया कि वह तो प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करते हैं ? क्या कोई ईमानदारी के साथ कह सकता है कि गांधी जी की वाणी में किसी स्टेट को केंद्रित करने की बात कही गयी है, सेंट्रलाइज करने की बात कही गयी है ? गांधी जी को अगर कोई ईमानदारी के साथ अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा तो वह सफाई के साथ इस बात को स्वीकार करेगा कि महात्मा गांधी सत्ता को विकेन्द्रित करना चाहते थे। गांधी जी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि किसान का बेटा प्रधान मंत्री हो। लेनिन ने कहा है, "एवरी कुक मस्ट लर्न हाऊ टु रूल दि स्टेट।" मार्क्स ने कहा है "स्टेट-लेस सोसाइटी।" महात्मा गांधी ने कहा है "व्यवस्थित अराजकता।" इसके क्या माने ? अराजकता के माने सीधे कि राजा न हो और "व्यवस्थित अराजकता ?" मैं आपके द्वारा माननीय परिपूर्णानन्द जी ऐसे सरीखे लोगों को और आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि क्या होगी व्यवस्थित अराजकता, जरा सिद्धान्त को देखा जाय। वह पार्टी या वह फिलासफर या वह सिद्धान्त प्रतिपादित करने वाला नेता जो अपने सिद्धान्त के द्वारा एक तरफ तो सत्ता को केंद्रित करने की बात कहेगा, और फिर सत्ता को केन्द्रित करके विकेन्द्रित करने की बात कहेगा, वह हमेशा भ्रम में रहेगा। इसमें परस्पर विरोध है। एक तरफ तो यह कहा जाय कि सारी सत्ता को केन्द्रित करके डिक्टेटरशिप को स्थापित करें और दूसरी तरफ कहा जाय कि डेमोक्रेसी होनी चाहिये, तो यह श्रीमन्, परस्पर विरोध है। आप इस बात को मानेंगे। अगर व्यव-स्थित अराजकता के सिद्धान्त को किसी ने प्रतिपादित किया, अगर सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने के सिद्धान्त को किसी ने स्थापित किया तो वह सोशलिस्ट पार्टी ने किया उसी ने कहा कि "फोर पिलर्स आफ दि स्टेट" या चौखम्बा राज्य बनाया जाय।

अब मैं कंट्रोल्ड इकोनोमी की बात बताना चाहता हूं। आज "टू पिलर्स आफ दि स्टेट" की बात है। एक तो केन्द्रीय सरकार है और एक सूबे की सरकार है और इन दोनों

सरकारों के मातहत अफसरान काम करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यवस्थित अराजकता के सिद्धान्त को रखता है या सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को रखता है तो हमारे चौखम्भा वाले राज्य सिद्धान्त को बनाया जाय। हमारा यह कहना है कि गांव पंचायतों का राज्य हो। हमारा कहना यह है कि फिर जिला पंचायतों का राज्य हो फिर सूबे की पंचायत हो और इसके बाद केन्द्र की पंचायत हो। एक गांव के क्षेत्र से जितनी सरकारी आमदनी होती है उसका १/४ गांव पंचायत को जाना चाहिये, चौथाई आमदनी जिला में जानी चाहिये, चौथाई सूबे को जानी चाहिये और चौथाई केन्द्र को जानी चाहिये। एक चौथाई गांव को विधानतः जानी चाहिये, सरकार की कृपा से नहीं जानी चाहिये। जो विभिन्न सूबों से संबंधित बातें हों उनको केन्द्र की सरकार तय करे, सूबे के संबंध में जो बात हो उसको सूबे की सरकार को तय करने का अधिकार दिया जाय। मगर जिला पंचायत और गांव पंचायत का सही रूप में राज्य करना तब होगा जब कि उनको कानून बनाने का अधिकार हो। आज उसके मातहत उनको काम करना पड़ता है। कहीं भी विधान में गांव पंचायतों को कानून बनाने की बात नहीं मानी गई है तो वह राज्य कैसा हुआ जब कि वह कानून न बना सकता हो, उसको आर्थिक व्यवस्था करने का अधिकार न हो। यह सरकार इस बात को नहीं मानती है। उस का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून बनाये उसके मुताबिक पंचायतें चलें। यह जनतंत्र है इसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। यह तो सत्ता को अपने हाथ में लेने की मनोवृत्ति का द्योतक और परिचायक है। इसलिये अगर कांग्रेसी हुकूमत के तमाम कानूनों का अध्ययन किया जाय तो उसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार सारी सत्ता को अपने हाथ में लेकर चलना चाहती है।

श्रीमन्, एक नहीं अनेकों उदाहरण इसके पक्ष में रखे जा सकते हैं ....

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। मेरा निवेदन यह है कि यह बिजली वाला कानून पेश है। नियंत्रण के ऊपर दुनिया भर का सिद्धान्त और वाद हो रहा है और यह बिल से संबंधित नहीं है। माना कि इस पर भाषण पहले हो चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता—यह प्वाइंट आफ आर्डर तो नहीं है परन्तु मैं श्री राज नारायण जी से निवेदन करूंगा कि वह विषयान्तर न हों और विषय पर ही आ जायं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने व्यवस्था दी कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर का विषय नहीं है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप समझ सकते हैं कि मैं विषयान्तर हो रहा हूं। मैं विषयान्तर श्रीमन्, जैसा कि आपने कहा नहीं होऊंगा और न हो रहा हूं। आज जितने विषय रखे गये हैं सबका खोखलापन साबित करना हमारा अधिकार है और उनको प्रतिपादित करके इस बिल के औचित्य के साबित करने की कोशिश की जायगी तो उसका परदाफाश करना हमारा कर्तव्य है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में ऐसे भी सम्मानित सदस्य हैं जो कि जब उनके दल के लोग अनाप शनाप बोलने लगते हैं तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाते और जब हम बोलने लगते हैं तो चूहे लोटने लगते हैं। हममें ये गट्स होने चाहिये कि जब हम बात कहते हैं तो दूसरी ओर से भी उसको सुनने के लिये तैयार रहें।

मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा था कि आखिर यह कंट्रोल और डिकंट्रोल की बात चली क्यों। इसमें हर दो साल के बाद माननीय वित्त मंत्री जी यह चाहते हैं कि यह सदन उनको दो साल का समय बढ़ाने की इजाजत दे। तो यदि सन् ५० में ५२ तक के लिये, ५२ में ५४ तक के लिये और ५४ में ५६ तक के लिये सरकार ने समय बढ़वाया तो उसके दिमाग में कोई नक्शा रहा होगा कि इस दो वर्ष के समय के अन्दर वह बिजली का उत्पादन इतना

[श्री राजनारायण]

कर लेगी जितनी की आवश्यकता है। तो सरकार स्वतः इस बात को क्यों नहीं कबूल करती कि सरकार नाकामयाब हुई है? और जब मैं इस सदन को बताने के लिये आगे बढ़ता हूं तो बहुत से सम्मानित सदस्य इस पर टीका-टिप्पणी करने लगते हैं।

हमने इस सदन को बताया कि आज गांवों में बिजली नहीं जा रही है, आज जिलों में बिजली नहीं जा रही है, आज बिजली का जो यह कंट्रोल किया जा रहा है यह अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है। इसको कंट्रोल कहना ही नहीं चाहिये। मैं माननीय पालीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको कंट्रोल समझने में भूल की। यह कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है। जिन मुल्कों में कंट्रोल चालू हैं वहां पर अगर यह कह दिया गया है कि पाव भर दूध हर बच्चे को मिलेगा तो वह पाव भर दूध हर बच्चे को मिला है। मगर यहां तो सरकार कंट्रोल के नाम पर फेवरिटिज्म चलाना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि कंट्रोल का हम नाम न लें मगर जो हमारे पक्ष में व्यक्ति विशेष हों उनको हम बिजली खर्च करने की आज्ञा प्रदान करें, जो सरकार के जी हुजूर हों उन्हीं को हम बिजली उत्पादन करने का लाइसेन्स दें। आज कंट्रोल के क्या माने हैं? माननीय ग्रामवासी जी इसके मुक्तभोगी होंगे, उन्हें मालूम होगा। कपड़े पर कंट्रोल था। तो क्या जितने गज प्रति व्यक्ति पर कपड़े का कंट्रोल था उतने गज प्रति व्यक्ति को कपड़ा मिला? आज बिजली पर कंट्रोल की बात करते हैं। तो बिजली के जिस विषय पर कंट्रोल होगा क्या वह सब के लिये लागू होगा? नहीं होगा। हमारे पास विभिन्न जिलों से लोग शिकायत ले कर आये हैं कि सरकारी कर्मचारी जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे बिजली खर्च करने की इजाजत देते हैं और जिसको नहीं चाहते हैं—एक ही कारोबार करने वाले को—उसको नहीं देते हैं। उसके पुराने मिले हुये लाइसेन्स को छीन लेते हैं। एक नहीं, ऐसे पचासों उदाहरण मेरे पास विद्यमान हैं, उनको रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां सिद्धान्त की बात हो रही है।

तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने आज भी जो दो साल की अवधि इस विधेयक के द्वारा बढ़ाने की कृपा लोगों के ऊपर की है वह कृपा भी अकृपा होकर रहेगी। दो साल में भी वे पूरा नहीं कर पायेंगे, क्योंकि उनकी नीति गलत है, सरकार का उसूल गलत है, उसका सिद्धान्त गलत है, चाहे कितनी बड़ी रकम इस पर व्यय की जायं। रुपये की व्यवस्था कैसे होती है, इन तमाम बातों को जब अच्छी तरह से निरूपण किया जाय तब मालूम होगा कि राजकोष का दुरुपयोग कितना जबर्दस्त हो रहा है। तो यह कह देना कि कंट्रोल होगा या नहीं होगा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज चाहे जिस सिद्धान्त को माना जाय हर सिद्धान्त में यह बात साबित होकर रहेगी कि कंट्रोल जितना ही ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा जनता गुलाम रहेगी। इसमें कोई दो रायें नहीं होनी चाहिये। 'स्वराज्य' के माने क्या हैं? मैं माननीय नवल किशोर जी से निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने कि जरा 'स्वराज्य' का अर्थ हमें समझाने की कोशिश करें। तो न तो हमें गांधी जी के पास जाने की आवश्यकता होगी और न मार्क्स के पास। "स्वराज्य" शब्द का अर्थ है 'स्व' का राज्य। माननीय नवल किशोर जी के लिये माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम का राज्य स्वराज्य नहीं हो सकता। अब अगर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के राज्य को माननीय नवल किशोर जी अपना राज्य, स्वराज्य मानने लगते हैं तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है, कितनी बड़ी विडम्बना आज यह है? कितने बड़े सिद्धान्त को न समझने का यह द्योतक है? आज जनराज्य में हम डायरेक्ट डिमोक्रेसी की बात करें लेकिन रूल हो रेप्रेजेंटेटिव्ज का, यह जनता के प्रतिनिधियों का राज्य है, जनता का राज्य नहीं है।

अगर सैद्धान्तिक रूप से इस पर विचार किया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि जनता के प्रतिनिधियों का यह राज्य है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मैं इसे बिलकुल गंदा, बिलकुल बुरा राज्य मानता हूं। तो मेरा कहना यह है कि इन बातों में उलझन नहीं है। डिमोक्रेसी

क लिये डिक्टेटरशिप और डिक्टेटरशिप के लिये डिमोक्रेसी शब्द का प्रयोग करके आज वस्तु जगत् को ओझल क्यों किया जा रहा है। माननीय पद्मनाथसिंह समझने की कोशिश करें और मार्क्सवादी सिद्धान्तों का अध्ययन करने की कोशिश करें। माननीय परिपूर्णानन्द जी नहीं हैं और उनसे कहूं भी क्या ? अब अध्ययन करना उनके वश की बात नहीं है। अब तो वह वही तोते रटंत वाली बातें ही कह सकते हैं; लेकिन अगर वे भी अध्ययन करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलिटेरियट् के माने क्या हैं। और उसके आधार पर कांग्रसी राज्य के आज के डिक्टेटरशिप के औचित्य को साबित करने की कोशिश की। वे बिल्कुल गलत समझे हैं। अगर वे रूस में १९०५ के बाद जो क्रांति हुई उसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि वहां भी डिक्टेटरशिप आफि दि प्रोलिटेरियट् को लेकर बड़ा अनर्थ हुआ है यहां तक कि सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी जो रशिया की थी उसमें भी स्प्लिट हुई, उसमें फूट पड़ी और एक बोलशेविक मेजारिटी पार्टी और दूसरी मेनशेविक माइनारिटी पार्टी का नाम के दो दल वहां प्रस्फुटित हुये। प्रोलिटेरियट् का अर्थ माना गया है "अकिंचन" "सर्वहारा", जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो। अगर प्रोलिटेरियट् का अर्थ लिया जाय तो माना जायगा कि जिसके पास लेबर पावर के अतिरिक्त कुछ न रह गया हो। जो अपनी लेबर पावर को बचा सकता हो मगर कुछ और रख न सका हो। इसीलिये मार्क्स ने कहा है--'Proletariats have nothing to lose but their chains, they have a world to win on". जो यह सर्वहारा वर्ग है इसमें सर्वहारा के पास अपना खोने को कुछ नहीं होता लेकिन अगर वह जीतता है तो आपको एक सुखमय संसार प्राप्त होगा। प्रोलिटेरियट् का अर्थ उन्होंने क्या लिया है ? यहां कौन सर्वहारा है। प्रोलिटेरियट् का अर्थ साधारण तरीके से लिया गया है फैक्टरी में काम करनेवाला मजदूर इसलिये बराबर इसका विवाद रहा है कि "प्रोलिटेरियट आर दि वेंगार्ड आफ दि रेवोल्यूशन" अर्थात् सर्वहारा ही जनक्रांति का अगुआ होगा।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी विधेयक पर आ जाइये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं विधेयक पर ही आ रहा हूं। इन शब्दों के साथ जो खेल खेला जा रहा है इस विधेयक में वह जरा सा मैं खोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--वह बराबर खुला करता है। आप विधेयक पर आइये।

श्री राजनारायण--इस विधेयक में प्रोलिटेरियट् आफ दि प्रोलिटेरियट का नारा लगा कर इस कंट्रोल की व्यवस्था का औचित्य साबित करने की कोशिश की जा रही है मैं इसको नहीं चाहता और इसका विरोध कर रहा हूं। मैं निहायत अदब के साथ विनम्र शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि लेनिन को भी कहना पड़ा कि प्रोलिटेरियट का मतलब बोल्शेविक नहीं समझे।

फिर लेनिन ने इस सिद्धान्त को और अच्छी तरह से खोला और उन्होंने कहा कि प्रोलिटेरियट का अर्थ जो यह लगा कर चले कि मजदूर वर्ग की ही अधिनायक शाही हो वह बराबर गलती करेंगे क्योंकि उस समय रशा में मजदूर आर्गनाइज नहीं थे, फैक्ट्री डेवलप नहीं थीं, वह एक एग्रीकल्चरल कंट्री था और डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलिटेरियट के नारे के नाम में वह कहते थे कि यहां सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं होगा। आज पं० जवाहर लाल नेहरू सोशलिस्टिक पैटर्न की आड़ में एक मौन व्याख्यान दे रहे हैं कि अभी समाजवादी समाज की व्यवस्था इस हिन्दुस्तान में नहीं हो सकती, अभी धन का समुचित बटवारा हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता। अभी सही मानों में विषमता को मिटाने का समाज हिन्दुस्तान में नहीं बन सकता। इस आड़ को खो दो तब जा कर सही अर्थ में स्थिति का अन्दाजा होगा। सही चीज तब सामने आयेगी। क्या वह परिस्थिति आज हिन्दुस्तान में नहीं है ? आज जब सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि सत्ता का बटवारा हो, आज जब सोशलिस्ट पार्टी कहती है

[श्री राजनारायण]

कि कंट्रोल हटे तो सोशलिस्ट पार्टी के लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी जैसे लोग कहते हैं कि किस सोशलिस्ट समाज में कंट्रोल नहीं है ? बड़ा अनर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूं कि लोगों का कंट्रोल है, यह नहीं है। हिन्दुस्तान में जो अपने को सोशलिस्ट कहाने वाला तबक़ा जो है, जो समाज है, जो नेता है, व्यक्ति है, वह समाजवादी सिद्धान्त का नारा लगा कर कंट्रोल रखना चाहते हैं या नहीं ? जो समाजवादी सिद्धान्त को अच्छे रूप से मानने वाले इन्सान होंगे वह कंट्रोल के विरोधी होंगे। वह कंट्रोल को हरगिज़-हरगिज़ नहीं मान सकते।

अब श्रीमन्, एक व्यवस्था है, जरा ख्याल करें। आप श्रीमन्, कहेंगे कंट्रोल का मतलब अन-कंट्रोल नहीं। कंट्रोल और अनकंट्रोल बड़े भ्रामक शब्द हैं। कंट्रोल शब्द का प्रयोग करके भी अनकंट्रोल्ड रहना चाहती है यह हुकूमत। याद रखियेगा कि कंट्रोल शब्द का प्रयोग करके यह सरकार मनमाना करना चाहती है, अपनी हुकूमत के अस्तित्व को कायम रखने के लिये उन लोगों के हाथ में बिजली का उत्पादन देना चाहती है, उन लोगों को बिजली लगाने का लाइसेंस देना चाहती है कि जो कांग्रेस के छोटे हिस्से हैं और जो माननीय मंत्री जी के विशेष कृपा पात्र हैं। मैं नहीं चाहता कि यह हो।

अब एक सवाल आया कि क्या आज का जो समाज है यह समाज अगर मिटाने के लिये कोई क्रान्ति हो तो उस क्रान्ति के बाद ठीक सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। सवाल तो इतना ही है न। इससे किसी ने एतराज नहीं किया, मैं समझता हूं कि पालीवाल जी ने भी इस बात को नहीं माना है कि सरकार की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह गांधीवादी दर्शन में विश्वास करते हुए भी सरकार के एक मंत्री रह चुके हैं। अगर वह सरकार की आवश्यकता न समझे होते तो वह उस सरकार मंत्री के रूप में न रहे होते। अब सवाल केवल इतना ही रह गया कि वह सरकार आज सत्ता के बटवारे के सिद्धांत में विश्वास करने वाली है ? क्या वह सरकार सत्ता को कानून के जरिये हाथ में ले रही है या पकड़ रही है या बांट रही है ? इतना ही तो सवाल है। मैं समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी हमसे सहमत होंगे कि यही उनका मतलब था। अब हमें यह बताया जाय कि यह जो विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है उसमें सरकार के हाथ में सत्ता ज्यादा जा रही है या जनता के हाथ में सत्ता ज्यादा जा रही है ? अगर हम कहेंगे कि कंट्रोल न हो तो सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा जायगा कि यह तो व्यक्तिगत पूंजीपतियों के हाथ में बिजली उत्पादन का साधन देना चाहते हैं और यह सरकार उन पर कंट्रोल लगाना चाहती है इसके यह लोग विरोधी हैं। यही बात तो तर्क में आयेगी। अगर यह नहीं आयेगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं समझूंगा कि हम लोग यहां पर समझ कर के बोल रहे हैं। जब यह बात नहीं है तो आज बिजली का उत्पादन इस सरकार को १० वर्ष कायम होने के बाद भी क्यों नहीं जनता के हाथ में गया ? यह सरकार जो जनता के विकृत रूप में प्रतिनिधि है और वह प्रतिनिधि अपने को हुकूमत करने वाला मानती है तो इस हुकूमत के द्वारा सारी बिजली का उत्पादन करने की व्यवस्था क्यों नहीं हुई और आज व्यक्ति विशेष के हाथ में बिजली के उत्पादन की व्यवस्था क्यों है ?

श्रीमन्, मैं सदा गवर्नमेंटाइज़ेशन और नेशनलाइज़ेशन में बराबर फर्क करता रहा हूं। आज भी इसमें फर्क करना चाहता हूं। यह न समझ लिया जाय कि अगर सारी ताकत इस सरकार के हाथ में आ जायगी तो जनता सुखी हो जायगी। इस सरकार के हाथ में सारी ताक़त होने पर जनता की मुसीबत बढ़ेगी। इसलिये हम कहते हैं कि गवर्नमेंटाइज़ेशन, नेशनलाइज़ेशन और सोशलिज्म में फर्क जो है उसको समझा जाय। क्या इस सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे जनता के हाथ में सही मायने में ताकत आयी हो और जनता के द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर बिजली का उत्पादन किया जा सका हो और इस मनोवृत्ति को उकसाने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न हुआ है ? कोई भी प्रयत्न नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि दो वर्ष के लिये इसकी अवधि और बढ़ा दी जाय और दो साल के लिये उसको और ताक़त दे दी जाय। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही निन्दनीय मनोवृत्ति है और जितनी मजबूती के साथ सरकार की इस मनोवृत्ति का विरोध हो सकता है किया जाना चाहिये।

मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि मैं राजनीति में दयनीय भाव दिखा कर दया का पात्र नहीं बनना चाहता हूं। इसलिये मैं उन शब्दों को बयान नहीं करना चाहता हूं जिन शब्दों को माननीय परिपूर्णानन्द ने अपनी तुच्छ बुद्धि के लिये कहा है कि वह पालीवाल जी की बात को नहीं समझ सके। उनकी तुच्छ बुद्धि हो सकती है और वह दया का भाव दिखाकर माननीय सदस्यों की कृपा अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करें यह उनके लिये ही शोभनीय है; लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति जनहित विरोधी है। माननीय परिपूर्णानन्द जी सरकार की नीति का समर्थन करते रहे इसका चाहे जो भी कारण हो। अगर यहां सरकार की ओर से यह विधेयक लाया जाय कि बिजली पर कंट्रोल न रहे तो परिपूर्णानन्द जी एक मिनट में बदल जायेंगे और तुरन्त ही माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देने के लिये खड़े हो जायेंगे और आज तक सदन में ऐसी बात नहीं देखी गयी जिससे मालूम हो कि उन्होंने माननीय मंत्री जी का विरोध किया हो।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य सरकार के पक्ष का समर्थन करने वाले हैं तो वह कंट्रोल और डिकंट्रोल के सिद्धान्त को समर्थन करें तो वे अच्छी तरह से समझ लें, महात्मा गांधी की बात समझ लें, इंग्लैंड की बात समझ लें, अमेरिका की बात समझ लें, रूस की बात समझ लें और सारी परिस्थितियों को एक जगह पर रखें। इंग्लैंड में लड़ाई के युग में जब कंट्रोल हुआ था और जिस वस्तु का कंट्रोल हुआ है उसकी मात्रा निर्धारित कर दी गयी थी कि प्रत्येक व्यक्ति इतने से ज्यादा इस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह का कंट्रोल वहां पर नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को चाहे उसको कपड़ा देगी और जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं देगी। क्या यह कंट्रोल हुआ कि जिस व्यक्ति को आप चाहें बिजली दें और जिसको न चाहें उस को बिजली न दें? यह कंट्रोल कहां हुआ? अनियन्त्रित ताक़त अपने हाथ में लेने के लिये यह विधेयक लाया गया है। माननीय परिपूर्णानन्द जी कहते हैं कि ट्यूबवेल के लिये बिजली की आवश्यकता है। कौन कहता है कि ट्यूबवैल के लिये बिजली की आवश्यकता नहीं है? हम इस बात को जानते हैं और इस सदन में अपना मत व्यक्त करते रहे हैं। हिन्दुस्तान में जहां ३/४ एकड़ जमीन का परता पड़ता है एक खेतिहर का, वहां ट्यूबवेल बहुत हितकारी नहीं हो सकता है। हां, रूस में जहां ३० एकड़ और अमरीका में जहां ७० एकड़ का पड़ता है वहां ये सफल हो सकता है इसलिये हमने पहले कहा था कि हर १० बीघे पर सरकार एक कुवां बनवावे ताकि लेबर बरबाद न हो। मगर सरकार ने मनमाने ढंग से काम किया।

आज चारों ओर त्राहि-त्राहि मची है। हमारे जिले में मची हुई है, और श्रीमन्, आपके में भी मची होगी। ग़रीब जनता आधे एकड़, १ एकड़ और २ एकड़ रखने वाली कहती है कि हम अपने खेत की सिंचाई कैसे करें और बैल से सिंचाई का तरीका जिसे नारमोट कहते हैं, आप की ओर भी कहते होंगे, वह भी गया। हमारी सारी श्रम शक्ति बरबाद हो रही है साथ ही ऊंचा रेट सिंचाई का हमारी जनता को देना पड़ रहा है। सरकार का यह निकम्मापन है। पालीवाल जी ने कहा कि वही गवर्नमेंट अच्छी होगी जितनी दूर तक वह जनता पर अपना नियंत्रण कम रखेगी। सरकार का नियंत्रण जितना ही बढ़ता जायगा, जनता की स्वतंत्रता उतनी ही हटती जायगी और जनता की स्वतंत्रता जितनी बढ़ती जायगी सरकार का नियंत्रण उतना ही कम होता जायगा। अब इसमें वाद-विवाद होगा। वह तो नवलकिशोर जी या दूसरे लोग ही कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिये समय नहीं है। माननीय पालीवाल जी ने उसके उद्देश्य और कारण को पढ़ लिया है, इसलिये मैं उसके ब्योरे में जाना नहीं चाहता हूं। मैं इसका पक्षपाती हूं कि बिजली का उत्पादन का समाजीकरण होना चाहिये, कन्ट्रोल की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये और अगर कंट्रोल की आवश्यकता है तो उसकी मात्रा नियंत्रित रूप में सब को मिलनी चाहिये। यह सरकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिये कि जिसे चाहे बिजली दे जिसे न चाहे उसे न दे। यह सरकार भ्रष्ट मानी गयी है और जन विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो उठी है और होगी। उसे कोई रोक नहीं सकता है।

[श्री राजनारायण]

कांग्रेस के रिजोल्यूशन की बड़ी चर्चा की गई। कन्ट्रोल्ड इकोनामी की बड़ी भारी व्याख्या माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कर दी कि हर सोशलिस्ट कंट्रोल्ड इकोनामी को मानता है। कंट्रोल्ड इकोनामी के मानी हैं कि जो जितना ही ग़रीब हो उसके ऊपर टैक्स का बोझ अधिक और जो जितना धनी हो उसे उतनी ही छूट हो। यह बात माननीय परिपूर्णानन्द जी को ही मुबारक हो। मगर हमारे प्रदेश की जनता तो इसमें पिस रही है और घुल रही है। आज कन्ट्रोल्ड इकोनामी का भ्रामक नारा लगाकर प्रदेश की जनता को चक्की में पीसने की नीति का इस सरकार की जबरदस्त विरोध होना चाहिये। उन्होंने डिक्टेटरशिप कहा, उसका हमने अर्थ कर दिया। एक बात मैं पालीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने गुसाईं तुलसीदास जी की एक चौपाई का आधा हिस्सा कहा है कि 'प्रभुता पाइ काहि मद नहीं।' अच्छी और सुन्दर चौपाई है। इसे याद रखना चाहिये लोगों को। गोसाईं तुलसीदास जी से ही हम इसका जवाब दिलाना चाहते हैं। श्रीमन् तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है --

"जो अंचवत मातहि नृप तेई, नाहिन साधुसभा जिन सेई।"

चित्रकूट पर जब लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और क्रोध में वे कहते हैं कि मैं भरत को मारूंगा --

"जो सहाय कर शंकर आई, तदपि हतों रण राम दुहाई"

उन्होंने यह भी कहा--

"भरतहिं दोष देई को जाये, जग बौराय राजपद पाये।"

यह तो बालबुद्धि रही, लेकिन राम जो हमेशा मर्यादित पुरुष माने जाते रहे हैं उन्होंने मर्यादा की बात कही। उन्होंने लक्ष्मण से कहा--

"जो अचवंत मातहि नृप तेई, नाहिन सभा साधु जिन सेई।"

वह राजा राजगद्दी पाकर मतवाला हो जाता है जो साधुओं का संग नहीं करता। तो आज यह कांग्रेस सरकार साधुता को त्याग चुकी है, जो महात्मा गांधी के सिद्धान्त थे उनको भूल चुकी है, टेक्टिक्स और मनोवरिंग में यकीन करने वाली यह सरकार है, आज उसके हाथ में शासन की बागड़ोर पड़ गयी है; लेकिन जो शासन की बागडोर को ठुकराने वाले हैं, उसको ठुकराने को तैयार हैं वे ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से.....

श्री अधिष्ठाता--बार-बार किसी माननीय सदस्य का नाम लेना उचित नहीं है।

श्री राजनारायण--यह डिक्टेटरशिप की मनोवृत्ति हम में नहीं होनी चाहिये कि हम ही इस काम को कर सकते हैं। यह "हमी" की मनोवृत्ति तानाशाही की मनोवृत्ति है। इसलिये ये सारे जाल बिछाये जा रहे हैं, सारे व्याख्यान हो रहे हैं और कहते हैं कि हमी इलेक्शन जीत सकते हैं और नहीं। जनता का मत अच्छी तरह से प्रदर्शित होने दो, जनता को शिक्षित होने दो, दीक्षित होने दो, जोखिम उठाओ, तब जाकर जनता कहीं शिक्षित होगी कि वह शासन की बागडोर पकड़े। तब जाकर जनता को न तो हम ही धोखा दे पायेंगे और न यह वर्तमान सरकार ही धोखा दे पायेगी; लेकिन आज तो चारों ओर से लुभावने शब्द इस्तेमाल करके जनता को भुलावे में डालने की कोशिश की जाती है। इस बुद्धि विभ्रमजन्य भ्रान्ति का पर्दा आपको खोलना होगा। सरकार तो आज सोशलिस्ट नीति का नाम लेकर दकियानूसी नीति को अपनाती है और कंट्रोल पर चलने वाली नीति से साधनों और वितरण पर कन्ट्रोल जमा कर जनहित और जनशक्ति की अवहेलना करती जा रही है और जनभावनाओं को पीछे ढकेलती जा रही है। इस भावना के बढ़ावा देने का हम विरोध करते हैं।

इस संशोधन विधेयक के जरिये सरकार कितनी पावर अपने हाथ में लेती जा रही है। उन्होंने इसमें ऐसा कह दिया है "विगत कुछ समय से सरकार ऐसी स्थितियों का, जिनमें लाइसेंसदार, अपने लाइसेंसों द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों का पूर्णरूप से तथा कुशलतापूर्वक निर्वहन नहीं करते, सामना करने में कठिनाई का अनुभव करती रही है।" मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी वह कठिनता रही है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुभव किया है और इन कठिनाइयों को अनुभव किया तो फिर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? ऐसे कितने लोगों के हाथों से उत्पादन को छीना गया। यूज़ करने वालों के लाइसेंसों को अवश्य छीना गया है; लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जितने प्राइवेट कम्पनी वाले हैं उनमें से कितनों के लाइसेंसों को सरकार ने छीना है? आगे देखा जाय श्रीमन्, "सरकार के पास कर्मचारिवर्ग के अकुशल होने तथा अनियमित ढंग से बिजली सम्भरण किये जाने की शिकायतें तथा एक न एक कारण से पावर हाउसों को बन्द कर दिये जाने की धमकी वाले नोटिस आते रहते हैं।"

आखिर श्रीमन्, इसके क्या माने हैं? सरकार के पास जो कर्मचारी हैं, वे अकुशल हैं, यह सरकार खुद कहती है। अगर हम इसी बात को कहते तो सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि ये तो सबको अकुशल ही मानते हैं, जितने कर्मचारी हैं सबका ये विश्वास ही नहीं करते हैं। तो ये कर्मचारी अकुशल हैं और इन अकुशल कर्मचारियों को लेकर जो कंट्रोल होगा वह घातक होगा, गला काटू होगा, गला घोटू होगा। फिर सरकार क्यों कंट्रोल करती है? क्यों अकुशल कर्मचारियों के हाथ में इतनी बड़ी ताक़त देना चाहती है? क्या इसका कोई समुचित उत्तर है, न्यायोचित उत्तर हुकूमत के पास है? फिर आगे कहा जाता है—"अतः यह आवश्यक हो गया है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० की धारा ४ का संशोधन करके प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक उपबन्धों का समावेश कर दिया जाय। इससे सरकार लाइसेंसदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में समर्थ हो सकेगी जिससे राज्य की जनता को कुशलतापूर्वक बिजली का सम्भरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।"

क्या सरकार के पास शक्ति नहीं थी कि वह लाइसेंसों को रद्द कर दे? और जब इतनी बड़ी शक्ति राज्य सरकार को पहले से प्राप्त थी तो राज्य सरकार ने इन अकुशल कर्मचारियों से जनता को त्राण दिलाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है? सन् १९४७ से लेकर आज तक इन अकुशल कर्मचारियों के हाथों से जो जनता पिसी जा रही है उसके लिये सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गयी? यह विधेयक निकम्मा है, यह वेग है। श्रीमन्, देखा जाय कि यह हुकूमत इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० की धारा ४ में अमेंडमेंट करना चाहती है। वह चाहती है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ४ में (१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः इस सदन के सम्मानित सदस्य इस उपधारा (२) से अवगत हो जायं इसलिये मैं इसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। यह धारा इस प्रकार से है—"ह्वेयर प्रावंशियल गवर्नमेंट.....

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को उपधारा (२) क्या है उससे अवगत करा देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"(2) Where the Provincial Government might, under sub-section (1) revoke a license it may, instead of revoking the license, permit it to remain in force subject to such further terms, and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms and conditions so imposed shall be binding upon, and be observed by the licensee, and shall be of like force and affect as if they were contained in the license."

[श्री राजनारायण]

माननीय सदस्यों ने इसको सुन लिया न ? इसकी जगह जो धारा आ रही है उसको हिन्दी में किये देता हूं। इसमें दिया हुआ है कि जहां प्रादेशिक सरकार सब-सेक्शन १ के अनुसार लाइसेन्स को रद्द करना जरूरी समझती है वह लाइसेंस को विदिहोल्ड न कर के, ऐसी शर्तें लगा सकती है कि जिन पर लाइसेंसी को चलना होगा और वह जो लाइसेन्स लेने वाला व्यक्ति है उसे सरकार की टर्म्स और कन्डीशन्स को मानना होगा। यह १९१० का ऐक्ट है जिसकी चौथी धारा की बात कही जा रही है जिसको जगह पर वह वाक्य बदला जा रहा है। उसमें और इसमें क्या भेद है और इसकी बारीकी में बाद को सदन के सामने पेश करूंगा। सरकार को शर्त लगाने का अधिकार पहले से रहे, टर्म्स देने का अधिकार पहले से हो और जो शर्त और कन्डीशन्स सरकार देगी उनको मानने के लिये मजबूर है यह भी पहले से ही इसमें है। सब-सेक्शन १ क्या है यह भी मैं आप के द्वारा सदन को बता दूं। चौथी धारा का सब-सेक्शन १ कह रहा है कि:

"Provincial Government may if in its opinion the public interest so requires, revoke a license in any of the following cases, namely :"

यानी प्रादेशिक सरकार इन नीचे लिखी बातों में अगर जनहित की दृष्टि से उचित समझती है तो वह लाइसेंस को विदहोल्ड कर सकती है।

अब वह शर्त क्या है उनको मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह से सुन लें; क्योंकि यह सरकार अनियंत्रित रहना चाहती है, यह सरकार अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहती है, यह सरकार स्वतः मर्यादाविहीन रहना चाहती है, वह अपने को मर्यादित नहीं रखना चाहती है और इसलिये वह यह संशोधन ला रही है और यदि यह सरकार किसी मर्यादा में रह कर चलने वाली होती तो वह जनहित के नाम पर ऐसा संशोधन न लाती। उसमें है:

"Where the licensee, in the opinion of the (Provincial Government) makes willful and unreasonably prolonged default in doing anything required of him or under this Act."

अगर लाइसेंस लेने वाला इस कानून के मातहत जानबूझ कर अगर कोई अनुचित काम लम्बी अवधि तक करता है तो सरकार को लाइसेन्स रोक देना चाहिये। अब दूसरी बात जो है:

"Where the licensee breaks any of the terms or conditions of his license the breach of which is expressly declared by such license to render it liable to revocation."

जहां पर लाइसेन्स लेने वाला लाइसेन्स की शर्तों का जानबूझ कर उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेन्स रद्द किया जाना चाहिये। (सी) ह्वेयर दि लाइसेन्सी फेल्स.....

श्री अधिष्ठाता--आपको पूरा पढ़ने में बहुत समय लगेगा आप संक्षेप रूप में ही उसको बता दें।

श्री राजनारायण--मैं आपकी मंशा को समझ गया इसलिये पूरा अनुवाद मैं नहीं कर रहा हूं केवल उसका भाव ही बता रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं आपका माननीय अधिष्ठाता महोदय।

"4. (1)(c) where the licensee fails, within the period fixed in this behalf by his license or any longer period which the (Provincial Government) may substitute therefor by order under sub-section (3), clause (b), and before exercising any of the powers conferred on him thereby in relation to the execution of works."

अगर इन कामों को पूरा करने में लाइसेंसी फेल करता है तो सरकार को उसका लाइसेंस रिवोक करना चाहिये।

"(i) to show, to the satisfaction of the (Provincial Government), that he is in a position fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on him by his license, or

(ii) to make the deposit or furnish the security required by his license;

(d) where the licensee is, in the opinion of the (Provincial Government), unable, by reason of his insolvency, fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on him by his license."

श्रीमन्, अब मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आदरणीय सदन देखे कि पुराने ऐक्ट में, इंडियन ऐक्ट में, जो प्रान्तीय सरकार के कर्तव्य हैं एक लाइसेंसी के बारे में क्या वह अधूरे हैं ? क्या प्रान्तीय सरकार अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी ? मैं समझता हूं कि उस ऐक्ट में प्रान्तीय सरकार को इतना अधिकार दिया गया है कि प्रान्तीय सरकार अपने टर्म दे सकती है, प्रान्तीय सरकार लाइसेंस के अन्दर किन्हीं शर्तों को लिखवा सकती है और जनहित की दृष्टि में अगर लाइसेंसी उन कामों को पूरा नहीं करता है, तो प्रान्तीय सरकार उसके लाइसेंस को ले सकती है। इतने व्यापक अधिकार प्रान्तीय सरकार को पुराने ऐक्ट के मातहत मिले हुए हैं। मगर अब उस पुराने कानून को हटा करके पुराने कानून की धाराओं की जगह पर यह प्रान्तीय सरकार क्या रखना चाहती है और क्यों रखना चाहती है, इसी का विश्लेषण इस सदन में होना चाहिये। प्रान्तीय सरकार रख रही है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० की धारा ४ की उपधारा २ के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाय। उपधारा २ जो थी जिसमें गवर्नमेंट कोई कंडीशन रख सकती थी पहली उपधारा के काम को पूरा करने के लिये, अब उसकी जगह पर सरकार यह रख रही है।

"(2) Where the State Government might, under sub-section (1), revoke a license, it may, instead of revoking the license—"

अब यह कहता है जहां सरकार धारा १ के मुताबिक लाइसेंस को रिवोक करना चाहती है तो वह लाइसेंस को रिवोक करने के अतिरिक्त इन-इन कामों को भी कर सकती है।

"(i) permit it to remain in force subject to further terms and conditions as it thinks fit to impose."

यही भाषा इसमें भी लिखी हुई है।

"it may, instead of revoking the license, permit it to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose."

बिल्कुल एकदम मक्षिका स्थाने मक्षिका रखा हुआ है। आगे देखा जाय—

"and any further terms or conditions so imposed shall be binding upon, and be observed by the licensee, and shall be of like force and effect as if they were contained in the license, or"

पुराने ऐक्ट में भी यही भाषा है।

"and any further terms or conditions so imposed shall be binding upon, and be observed by, the licensee, and shall be of like force and effect as if they were contained in the license."

क्या फर्क है। हूबहू एक वाक्य का भी फर्क नहीं है। अब इसका राज आगे खुलेगा। आगे पढ़ कर देखा जाय। दूसरा इस प्रकार है... issue any direction.

अब दूसरा यह सरकार क्या रखवाना चाहती है जो कि इसके दूसरे में नहीं है, चौथे के दूसरे में जो कि इस विधेयक के मातहत रखवाना चाहती है वह यह है—

"issue any direction for the execution of the work by the licensee or by any other person for and on behalf of and at the cost of the licensee, and any such directions shall be binding upon the licensee and be complied by him."

[श्री राजनारायण]

अब सरकार यह एक बात जो उसमें इजाफा करना चाहती है जो उसमें संशोधन, परिवर्द्धन, बढ़ोत्तरी, करना चाहती है यह चाहती है कि जो कोई भी डाइरेक्शन, एनी डाइरेक्शन जो भी हिदायत, डाइरेक्शन, हुक्मनामा, चाहे वह लीगल हो चाहे इल्लीगल हो, सरकार आंख मूंद कर के जो हिदायत दे उस हिदायत के अनुसार वह लाइसेंसी काम करे और आज यह सरकार इस बात को नहीं मानती है कि—

"Disobedience of an illegal order does not amount to an offence."

इसको यह सरकार नहीं मानती है। इसीलिए उसके तमाम कायदे कानून हाई कोर्ट द्वारा टूटते हैं। अब यह चाहती है कि जो कोई भी हिदायत यह आंख मूंद कर दे दे उसको लाइसेंस लेने वाले को मानना ही पड़ेगा। यह सरकार उसे मनवायेगी डंडे के जोर पर और उसमें जो खर्च होगा वह लाइसेंसी को देना पड़ेगा।

आगे क्योंकि पुराने ऐक्ट में यह बात नहीं थी, अब इस नये ऐक्ट में यह लिख रहे हैं उपधारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा २—ए के रूप में लिख दी जाय। (२—ए) क्या नयी खूबी ला रही है, क्या नयी बहार पैदा करना चाहती है,

"Any expenditure incurred by such other person for execution of any work under and in pursuance of the directions issued under clause (ii) of sub-section (e) shall be realizable from the licensee as arrears of the land revenue."

अब यह हुकूमत चाहती है कि यह लाइसेंसी के लिए जो कुछ बेहूदा से बेहूदा आर्डर पेश करे, लाइसेंसी फोर्स्ड होकर के, बाध्य होकर के, कम्पेल्ड होकर के, उसे मानेगा और लाइसेंसी से मनवाया जायगा और ऐट दी कास्ट आफ दी लाइसेंसी, उसका सारा का सारा खर्चा लाइसेंसी को देना पड़ेगा और यदि लाइसेंसी उस खर्चे को उचित रूप से नहीं देगा तो जिस तरह से लैंड रेवेन्यू रियलाइज किया जाता है जिसमें कि सजा भी हो सकती है, कुर्की भी हो सकती है, नीलाम भी हो सकता है, उस लैंड रेवेन्यू की तरह जो इस सरकार के गलत से गलत आदेश को मनवाने में खर्च होगा वह रकम उस लाइसेंसी से वसूल की जायगी। इस विधेयक के अन्दर हुकूमत इतना अधिकार लेना चाहती है।

अब मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण है या सत्ता का केन्द्रीकरण है? यह सही माने में कंट्रोल है या सही माने में डी-कंट्रोल है? यह सरकार अपने को किसी मर्यादा से कंट्रोल न होने देने के लिए इस तरह का विधेयक सदन में ला रही है। यह सरकार खुद अनकंट्रोल्ड होना चाहती है और कंट्रोल करना चाहती है अपने अनकंट्रोल्ड डाइरेक्शंस को फुलफिल कराने के लिए। तो जो सरकार अनकंट्रोल्ड हो करके अपने अनकंट्रोल्ड डाइरेक्शंस को कंट्रोल करना चाहेगी, जो हुकूमत स्वतः अमर्यादित हो करके, अनियंत्रित हो करके जनहित दृष्टि से अलग हो करके अपने नापाक डाइरेक्शंस और इरादे को किसी लाइसेंस लेने वाले से मनवाना चाहेगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस सरकार के इरादे को न मानना ही जनतंत्र की सुरक्षा कर सकता है। उस सरकार के गलत डायरेक्शन को न मान करके ही बराबर दुनिया में जम्हूरियत की हिफाजत हुई है और श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसीलिए दुनिया में बड़े-बड़े सिद्धान्त पारखियों का कहना है, चाहे वह गांधी जी हों, चाहे वह थोरो हों, दुनिया का कोई व्यक्ति हो उसने बराबर कहा है कि इल्लीगल आर्डर, गलत हुक्म को न मानना ही दुनिया का सब से बड़ा पुनीत कर्म होता है। मगर जब जनता गलत आदेशों के सामने नतमस्तक होती है तभी तानाशाही आती है, डिक्टेटरशिप पैदा होती है और तभी अराजकता होती है डिक्टेटरशिप के रूप में। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोधी हूं। आज इस विधेयक को लाकर के इस हुकूमत ने अपने खोखलेपन को, अनप्लान्ड व्यवस्था को,

अनकंट्रोल्ड व्यवस्था को सदन के सामने रखा है और जो सरकार की खामियां, दोष और अवगुण रहे हैं उन तमाम दोषों और अवगुणों को छुपाने के लिए आज सदन में ऐसा अपवित्र विधेयक ला रही है।

इस सदन में जहां तक कंट्रोल और डिकंट्रोल की बात कही जाती है, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि परिस्थिति विशेष में यदि आवश्यक हो तो कंट्रोल हो, मगर वह एक समानता के साथ होना चाहिये, उसमें समानता का बोध होना चाहिये। जहां असमानता का बोध होगा, फेवरटिज्म का बोध होगा वहां अराजकता आकर रहेगी। इस विधेयक में इसकी गंध नहीं है। सरकार तो ताकत अपने हाथ में लेकर तमाम लाइसेंसीज को सरकार की दुम में बांधना चाहती है, सरकार के इरादे से घसीटना चाहती है और मैं देखता हूं कि इस तरह की सरकार दुनिया में न कभी जनहित का साधन बन सकी है और न रही है।

इसलिए इस तरह के सुन्दर वाक्यों का जाल बिछा करके, चाहे वह वेदान्त के हों, चाहे रामायण के हों, चाहे ईस्टर्न डेमोक्रेसी के हों, चाहे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हों, हम उस वाद-विवाद में न जाकर, जो सामयिक वस्तु-जगत है उसका तकाजा करना चाहते हैं। वस्तुजगत का आदेश है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, समता का समाज हो, चाहे वह समता सामाजिक क्षेत्र की हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो, जब तक समता के सिद्धान्त को लेकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त नहीं अपनाया जायगा तब तक सही माने में स्वराज्य की कल्पना पूरी नहीं होगी, चाहे वह बराबरी की कल्पना हो, राष्ट्र की कल्पना हो, हमारी कल्पना हो। हम चाहते हैं कि समानता का समाज हो, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, कंट्रोल नाम की चीज हो, मगर हो तो समता का कंट्रोल हो, बराबरी का कंट्रोल हो। मगर बराबरी का नाम न लेकर केवल सरकार अपने नापाक इरादे को कामयाब करने के लिए कंट्रोल का नाम लेती है, इसके इरादे का विरोध होना चाहिये। इसलिये मैं इसका विरोधी हूं और मैं चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य जम करके, डट करके, साहस के साथ इसका विरोध करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे इस विरोध का अर्थ यह नहीं है कि प्रदेश में बिजली के उचित नियंत्रण, उत्पादन और वितरण की आवश्यकता नहीं है। मेरे विरोध का यह भी अर्थ नहीं है कि इस प्रदेश में बिजली के वितरण, उत्पादन और नियंत्रण का प्रश्न कोई हल हो गया है, या इसके हल होने की कोई शीघ्र सम्भावना है। मेरा तो उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार इस नियंत्रण के सम्बन्ध में विद्युत् विभाग की पिछले वर्षों में नीति रही है वह इतनी अस्पष्ट रही है कि उसे एक मात्र-नाम का नियंत्रण कहा जा सकता है। नियंत्रण जिन परिधियों के सम्बन्ध में होना चाहिये, उनमें नहीं हुआ है और जिनमें हुआ है वह नितान्त अवांछनीय और अनावश्यक रूप से हुआ है। मैं इस संबंध में दो तीन प्रश्न सरकार से करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इन प्रश्नों का उत्तर सरकार नहीं देगी क्योंकि पिछले वर्ष भी जब मैंने प्रश्न पूछे थे इस सम्बन्ध में तो समय का बहाना बतला कर सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिया गया। मेरा पहला प्रश्न यह है कि अगर सरकार इसके नियंत्रण की आवश्यकता समझती है तो केवल दो वर्ष के लिये क्यों करना चाहती है? क्या सरकार समझती है कि दो वर्ष में यानी सितम्बर १९५८ तक बिजली का उत्पादन, वितरण और नियंत्रण की समस्या का हल हो जायगा? यह एक प्रश्न ऐसा है जिसका सरकार ने उत्तर नहीं दिया।

श्रीमन्, इस विधेयक का इतिहास आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सन् १९३७ ई० में इस सदन ने बिजली का ऐक्ट पास किया। इसके बाद १९४२ में ब्रिटिश हुकूमत ने डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार इसको आज्ञा का रूप प्रदान किया। १९४६ में असेम्बली ने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पास किया और १९४७ में यह केवल एक वर्ष के लिये लाया गया। उस समय यदि वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा जाय तो विदित होगा कि उन्होंने कहा था कि एक साल के लिये इसकी आवश्यकता है। फिर दो साल के लिये १९४८ में मांग की गई कि १९५० तक इसकी आवश्यकता होगी और फिर १९५० में मृगमरीचिका की तरह इसको दो साल के लिये यानी १९५२ तक के लिये बढ़ाया गया। १९५२ में फिर कहा गया कि १९५४ तक के लिये कर दिया जाय। उनके मुखारबिन्दु से निकले हुये शब्द हैं कि दो साल के लिये शक्ति दे दी जाय। १९५४ में फिर दो साल के लिये मांग की गई और अब १९५६ में अब फिर यह उपस्थित है और दो साल के लिये मांग की जा रही है। यह सातवीं बार कहा जा रहा है कि दो साल में समस्या हल होने वाली है इसलिये दो साल की शक्ति हमें दे दी जाय, तो इस तरह से शक्ति की मांग करने का क्रम कब तक चलता रहेगा। या तो सरकार यह कह दे कि लिमिटेड टाइम के लिये कंट्रोल की बात नहीं है। सरकार को अनलिमिटेड टाइम के लिये कंट्रोल की आवश्यकता है। यह समस्या दो साल में हल होने वाली नहीं है तो फिर १९५६ से १९५८ कर दिया जाय यह क्या बात है। सरकार कहे कि जब तक समाप्त न कर दिया जाय तब तक चलने वाला है। अगर ऐसी बात सरकार कहे तब तो समझ में आती।

आखिर क्या सरकार समझती है कि १९५८ में बिजली की मांग बढ़ने वाली नहीं है। अगर सरकार द्वारा दिया हुआ उत्तर सही है कि जनता का रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा तो इसका अर्थ होगा कि बिजली की मांग भी बढ़ेगी। सप्लाई और डिमांड का जो एक प्राकृतिक नियम है वही लागू होगा। एक तरफ तो उत्पादन बढ़ेगा और दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में तथा गृह उद्योग धंधों के लिये बिजली की जरूरत होगी। जितना बिजली का उत्पादन बढ़ेगा उसी अनुपात से बिजली की मांग भी बढ़ती चली जायगी। इस दृष्टि से उत्पादन और वितरण की समस्या बनी रहेगी। अगर यह बात सही है, यह एक ऐतिहासिक सत्य है जो नियोजन से प्रस्फुटित होता है तो फिर सरकार इसकी दो साल की परिधि क्यों रखना चाहती है?

फिर सोचने की बात यह है कि आज बिजली की मांग हमारे प्रदेश में कितनी है, योजना क्या है। यह ठीक है कि शारदा का पावर हाउस बन गया, चाहे सन् ५० में बनने वाला पावर हाउस सन् ५६ में बना इससे कोई मतलब नहीं। पथरी का पावर हाउस सन् ५० में बनने वाला था वह भी सन् ५६ में, ६ साल बाद बना मगर बन गया। माननीय मंत्री जी इसे सफलता का बड़ा प्रतीक मानते हैं। इस सदन की माननीय एस्टीमेट्स कमेटी को बिजली विभाग के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये दो साल हो गया लेकिन हमको आज तक यह पता नहीं कि एस्टीमेट्स कमेटी के जो सुझाव इस सम्बन्ध में थे उनका क्या हुआ। बिजली का उत्पादन थोड़ा अवश्य बढ़ा लेकिन मांग उसके अनुपात में ५, ६ गुनी बढ़ गयी। सन् ५२ में माननीय मंत्री जी ने इस सदन को बतलाया था कि ७ लाख किलोवाट बिजली की मांग आ चुकी है। आज मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सन् ५६ में बिजली की आवश्यकता कितनी है। इंडिस्ट्रियल परपजेज के लिये, डोमेस्टिक परपजेज के लिये और ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिये। इसके कोई आंकड़े उन्होंने हमारे सम्मुख नहीं रखे कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अगर माननीय मंत्री जी ने डिमांड और सप्लाई दोनों के आंकड़े दिये होते तो सदन किसी निश्चय पर पहुंच सकता था। लेकिन माननीय मंत्री जी ऐसा करने में असमर्थ रहे। सप्लाई के आंकड़ों को अगर हम लें तो इस समय जो स्टेट-ओन्ड एंटरप्राइजेज और प्राइवेट-ओन्ड एंटरप्राइजेज प्रदेश के अन्दर हैं, इन दोनों को मिलाकर लगभग सवा दो लाख किलोवाट बिजली उत्पादित हो रही है। लेकिन इसमें भी आश्चर्य की बात है और यह माननीय मंत्री जी के नियंत्रण का नमूना है कि जितनी बिजली इस समय उत्पादित हो रही है उसका भी पूरा-पूरा प्रयोग

नहीं हो पा रहा है। मिसाल के लिये शारदा पावर हाउस को लीजिये। उसकी जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है क्या उसका आप उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। मुझे विभाग के एक अधिकारी ने बतलाया कि केवल शारदा ग्रिड के अन्दर ७ हजार किलोवाट बिजली इस्तेमाल हो पा रही है और बाकी १४ हजार किलोवाट गंगा ग्रिड को जा रही है जब कि योजना यह थी कि केवल १० हजार किलोवाट गंगा ग्रिड को दी जायगी। यह किस प्रकार का नियन्त्रण है। जब राजकीय बिजलीघर अपना नियंत्रण स्वयं नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करें कि जो व्यक्तिगत बिजली घर हैं उनका नियंत्रण ठीक-ठीक हो पायेगा। शारदा पावर हाउस किसी प्राइवेट व्यक्ति का बिजलीघर नहीं है। कानपुर का केसा किसी व्यक्ति का बिजली घर नहीं है। और यहां के प्रबन्ध और नियंत्रण के सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्य कई बार कह चुके हैं, मुझे अधिक कहना नहीं है।

तीसरा प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सन् ४७ में यह ऐक्ट बना और इस ऐक्ट की धारा ७ में यह लिखा है कि जो भी इस ऐक्ट का उल्लंघन करेगा उसको ६ महीने की सजा और एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह टेम्पोरेरी पावर्स (कंट्रोल) ऐक्ट की धारा ७ है। तो इन पिछले ९ साल के अन्दर जब से यह विधेयक लागू हुआ है कितने प्रासीक्युशंस इस ऐक्ट के मातहत हुये, कितनों को सजा हुई कितनों के ऊपर जुर्माना हुआ तब मालूम पड़ेगा कि यह ऐक्ट खाली पास कराने के लिये है या लागू करने के लिये भी है। अगर माननीय मंत्री जी का यह मंशा हो कि ऐक्ट हम पास कर दें और वह सुन्दर बढ़िया जिल्दों में उनके वैभागिक कक्षों में सुशोभित होती रहे तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर लागू करना है तो बताइये कि क्या कार्यवाही हुई अब तक। माननीय मंत्री जी स्वयं कहते हैं उद्देश्य और कारणों में कि बहुत सी कम्पनियां धमकी देती हैं, धमकियां दिये जाने का शब्द इस्तेमाल किया है "सरकार के पास कर्मचारिवर्ग के अकुशल होने तथा अनियमित ढंग से बिजली सम्भरण किये जाने की शिकायतें तथा एक न एक कारण से पावर हाउसों को बन्द कर दिये जाने की धमकी वाले नोटिस आते रहते हैं"। तो इन धमकी देने वाली कम्पनियों के विरुद्ध धारा ७ के अनुसार आपने कितनों पर कितनी बार जुर्माने किये हैं, कितने मैनेजरों को सजायें दी हैं कितने महीनों के लिये जेल भेज दिया इसकी न कोई रिपोर्ट बिजली विभाग की ओर से है और न माननीय मंत्री जी के भाषण से कभी आज तक पता चला तो अब कोई कैसे मान ले कि इस ऐक्ट का जितना उपयोग आप करेंगे वह ठीक ही होगा क्योंकि अब तक की बिजली के नियंत्रण में उसके उत्पादन में कोई एक भी बात आपने की है इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है।

इसके साथ-साथ इन्फोर्समेंट का सवाल आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस ऐक्ट को इन्फोर्स करते हैं। श्रीमन्, इतने महत्वपूर्ण ऐक्ट को जो सन् १९४७ से चल रहा है उसको एन्फोर्स करने के लिये केवल एक एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर और तीन सहकारी इंस्पेक्टर। केवल चार व्यक्ति। इतना बड़ा ऐक्ट जिसका संबंध तमाम यू० पी० के शहरों और देहातों में जहां कहीं भी बिजली का प्रसार है जहां इतने व्यक्तिगत बिजलीघर हैं उस काम के लिये इतना कम स्टाफ कैसे काम कर सकता है यह स्वयं सोचने की बात है। अभी आजमगढ़ में मऊ पावर हाउस के बारे में कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था और झांसी के पावर हाउस के बारे में भी माननीय कदम जी ने जिक्र किया था। नित्यप्रति ऐसी घटनायें होती जाती हैं लेकिन इस ऐक्ट के मातहत न रेगुलेशन होता है, न कंट्रोल होता, न डिस्ट्रीब्युशन होता है और न प्रोडक्शन ही होता है।

अब जहां तक सवाल है नियंत्रण का वह भी कैसा हुआ। मैं तो कहूंगा कि अगर सरकार का नियंत्रण करने का भी मंशा है तो वह भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि अगर सरकार नियंत्रण करना चाहती है तो उसका सबसे सुन्दर तरीका यही होता कि यह जितनी बिजली कम्पनियां हैं उनका समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण करती। लखनऊ और इलाहाबाद

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जैसे शहरों में आज भी मार्टिन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के जरिये से बिजली लोगों को मिलती है और यह सबसे बड़ी बिजली कम्पनी सबसे अधिक रेट चार्ज कर रही है यानी ८ आने प्रति यूनिट और इसके साथ कंज्यूमर्स को कितनी परेशानियां होती हैं यह उनको अच्छी तरह से मालूम है। तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इन कम्पनियों का समाजीकरण न किया जाय अगर बिजली के उत्पादन और वितरण का नियंत्रण करना है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है मुआविजा देने के लिये इन कम्पनियों को देने के लिये तो कम से कम वह इतना तो कर ही सकते थे कि एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट ४८ के अनुसार जिसे केन्द्रीय सरकार ने केवल प्रान्तीय सरकारों के लिये पास किया एक इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड कायम करते। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कायम करने के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९४८ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उस का उद्देश्य क्या है। सन् ४८ के इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट का उद्देश्य है:

"Whereas it is expedient to provide for the rationalisation of the production and supply of electricity, for taking measures conducive to the electrical development of the Provinces of India and for all matters incidental thereto;"

इसका उद्देश्य है कि बिजली के उत्पादन और वितरण के समीचीनीकरण के लिये भारत के प्रांतों में प्रदेशों में और बिजली के विकास के लिये जितने भी कार्य हो सकते हैं उनको करने के लिये और उसके संबंध में अधिकार देने के लिये यह ऐक्ट बनाया गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट, १९४८ और इसके आधार में यह सिफारिश की गई है कि एक बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनेगा और वह प्रांतीय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकार की ओर से जितने भी कार्य करने होंगे बिजली के संबंध में, उनके दायित्व को बरदाश्त करेगा।

सन् १९४८ में यह ऐक्ट पास हो गया और यह सन् ५६ है। आठ साल हो चुके हैं इस ऐक्ट को पास हुये केंद्र में, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बनाया। कानून रखा हुआ है सप्लाई और नियंत्रण के लिये लेकिन वह अपने विभाग के अधीन ही काम कराना चाहती है। बिजली विभाग के हाथ में सारी ताकत रहे, अपने बिजली घरों को नियंत्रित करने की और एक अनियंत्रित रूप से भी बिजली घरों को नियंत्रण करने की पावर उसको हो यह हमारी सरकार की नीति है। क्या डर है सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बनाने से? सेकिंड फाइव इयर प्लान को सरकार ने मान लिया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिखा है उसके ड्राफ्ट में, उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं उसके पृष्ठ ३५७ की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है:

"Most of the State Governments are managing their electricity undertakings through their public works departments. In conformity with the Electricity Supply Act, the States of Madhya Pradesh, West Bengal, Bombay, Delhi and Saurashtra have already, constituted the State Electricity Boards. It is expected that some of the other States would also be forming Boards in the near future. These organisations with the semi-autonomous power vested in them would be suitable for the construction and operation of power schemes, except for major projects, where the construction work may be entrusted to a special agency as the one referred to in the above paragraph."

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब प्लानिंग कमीशन ने अपने ड्राफ्ट में कहा कि अधिकतर राज्य सरकारें जो बिजलीघर हैं उनको अपने पी० डब्लू० डी० के विभागों द्वारा नियंत्रित कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बंबई और दिल्ली और सौराष्ट्र में बिजली बोर्ड बना लिये हैं और आशा इस बात की की जा सकती है कि कुछ और राज्य भी निकट भविष्य में बोर्ड बनायेंगे। इस प्रकार के बोर्डों का बनाया जाना बड़े प्रोजेक्टों को छोड़कर जितनी भी देश में पावर स्कीम्स हैं, जो चल रही है, उनके निर्माण और उनके चलाने के हेतु आवश्यक है और यह सूटेबिल यानी फायदेमंद है। आवश्यक के बजाय लाभदायक है। यह सेकेन्ड फाइव इयर प्लान के ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। पांच राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना चुके हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस राज्य को बिजली बोर्ड को बनाने में, बिजली के नियंत्रण और वितरण के लिये, इसमें क्या दिक्कत है?

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट लागू करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है। २, ४ प्राविजन उन्होंने लागू किये हैं जो लागू न करने के बराबर हैं। जैसे मिसाल के लिये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, ४८ में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्तिगत बिजली कम्पनी ५ परसेन्ट से ज्यादा मुनाफा नहीं लेगी। यह उसमें लिखा हुआ है। इस धारा को यू० पी० में लागू कर दिया गया है।

इस धारा के अनुसार प्रत्येक जिले में प्रत्येक बिजली कम्पनी मुनाफा लेती है या नहीं इसके लिये सरकार ने ११ कमेटी बैठाई जो ११ क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक उन रेट्स कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसका सदन को पता नहीं है। इस बात का कुछ पता नहीं है कि मार्टिन कम्पनी ५ परसेन्ट से ज्यादा मुनाफा लेती है या कम लेती है या दूसरी कम्पनियां जो रेट लेती हैं वह ज्यादा है या कम है इसका कोई पता नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की वितरण के सम्बन्ध में और उत्पादन के सम्बन्ध में जो नियन्त्रण की नीति है वह अस्पष्ट है और भारत सरकार की और प्रदेशीय सरकार की बिजली कम्पनी की कंट्रोल नीति में भेद है। पार्लियामेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने और इलेक्ट्रिसिटी कौंसिल बने। लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने और ५ परसेन्ट से कम मुनाफा कम्पनी को दिया जाय, लेकिन प्रदेशीय सरकार इन सुझावों को किसी तरह से मानने के लिये तैयार नहीं है। तो जहां पर जिस नियंत्रण की नीति और उत्पादन की नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार में इतना मतभेद है और जिस नियंत्रण की नीति के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों को मानने के लिये असमर्थ है तो उस राज्य में आप समझ सकते हैं कि बिजली के उत्पादन और नियन्त्रण के विषय में भविष्य में क्या होने वाला है।

आप देखें कि इस राज्य में बिजली कितनी कम मात्रा में आज हम दे पाये हैं। दूसरे मुल्कों की जब हम तुलना करें यहां की बिजली की क्षमता से तो हमें अपने इस महान् कार्य में जो हमारे सामने भविष्य के लिये है तब पता लगता है कि क्या अन्तर है। जब यह देखते हैं कि कनाडा में पर कि० वा० आवर एक व्यक्ति पीछे ३,९०५ कि० वा० पर आवर खर्च होती है। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में २,२०७ कि० वा० आवर खर्च होती है, यू० के० में १,१०० कि० वा० पर आवर खर्च होती है तो हिन्दुस्तान में केवल २५ कि० वा० पर आवर बिजली खर्च होती है। हमारे प्रदेश का तो इस सम्बन्ध में ९वां नम्बर है.....

श्री अधिष्ठाता—आप असंगत हो रहे हैं। जो विधेयक सामने है उसके ऊपर ही सीमित रहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कहां असंगत हो रहा हूं?

श्री अधिष्ठाता—मैंने आपसे बतला दिया कि आप अपने को इस विधेयक पर ही कन्फाइन रखें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं समझता हूं कि मैं बैठने के लिये तैयार हूं । मैं कहां असंगत हो रहा हूं । मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि इस राज्य में पर कैपिटा बिजली कितनी कम मिलती है । मैं तो बिजली के बारे में ही बोल रहा हूं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्वाइन्ट आफ आर्डर । वह तो असंगत है या नहीं है इसके लिये तो रूलिंग आप देंगे लेकिन इस हाउस के लिये यह बात ठीक नहीं है कि जनाब ने जब रूलिंग दे दी तो उसको उसके बाद कन्टेस्ट किया जाय । यह बहुत गलत बात है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं कन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं । मैं तो प्रोटेस्ट कर रहा हूं और इसका अधिकार मुझे है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह बिलकुल गलत है ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने निर्णय दे दिया है । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चूंकि आपने असंगत माना है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट रूप में बैठता हूं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । इस विधेयक पर जो भाषण हुये उनको मैंने सुना और मैं यह नहीं जान पाया कि एक आखिरी को छोड़कर, उनका इस विधेयक से संबंध क्या था ।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

उन्होंने गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद की बात कही यह भी कहा कि डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और स्टेटलैस सोसाइटी क्या है । बड़े-बड़े दार्शनिक तथा इकोनामिस्ट्स के नाम भी इसमें लिये गये । मैं नहीं समझ पाया कि इस छोटे से विधेयक का उनसे क्या संबंध था । अगर वह बहस आगे चलती तो मैं समझता हूं कि सूची बढ़ती हुई चली जाती । यदि मैं यह कहूं कि उस असंगत बहस में सदन का काफी समय नष्ट हुआ तो शायद अनुचित नहीं होगा । मैं इन सब बातों को छोड़कर केवल इस बात पर आना चाहता हूं कि यह विधेयक इसलिए पेश किया गया है कि इसका जीवनकाल जो ३० सितम्बर को समाप्त होनेवाला था वह २ साल के लिये बढ़ जाय । तिवारी जी ने कहा कि सन् ४७ में जब यह विधेयक पास हुआ तो उसके बाद सरकार २,२ साल के एक्सटेन्शन्स लेती आयी है और इस तरह से ४,५ एक्सटैन्शन्स उसने लिये हैं । उन्होंने बताया सरकार के सामने कोई योजना नहीं है और यदि होती तो सरकार को २,२ साल के एक्सटेन्शन्स नहीं मांगने पड़ते ।

मैं यह बात तो मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार के पास कोई योजना नहीं थी मगर यह सही है कि सरकार बिजली के संबंध में अपनी योजनाओं के टाइम शैड्यूल को मेनटेन नहीं कर सकी । पथरी और शारदा पावर हाउसेज समय से तैयार न होकर ५६ में तैयार हुये हैं। समाजवादी दल के नेता ने कहा कि २,२ साल का एक्सटेंशन मांगने में सरकार का खोखलापन दिखाई देता है मैं उसके लिये कुछ नहीं कहना चाहता हूं । उनको तो हर चीज में खोखलापन ही दिखाई देता है । सम्भव है कि सरकार को यह आशा रही हो कि २ साल में काफी बिजली पैदा हो जायगी मगर उत्पादन के अनुपात में जनता की मांग अधिक बढ़ती गई । मैं समझता हूं कि किसी भी प्रगतिशील देश या प्रदेश के लिये यह अच्छा चिन्ह है । अगर इस बात की शिकायत की जाय कि सरकार के मस्तिष्क में जो योजनायें थीं उनमें या तो इतनी कमी थी कि वह पहले से मांग को देख नहीं सकी या समय के अन्दर उनको पूरा नहीं कर सकी ।

तीसरी बात यह हो सकती है कि जितनी आशा थी उससे मांग कहीं ज्यादा बढ़ गयी । माननीय पालीवाल जी को शिकायत इस बात की हुई कई बार गांधी जी का नाम

ले लेकर उन्होंने कहा कि वे कन्ट्रोल के सिद्धान्त को नहीं मानते। जहां तक सिद्धान्त की बात है मैं भी अर्थशास्त्र के इस सिद्धान्त को मानता हूं कि जब डिमान्ड और सप्लाई बराबर से हो तो किसी कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है और किसी भी सरकार को चाहे वह गांधीवादी हो या समाजवादी हो कंट्रोल लगाने में कोई खास खुशी नहीं हो सकती। यद्यपि मुझे इस बात को सुनकर ताज्जुब हुआ माननीय समाजवादी पार्टी के नेता से कि वह ऐसे समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें कंट्रोल को कोई स्थान ही न होगा। हो सकता है एक नया इंटरप्रिटेशन समाजवाद का उनके दल के द्वारा इस देश में हो लेकिन अब तक जो भी विचार सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर रहे हैं उनमें कंट्रोल को स्थान दिया गया है कन्ट्रोल इकोनोमी के सिद्धान्त को उन्होंने माना है। हमारे देश में आज विकास का युग है हमें बहुत सी चीजों का निर्माण करना है एक प्लानिंग पीरियड से हमारा देश गुजर रहा है बहुत सी चीजों को हमें प्रायोरिटी देनी होगी और थोड़े समय के लिये कुछ चीजों पर नियंत्रण रखना भी अनिवार्य हो जायगा। तभी हमारे देश और प्रदेश का आर्थिक स्तर ऊंचा हो सकता है जब औद्योगीकरण करने के लिये हम प्रोत्साहन दें।

इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात की घोषणा इसी सदन में की थी कि जब नयी इंडस्ट्री इस प्रदेश में लगेंगी तो बहुत सी सुविधायें हम उनको देंगे उनको हम बिजली कम कीमत में देंगे। जब इस इस तरह की हमारी नीति है कि इस प्रदेश में हम नयी-नयी इंडस्ट्रीज लगायेंगे तो बिजली के डिस्ट्रीब्युशन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। इसके संबंध में यह भी एक शिकायत की गयी कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी की अन्डरटेकिंग्स हैं उनको आप नेशनलाईज क्यों नहीं करते। जहां तक मेरा ज्ञान है मैं समझता हूं कि सन् ४७ के बाद जितने भी पावर स्टेशन्स बने चाहे वह मुहम्मदपुर का हो, चाहे पथरी का हो, चाहे खटीमा का हो वह सभी सरकार द्वारा बनाये गये हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह सही है कि कुछ थोड़े अंडरटेकिंग्स ऐसे हैं जो प्राइवेट हैंड्स में हैं। मेरा अपना विश्वास है कि उनका नेशनलाइजेशन करना कोई साउन्ड और अच्छी नीति नहीं हो सकती है। हमारी सरकार के पास पैसा बहुत कम है। जिस चीज को हम नेशनलाईज करना चाहते हैं उसके लिये हमें कम्पेन्सेशन देना होगा। तो क्या जो भी हमारे पास पैसा है उससे हम इन कम्पनीज को नेशनलाईज करें अथवा नये अंडरटेकिंग खोलें? मैं समझता हूं कि दूसरी नीति ज्यादा स्वास्थ्यकर होगी।

जहां तक कि माननीय नेता समाजवादी दल का संबंध है उन्होंने तो बहुत सी भविष्य-वाणी भी कर दी और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी गैरहाजिरी में कुछ गालियां और श्राप भी उन्होंने दे दिये। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना कामयाब नहीं हुई उसी प्रकार से दूसरी भी असफल रहेगी। मैं नहीं जानता कि उनका सच्चाई से कोई वास्ता है या नहीं, लेकिन मैं उनके जवाब में केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि मुझे मेरी पार्टी और सरकार को यह विश्वास है कि जिस खूबी के साथ हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल हुई है उससे ज्यादा खूबी के साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी सफल होगी लेकिन उसका कहां तक और कितना सम्बन्ध था, इस बिल से यह मैं नहीं जान पाया। इसके संबंध में सत्ता के केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण की बात भी आयी यद्यपि उसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन यह हो सकता है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग है उसमें कमी हो। लेकिन इतना तो उनको मानना ही पड़ेगा कि विकेन्द्रीयकरण की तरफ कुछ थोड़ा बहुत कदम आगे बढ़ाया ही गया है और गांव पंचायतों और गांव सभायें उसकी जीती जागती मिसाल हैं।

एक बात और कही गयी कि सरकार ने इस विधेयक को इसलिये रखा है कि उसकी जो फेवरिटिज्म की नीति चल रही है उसको वह कायम रखना चाहती है। शायद उनका संकेत इस तरफ था कि जब इस पर सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह जिसको चाहें उसको बिजली दें और जिसको चाहें न दें

[श्री नवल किशोर]

और उसके उदाहरण में उन्होंने बतलाया कि जब कपड़े पर कंट्रोल हुआ था तो क्या सबको एक सा कपड़ा दिया गया उसका जवाब में यह भी दे सकता हूं कि सब की आवश्यकतायें एक सी नहीं होती हैं। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति बिजली मांग रहा है और जिस काम के लिये मांग रहा है उस काम को इस प्रदेश में उतनी आवश्यकता है या नहीं जितनी कि दूसरे आदमी को जो दूसरे काम के लिये बिजली मांग रहा है, आवश्यकता है। नियंत्रण का माने यह है यदि ऐसा हो सका होता जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कुछ आंकड़े दे दिये हैं कि इंगलैंड में फी आदमी इतनी बिजली खर्च होती है, कनाडा में फी आदमी इतनी बिजली खर्च होती है, हिन्दुस्तान में इतनी बिजली खर्च होती है। उनके आंकड़े सही नहीं हैं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन एक ही बात उससे सिद्ध होती है कि इस प्रदेश में बिजली की खपत बहुत कम है और वह इस बात का सबूत है कि इसका उत्पादन अभी बहुत कम है और इसीलिए कि चूंकि उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है यह सही दलील हो सकती है कि बिजली के ऊपर कंट्रोल होना चाहिये। आंकड़े से भी यही बात सिद्ध होती है। यह भी कहा गया कि इसका समय दो साल के लिये क्यों बढ़ाते हैं, एक साल के लिये क्यों नहीं बढ़ाते? मैं तो यह समझता हूं कि दो साल के लिये इसका समय बढ़ाया गया है वह भी कम है। जो वस्तुस्थिति है उससे मुझे यह विश्वास नहीं है कि दो साल के बाद यह सरकार बिजली का उत्पादन उस मात्रा में बढ़ा देगी या उस स्टेज तक पहुंचा सकेगी जब इसके कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह हमारे उत्पादन की आज प्रगति है उसको देखते हुए....।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, आपकी नोटिस में मैं लाना चाहता हूं कि माननीय वित मंत्री जो इस सदन में उपस्थित नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि वे रहें तो ठीक हो।

श्री अध्यक्ष--उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मौजूद हैं।

श्री नवलकिशोर--अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि प्रगति को देखते हुए बिजली पर कंट्रोल दो साल नहीं बल्कि अभी चार छः साल तक रखना पड़ेगा। जहां तक सन् १९१० के ऐक्ट में सेक्शन ४ को संशोधित करने की बात की गयी है, माननीय नेता सोशालिस्ट पार्टी ने यह कहा कि इसके अन्दर जो खंड (२) में संशोधन है उसका उपखंड (१) वैसे का वैसा ही रख दिया गया है जैसा कि था और उसके बाद दूसरे के अन्दर सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार ले लिया है कि जिस तरह से चाहे बिजली के जो लाइसेंसी हैं उनको आदेश दे सकती है और उसके अन्दर जो खर्च होगा वह लाइसेंसी को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो रेंट एरियर्स की तरह से वह वसूल किया जायगा। तो इसमें उनको आपत्ति है कि इस तरह से सरकार मनमाना जो चाहे आदेश दे दे और जिस तरह से चाहे उनसे पैसा वसूल करे। एक तरफ तो वे चाहते हैं कि जितनी भी अंडर टेकिंग्स है वे सब नेशनलाइज्ड हो जायं, उनका राष्ट्रीयकरण हो जाय और दूसरी तरफ यह भी हमदर्दी पैदा हुई उन व्यक्तियों के साथ जिनके कार्यों के कारण देश को काफी हानि पहुंचती है। मैं समझता हूं कि यह एडिशन जो किया गया है इसकी अति आवश्यकता है, क्योंकि इसके उद्देश्य में कहा गया है कि सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि प्राइवेट अंडरटेकिंग्स के जो स्टाक हैं वे इनएफिसिएंट हैं और ठीक से काम नहीं करते हैं या अन्य कमी हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि यह मान लिया कि अगर सरकार समझती है या बिजली का विभाग समझता है कि किसी पावर हाउस में कोई इंजिन या कोई मशीनरी आदि बदल दी जाय तो वह उससे ज्यादा एफीशिएन्ट कार्य कर सकता है और उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है तो सरकार को उसके लिए आदेश देने चाहिए और मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं दिखाई पड़ती। एक सवाल जो उधर से हुआ मैं समझता हूं बहुत उचित ही था।

श्री तिवारी जी ने उधर से यह प्रश्न उठाया कि अभी तक जो स्टाफ कैपेसिटी है क्या हम उसके अनुसार ही बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें और अगर उतना उत्पादन नहीं हो रहा है तो वह इसका कारण बतावें कि क्या है। यह भी ठीक है कि जब सन् १० के ऐक्ट के सेक्शन ७ में यह था कि हम उन लोगों को जो नियमों का उल्लंघन करें जेलखाने भेज सकते हैं और जुर्माना कर सकते हैं। तो क्या सरकार इस तरह की कोई मिसाल देकर बतायेगी कि किसी ऐसी कम्पनी पर कोई इस तरह का ऐक्शन लिया गया, मैं समझता हूं यह सवाल उचित ही है और सरकार को इसका जवाब देना ही चाहिए। यह तो जाहिर ही है कि शिकायतें आयीं इससिये सरकार बताये कि उन पर क्या ऐक्शन लिया गया। यह शिकायत भी की गई कि कहीं ८ आना यूनिट लिया जाता है बिजली की दर में और वह कहीं कम ली जाती है। तो इसके बारे में तो हमारा भी अनुभव है कि हर पावर स्टेशन का कास्ट आफ प्रोडक्शन एक सा नहीं होता, वह कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, यहां तक कि जो सरकार के अपने पावर स्टेशन हैं उनमें भी कास्ट आफ प्रोडक्शन सब जगह एक सा नहीं है। इसलिए उचित यह होगा कि जो प्राइवेट बिजली की अन्डरटेकिन्ग्स हैं उनके विषय में एक इन्कवायरी बिठाई जाय जो देखे कि उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना आता है और उसमें कितना प्राफिट वह करते हैं।

आखिर में मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम माननीय तिवारी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में जो एक एकेडेमिक बहस हो रही थी जिस तरह कि किसी कालेज या यूनिवर्सिटी में होती है उसे खत्म करके इस बिल के सम्बन्ध में कुछ बातों पर सदन का ध्यान खींचा, उससे पहले तो यहां के भाषणों से ऐसा मालूम पड़ता था कि बजाय असेम्बली के हम किसी कालेज या स्कूल में बैठे हैं जहां पर पोलिटिकल आइडियालाजीज पर बहस हो रही है और जो बहस हो रही थी उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा था। जिस तरह से कि बृटिस पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि "वह क्या नहीं कर सकती" यहां पर भी उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे समाजवादी दल के नेता "क्या नहीं कह सकते।"

अब मैं इस बात में न जाकर अन्त में केवल इतना ही कह कर खत्म करूंगा कि इस बिल की इस समय केवल इतनी आवश्यकता तो अवश्य है कि चूंकि पिछले अधिनियम की म्याद ३० सितम्बर को खत्म हो रही है इसलिए इसकी अवधि २ वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाय, मैं समझता हूं यह उचित ही है और इसके बाद जो सेक्शन ४ का संशोधन है वह भी उचित ही है क्योंकि उसके द्वारा सरकार लाइसेन्सदारों पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख सकेगी और कार्य सुचारुरूप से चल सकेगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस समय यदि हम बहुत सिद्धान्त की बहस में जायं तो बड़ा वक्त लगेगा। नियन्त्रण होना या नहीं होना चाहिये सम्भवत हम इस विधेयक के जरिये निश्चय भी नहीं कर पायेंगे। मैं माननीय पालीवाल जी का जो सर्वोदय का विचार है उस सर्वोदय के विचार से बहुत हद तक सहानुभूति रखता हूं और उसके साथ चलने की भी ख्वाहिश रखता हूं। लेकिन एक समाजवादी होने के नाते यह नहीं मैं कह सकता कि मैं सोलहो आने सर्वोदय का हामी हूं। सर्वोदय बहुत अच्छी चीज हो सकती है और बहुत सुधरे हुए समाज के लिये वह एक चलने का रास्ता हो सकती है। कन्ट्रोल की आवश्यकता उस हद तक पड़ेगी जब तक कि इतना सुधरा हुआ समाज न हो। समाज को सुधरे हुए रास्ते से ले चलने के लिये अगर कंट्रोल का उपयोग हो तो उससे किसी समाजसेवी को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु इस अवसर पर यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि हमारे देश में जब नियन्त्रण की प्रथा आती है तो उसके साथ-साथ और भी कई बुराइयां आती हैं। किसी भी सार्वजनिक काम करने वाले के लिये इस तरह का संदेह होना और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उसके बारे में उसकी अपनी दलीलों को रखना यह भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार बिजली के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था रही है पिछले वर्षों में उससे यदि कोई यह कहता है कि सरकार पूर्णतः सफल नहीं रही तो इसमें कोई मेरी भी दो राय नहीं हैं। मैं भी ऐसा समझता हूं नारायणदत्त जी ने कुछ उत्पादन के आंकड़े आपके सामने रखे और मैं यह कहने को तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश एक मर्तबा अपना हृदय टटोल कर देखें, यहां की सरकार देखें कि क्या वह बिजली का उत्पादन करने में मद्रास की सरकार, आन्ध्र की सरकार के मुकाबिले में कितना पीछे है। अगर मद्रास या दक्षिण भारत या दूसरे प्रदेश बिजली का उत्पादन आजाद होने के बाद उत्तर प्रदेश से कई गुना अधिक कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता। वह कौन सी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश बिजली का उत्पादन करने में पीछे है। वे कठिनाइयां अगर सदन को मालूम हो सकें तो सदन उन कठिनाइयों का सामना करे और हम सरकार को कुछ सुझाव दे सकें कि उन कठिनाइयों का यह हल हो सकता है लेकिन सरकार हमारे सामने उन कठिनाइयों को नहीं रखती है। मुझे अफसोस है कि नारायणदत्त जी ने जो अभी यह ख्वाहिश की थी जिस प्रकार उपभोग होता है सारे सूबों में उन आंकड़ों को भी रखें। मैं पूरा आदर रखते हुये अपने बुजुर्गों के प्रति यह जरूर कहना चाहता हूं वह कहना इर्रेलीवेंट नहीं था। हमारे सूबे में.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह उचित न होगा कि वैयक्तिक कोई टीका हो।

श्री गेंदासिंह—उस पर अलग से मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता था। मैं नहीं कहूंगा। लेकिन वह उपभोग किस प्रकार किस सूबे में होता है कितना उपभोग कितनी यूनिट्स का उपभोग और सूबे की जनता करती है प्रति यूनिट उसकी तुलना अगर हम करें तो हमारे लिये कुछ सबक की चीज होगी। उससे हम कुछ अपना काम चला सकेंगे। तो मैं उस बात को छोड़ के यह तो सरकार के पास आंकड़े मौजूद हैं और मैं भी रख दूंगा कि दूसरे सूबों से हम बहुत पीछे हैं। तो जब हम पैदा नहीं करेंगे तो उपभोग भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ जलाने की बिजली ही नहीं चाहिए बल्कि वह पानी निकालने के लिये ट्यूबवेल्स में चाहिए, वह तिजारती काम के लिये बिजली की जरूरत है हर जगह जो अभाव है और उस अभाव को दूर करने के लिये जब कभी सरकार इस तरह के नियंत्रण का कोई विधेयक सदन में लेकर आवे तो उसे अपने पूरे नक्शे को रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आज देश में इतनी आवश्यकता है, हम इतना उत्पन्न करने में सफल रहे और इससे ज्यादा हम उत्पन्न इन कारणों से नहीं कर सकते। इसलिये हमको नियंत्रण की आवश्यकता है तो सदन उस पर ठीक से विचार कर सके। यह बात जब सरकार नहीं करती है तो फिर अन्धेरे में हमको टटोलना पड़ता है और उस अन्धेरे में टटोलने में लेकिन इतनी बात बड़ी स्पष्ट है हमारे सामने कि बिजली की कमी है। यह सरकार भी स्वीकार करती है, हम भी स्वीकार करते हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं कि कमी है। अब उस कमी को किस तरह से पूरा किया जाय, इसमें दो रायें हैं। हम कहना चाहते हैं नारायणदत्त जी भी कहते या और दूसरे लोग भी इस बात को पेश करते। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि सरकार पहले इस कठिनाई का जबाब दे अपनी कठिनाई बतावे कि सारे सूबे भर में जो वह बिजली का कारोबार है उसको सरकार को अपने हाथ में ले लेने में क्या दिक्कत है। मैं यह कहता हूं कि उसको ले लेना चाहिये और अगर सरकार उस बिजली के कारोबार को अपने हाथ में ले ले तो अध्यक्ष महोदय, कुछ करोड़ों रुपये का उससे मुनाफा हो सकता है।

मुझे याद नहीं पड़ता है, हमारे एक माननीय सदस्य निहालुद्दीन साहब रहे हैं इस सदन में कुछ दिन पहले। माननीय निहालुद्दीन साहब ने एक अपनी स्कीम दी थी गवर्नमेंट को। उस स्कीम में मुझे याद है कि उन्होंने यह कहा था और अभी जब बिक्री-कर लगा तो उन्होंने एक चिट्ठी मुझे दी कि सरकार और सारे साधनों को छोड़कर केवल बिजली को अपने हाथ में कर ले, सारे कारोबार को तो उससे कई करोड़ रुपये, मुझे निश्चित याद नहीं पड़ता

कई करोड़ रुपये का मुनाफा होगा जिससे कि बिक्री कर लगाने की आवश्यकता नहीं रह जायगी और अगर सरकार यह समझती है कि सरकारी नियंत्रण में आ जाने के बाद जो निजी कारखाने हैं निजी तौर पर जो चल रहे हैं, वह ज्यादा एफिश्येंट काम करते हैं ज्यादा पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं तो फिर इसमें क्या दिक्कत है कि वह उन कारबारों को अपने हाथ में ले। हम मानते हैं कि सरकार यह कह सकती है कि उसको योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है और धन की भी कमी की बात कही जा सकती है। लेकिन कहीं पर तो किसी काम में तो सरकार धन की कमी को भी जीतने की बात सोचे। बिजली को ही हम समझ लें कि अगर हम उससे कुछ करोड़ रुपये मुनाफा कर सकते हैं और हम जनता की जरूरतों में भी कुछ ज्यादा मददगार हो सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि निजी लोग हैं, तो हमें अवश्य उस काम में आगे बढ़ना चाहिये। एक बात जरूर हो सकती है कि सरकार का आत्मविश्वास कम हो। सरकार के काम करने के ढंग में इतनी गलती हो कि उससे उसे डर लगता हो और यह बात सही है।

अध्यक्ष महोदय, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में सरकार इतनी नाकामयाब हुई कि जब कभी हम चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की बात की चर्चा करने लगते हैं तो वह हमको गाली देना शुरू करती है कि यह तो सरकार को गाली देना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार की जो उसकी नेशनलाइजेशन की पालिसी है उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसी बात कभी नहीं करना चाहता हूं। मैं चुर्क की बात जब कभी शुरू करता हूं तो इसलिये शुरू करता हूं कि राष्ट्रीयकरण का जो अपना एक सपना है वह सपना पूरी तरह से सफल हो, साकार हो। उसमें जो कमी है वह दूर हो जाय। उसका उत्पादन बढ़े। उसकी जो लागत है वह कम हो जाय उत्पादन की। और वह उपभोक्ता जो है वह दूसरे सीमेंट से कम कीमत में उस सीमेंट को हासिल कर सकें, उनको बढ़िया सीमेंट मिल सके, यह हमारी नीयत है। हमारी नीयत का दूसरा अर्थ लगाया जाता है। यही बिजली के बारे में हमारी राय है कि दूसरे जो सरकारी कारखाने हैं, पावर हाउस हैं, जितनी बिजली सरकार दूसरे लोगों को देती है उसको इतनी क्षमतापूर्वक चलाना चाहिये, कुशलतापूर्वक चलाना चाहिये कि दूसरे के कारखाने के मुकाबले में, पावर हाउस के मुकाबले में हमारे पावर हाउस ज्यादा कारगर साबित हों, सस्ते दामों में हम बिजली दे सकें, लोगों को दिक्कत न खड़ी हो, लोगों की सुनवाई ज्यादा हो सके, उसके कर्मचारी जो हैं वह दूसरे के पावर हाउस से, दूसरे के कारखानों से ज्यादा सुविधा प्राप्त कर सकें, उनकी सुनवाई ज्यादा हो सके। अगर ये बातें हो जाती हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को कोई नाकामयाब नहीं कह सकता। लेकिन मुझे कुछ निजी तौर पर है जानकारी कारखानों के बारे में। पिछले वर्ष चन्दौसी में बिजली के कारखानों के मजदूरों की एक कानफ्रेंस हुई। अशोक मेहता साहब को उन लोगों ने अपनी कांफ्रेंस की सदारत करने के लिये बुलाया। इस सूबे के बिजली के कारखाने के जितने कर्मचारी थे उनकी सारी शिकायतें अशोक मेहता साहब ने सुनीं। उनको सुनने के बाद में भी इस नतीजे पर पहुंचा कि सरकार का ध्यान इस तरफ बहुत कम है हमारा भी ध्यान बहुत कम है। हम चर्चा करते हैं, और मजदूरों की चर्चा कर लेते हैं, और कारखानों की चर्चा कर लेते हैं लेकिन बिजली की चर्चा या तो बजट सेशन पर हम करते हैं या जब कोई नियंत्रण या विनियंत्रण का कोई विधेयक आवे। इसके बाद या इसके पहले कोई चर्चा हम नहीं करते।

हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या बिजली के कर्मचारियों को, सरकारी कारखानों में जो काम करते हैं, उनको असंतोष नहीं है? मुझे गोरखपुर के कर्मचारियों के बारे में मालूम है कि वहां घोर असंतोष है, प्रमोशन के काम में, वेतन के सिलसिले में, उनकी छुट्टियों के सिलसिले में कानून जो बने हुये हैं नौकरी वगैरह के इन सारी चीजों में बड़ा

[श्री गेंदासिंह]

असंतोष है। जब सरकारी कारखाने के कर्मचारियों में ही असंतोष है तो उत्पादन कैसे होगा? और जब उत्पादन नहीं होगा तो हम उपभोक्ताओं को बिजली नहीं पहुंचा पायेंगे, हमारे ट्यूबवेल बेकार होंगे।

ट्यूबवेल के संबंध में हमारी जानकारी है कि जहां कारखाने हम डिजिल आइल से चलाते हैं तो बिजली महंगी पड़ती है और बिजली से चलाते हैं तो सस्ती पड़ती है। आखिर ये ट्यूबवेल्स बिजली क्यों नहीं पाते? कभी किसी जमाने में यह चर्चा हुई थी कि गोरखपुर में एक पावर हाउस बनेगा जिसमें ५०० ट्यूबवेल्स जो लगाये जायेंगे उन सभी को बिजली दी जायगी। पावर हाउस बन चुका है, लेकिन गोरखपुर में उन ५०० ट्यूबवेलों को बिजली मिलती है? नहीं मिलती है। आखिर सरकार यह भी तो बताये कि यह कंट्रोल करने की जो जरूरत है उसमें क्या ट्यूबवेल को भी बिजली देने की आवश्यकता उनको है? कितने को बिजली देते हैं और कितनों को नहीं देते हैं? क्या जरूरत उनको पड़ती है कि उसको हम कंट्रोल रखें? यह बात मैंने मोटे तौर पर, जो मेरी जानकारी है, मैंने निवेदन किया। सरकार के सुझाव के लिये कुछ मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं जानता हूं कि सरकार दो वर्ष के लिये पावर चाहती है। मिलेगी पावर। पावर लेने के लिये पावर उसको मिल जायगी इस सदन से, इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारी दिक्कत सरकार रफा कर देगी या नहीं, यह बड़ी बात है, और सबसे पहले मैं बिजली उत्पादन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। मैं धर्मसिंह जी को और हमारे श्रम मंत्री जी बैठे हुये हैं उन सब लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह बिहार में चले जायं और जाकर देखें दामोदर घाटी योजना के अगल बगल में कि कितने किलोवाट बिजली उन्होंने पैदा किया दामोदर घाटी योजना से। दक्षिण भारत में अगर बिजली बढ़ी है तो अध्यक्ष महोदय, उसका कारण है। मैं बिलकुल एग्जेक्ट फिगर न बता सकूं मैं तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो पिछली बड़ी-बड़ी योजनायें और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बने उनमें पौने नौ अरब रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च हुआ और उनमें से सिर्फ शारदा प्रोजेक्ट पर १२ करोड़ रुपया के करीब जो खर्च हुये वह यू० पी० को सेंटर से मिले और ४० करोड़ रुपया जो रिहेंड पर खर्च हुये वह मिले। अब रिहन्ड से कुछ बिजली पैदा करने की योजना बनाई है, शारदा से पैदा की है। अब जब कि ५०-५५ करोड़ रुपया पौने नौ अरब में से खर्च होता है तो बिजली ज्यादा कैसे पैदा होगी। श्रीमन्, इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें तो उस तरफ का कसूर है। एक तरफ तो नदी का पानी हम लोगों को तबाह करता है और दूसरी तरफ वह समुद्र में चला जाता है। इस पानी को हम नियंत्रित करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अरबों रुपया लगेगा लेकिन हम सूखा के जमाने में गरीब किसानों तक पानी पहुंचा सकते हैं और प्रोजेक्टों के लिये बिजली पैदा कर सकते हैं, और सूबे में पहुंचा सकते हैं। क्या इस योजना का काम गोमती, राप्ती, घाघरा, बड़ी गंडक और कोसी से नहीं चल सकता है। इनके पानी से हम लाखों किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं दो तीन काम कर सकते हैं। एक तो पानी को नियंत्रित करके सूखा के जमाने में उन किसानों तक पानी पहुंचा सकते हैं जो कि सूखा में बरबाद होते हैं और छोटे-मोटे धंधे पनपाकर गांवों को सुखी कर दें, बिजली से। अब सवाल आता है कि रुपया कहां से आयेगा। इसके लिये बैठने की जरूरत है और इस समय हम कोई टैक्सेशन पालिसी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं कि अभी हमारे यहां एक अंग्रेजी विशेषज्ञ आया और उसके यह काम सुपुर्द हुआ कि वह अपनी राय हमें दे कि रुपया कहां से आये।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस अंग्रेज का नाम भूल रहा हूं। शायद उनका नाम कौरीडर था। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया तो टैक्सों में छिपा लिया जाता है। उसकी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है। मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का उसमें कितना हिस्सा होगा। श्रीमन्, मैं उस रिपोर्ट को देखना चाहता हूं कि उसमें हमारे प्रदेश का कितना हिस्सा होगा? ऐसे उपयोगी कार्य के लिये यदि सरकार कर्जा ले तो सरकार दिवालिया नहीं हो सकती है और सरकार को कर्जा मिल सकता है। तो फिर सीधी-सादी बात यह है कि सरकार में साहस की कमी है। अगर मैं कहूं कि सरकार बेढंगे

तौर से काम करती है तो धर्मसिंह जी मुझे क्षमा करेंगे। मैं उनसे उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि वह नौजवान आदमी हैं और वह दौड़ेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितने दिनों से वह बिजली के मंत्री हैं, उन्होंने बिजली के कारखाने के मजदूरों की कभी शिकायतें भी सुनी हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों में बैठकर बात करना अपमान की बात है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब का फर्ज होना चाहिये और सरकारी कारखाने के छोटे-छोटे कर्मचारी का संबंध उनसे होना चाहिये और उसकी तकलीफों को सुनना चाहिये। यदि ऐसा हो जाय तो जो आज उत्पादन हो रहा है वह बढ़ेगा और फिर उस पर नियंत्रण भी कम से कम हो सकेगा।

दूसरे जो निजी कारखाने वाले लोग हैं, मुझे डर यह लगता है कि सरकार की मशीनरी ऐसी है कि किसी के साथ फेवर होती है तो भी जनता के साथ ज्यादती होगी और अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तब भी जनता के साथ ज्यादती होगी। हर तरह से उपभोक्ताओं की मुसीबत आती है। सरकार इस स्केअरसिटी इकोनामी को दूर करना चाहती है या नहीं। क्या सरकार इसको कायम रखना चाहती है। क्या सरकार कह सकती है कि दो वर्ष के बाद बिजली की स्केअरसिटी नहीं रहेगी। दो वर्ष की मियाद बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की स्केयरसिटी नहीं रहेगी यह कहने का साहस अगर माननीय वित्त मंत्री जी करें तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों की कम शिकायत रह जायगी। और उसी सिलसिले में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रख कर कहें जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा कि किस मुल्क में कितना कन्ज्यूम होता है। वे कोई हमारी फीगर्स नहीं हैं, वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट की दी हुई फीगर्स हैं। उन फीगर्स को एक बार नहीं, दो बार गौर से देखा जाय और देख कर अपने सूबे की अवस्था कब तक उस तरह की हो जायगी, दूसरे सूबों से भी तुलना करके और एक आदर्श व्यवस्था अगर हम न कर पायें तो क्या एक काम चलाऊ व्यवस्था इन दो वर्ष के बाद कर पायेंगे, इस बात की तो कम से कम गारंटी सरकार को देनी चाहिये।

मैं विधेयक पर अपने मत को इस तरह से व्यक्त करते हुये, समझता हूं कि उस मुख्य सवाल पर सरकार को खामोश नहीं रहना चाहिये और मैं बार-बार कहता हूं कि अगर सरकार इस तरह का काम करे जिससे बिजली का उत्पादन बढ़े और बड़े प्रोजेक्ट को चलाने की कोई बात सोचे तब इस तरह की मियाद वगैरह बढ़ाने की बातें हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और मुझको खुशी है कि राप्ती पर नियंत्रण करके वहां से कुछ बिजली पैदा की जायगी और सूखे में भी फसलों को पानी मिल सके इसकी व्यवस्था की जायगी लेकिन बाकी जगहों को भी ध्यान में रखना चाहिये। और मजदूरों की शिकायतों को रफा करना, जो बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक है, उसके लिये सरकार ने क्या किया है। सरकार इन सब चीजों का अगर निराकरण करती तो मैं समझता हूं कि उसे इस विधेयक को पास कराने में ज्यादा सहायता मिलती।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस इलैक्ट्रिसिटी के छोटे से बिल पर आज सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। वास्तव में बिल तो बहुत छोटा है लेकिन जो उसके अन्दर सिद्धान्त निहित हैं वह बहुत बड़ा है। इसलिये सदन ने आज इस पर पूर्ण रूप से विचार किया है और सरकार ने भी और आपने भी लोगों को विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, क्योंकि कोई क्लोजर नहीं मूव किया गया।

यह छोटा सा बिल एक तो यह चाहता है कि दो साल का एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोल पर दे दिया जाय और जो लाइसेन्सी ठीक ढंग से बिजली का उत्पादन नहीं करता है और लोगों को ठीक से बिजली नहीं देता है उसके लिये सरकार को कुछ और

[श्री जोरावर वर्मा]

अधिक शक्ति दी जाय। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो यह कंट्रोल शब्द है यह तो पूज्य बापू ने जिस समय सन् १९४७-४८ में कंट्रोल करीब-करीब जीवन के सभी अंगों पर था तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और कहा कि कंट्रोल शीघ्रातिशीघ्र हटाये जायं और माननीय जवाहरलाल जी ने और माननीय सरदार पटेल जी ने बहुत जल्द उनकी इस मांग पर कार्रवाई की और कंट्रोल को हटाया। इस सम्बन्ध में हम उस समय के अन्न मंत्री स्वर्गीय किदवाई साहब को नहीं भुला सकते हैं जिन्होंने देश का दौरा करके, अथक परिश्रम करके थोड़े से टाइम में यह दिखा दिया कि कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार का एक सदस्य भी प्रयत्नशील रहे तो कोई कंट्रोल की आवश्यकता ही न हो। लेकिन जब सरकार सतर्क नहीं रहती है और काम ठीक ढंग से नहीं करती है तो उसको कोई न कोई आड़ तो चाहिये ही। यह दो साल का समय क्यों लिया जा रहा है। हर दूसरे साल इस प्रकार के बिल आते हैं और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार ने पहले चार ६ बार इस प्रकार के टाइम लिये। अगर सरकार यह नहीं समझ पाती कि हम जितनी बिजली की आवश्यकता है उसको कितने समय में पूरा कर लेंगे और लोगों तक पहुंचा देंगे तो क्यों नहीं वह अनिश्चित समय के लिये इसको पास करवा लेती। लेकिन सरकार तो इस प्रकार के पोसनोल लेजिस्लेशंस रोज रोज ले आती है।

कल ही हमारे सामने इस प्रकार के कई बिल आये। अगर सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क रहे तो इस प्रकार के बिलों के लाने की आवश्यकता न पड़े और न सदन का समय ही खराब हो। सरकार यह कंट्रोल शायद इसलिये कंटीन्यू करना चाहती है जिससे जनोपयोग कार्य हो सके और जिन्हें बिजली की आवश्यकता हो उन्हें पहुंचाई जाय, लेकिन हमारा पिछला अनुभव यह बतलाता है कि सरकार अपने मंतव्य में सफल नहीं हुई है। वास्तव में जिन लोगों को आवश्यकता है उनको बिजली नहीं मिलती। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो पिछली पंचवर्षीय योजना में टारगेट बनाया था कि कितनी बिजली पैदा करेंगे और कितने-कितने लोगों को कहां-कहां देंगे क्या वह पूरा हुआ।

मैं बुन्देलखंड का एक नमूना आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं। अभी इस साल जो बिजली की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें २६ नगरों को सन् १९५६ तक बिजली दे देने की बात कही गई, लेकिन मेरा अनुमान है कि सन् १९६० तक भी शायद वे दे न पावें। माताटीला बांध के लिये भी कहा गया है कि वहां भी बिजली पैदा करेंगे और वहां से पूरे बुन्देलखंड में बिजली फैलायेंगे। लेकिन मैंने सुना है पता नहीं कहां तक सही है कि शायद सरकार इस स्कीम को वापस लेने वाली है और अगर यह है तो यह बात भी सही है कि सरकार जो भी व्यवस्थायें इस सदन से पास करवाती है उस पर वह काम नहीं कर पाती है। इस प्रकार की भावना लोगों में पैदा होगी कि इससे तो अच्छा है कि यह गवर्नमेंट ही मिट जाय, क्योंकि जब सरकार जनता से इस प्रकार की आशायें दिला कर वोट लेती है और गवर्नमेंट बनाती है कि हम इस क्षेत्र के लिये क्या-क्या कार्य करेंगे और वह न्याय नहीं कर पाती तब तो इसका मिट जाना ही अच्छा है। हम तो यह देखते हैं कि जहां पहले बिजली थी उन्हीं स्थानों पर और भी बिजली दी गई और जिनके पास बिजली थी और उनका अगर एक बिजली की चक्की का कारखाना चलता था तो उसको और भी बिजली दी गई कि वह और भी बड़े-बड़े कारखाने चालू कर लें। तो सरकार की इस प्रकार की जो नीति है वह बहुत अनुचित है और मैं समझता हूं कि सरकार चाहे जो भी उद्देश्य इस कंट्रोल करने के लिये हम लोगों के सामने रखे लेकिन हमारे सामने एक उद्देश्य यही दिखलाई पड़ता है कि इस प्रकार के कानून बनवाकर के सरकार अपने कुछ इने गिने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं परसों एक किताब पढ़ रहा था फासिज्म-अधिनायकवाद उस समय मेरे सामने एक नकशा आया था कि यह सरकार एक पार्टी और उसके कुछ

इने-गिने लोगों के लिये सरकारी साधनों का उपयोग करने के लिये इस प्रकार के कार्य करती है। आज मैं देहातों में और शहरों में भी देखता हूं कि हर जगह यही भावना प्रतिपादित हो रही है कि सरकार आम जनता के लिये जिन स्कीमों को बनाती है, सदन में जो स्टेटमेंट्स देती है और बाहर भी जो स्टेटमेंट्स दिये जाते हैं उनमें जो कुछ कहती है उनको वह कभी कार्यान्वित नहीं कर पाती। तो यह जो बिल हमारे सामने आया है उसके लिये हम किस तरह से कहें कि यह बिल ठीक है और हम चाहते हैं कि इसको पास किया जाय। इसलिये हम लोगों के लिये उचित होता है कि हम इस प्रकार के बिलों का विरोध करें, क्योंकि इससे जनहित नहीं होता है बल्कि जो पब्लिक मनी है, जो पब्लिक की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसका दुरुपयोग होता है और सरकार ने अब जो हम लोगों के सामने पंचवर्षीय योजना भी रखी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो रखी उसमें आंकड़े तो बहुत आकर्षित दिये गये हैं, लेकिन हमारी पिछले टाइम की जो योजना है यदि हम उसको देखें तो यह पायेंगे कि वह बहुत हद तक असफल रही है और इसलिये निराशा हो रही है कि जो अगली पंचवर्षीय योजनायें हैं बिजली और दूसरे विभागों की या जीवन के दूसरे अंगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जो बनाई गई हैं, मैं समझता हूं कि वह भी सफल नहीं होंगी। इसलिये माननीय पालीवाल जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं मैं उनका समर्थन करता हूं कि सरकार को इस प्रकार के बिल को वापस लेना चाहिये और वह इसलिये कि इससे जनता का कोई हित नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और बोलेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो अब आप कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ सितम्बर, १९५६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर।)

STATEMENT OF CANE CESS SHOWING OUTSTANDING AS ON AUGUST 1, 1956

Sl. no.	Name of district	Name of factory	Amount of cane cess outstanding as on August 1, 1956: In respect of the previous season	In respect of the season 1955-56	Outstanding of columns 4-A and 5
1	2	3	4	5	6
					Rnpees in lacs
1	Gorakhpur ..	Sardarnagar	4·97	9·49	14·46
		Pipraich	2·60	4·16	6·76
		Ghughli -	..	2·86	2·86
		Siswabazar	3·43	..	3·43
		Pharenda	3·80	..	3·80
2	Deoria ..	Purtabpur	..	2·65	2·65
		Baitalpur	..	3·26	3·26
		Gauribazar	..	..	..
		Deoria	..	3·95	3·95
		Captainganj ..	.	4·65	4·65
		Khadda	6·52	2·97	9·49
		Chhitauni	..	3·37	3·37
		Lakshmiganj ..	1·60	3·32	4·92
		Ramkola (K) ..	2·13	3·81	5·94
		Ramkola (P) ..	..	5·27	5·27
		Padrauna	5·58	1·47	7·05
		Kathkuiyan	8·34	1·56	9·90
		Seorahi	..	1·01	1·01
3	Basti ..	Munderwa	2·47	1·86	4·33
		Basti	..	2·47	2·47
		Walterganj	..	1·12	1·12
		Khalilabad ..	..	2·09	2·09
4	Gonda ..	Babhnan	..	2·47	2·47
		Nawabganj	..	4·18	4·18
		Balrampur	..	1·67	1·67
		Tulsipur ..	..	2·19	2·19
5	Bahraich ..	Jarwal Road ..	1·56	5·70	7·26
6	Bara Banki ..	Burhwal	..	3·88	3·88
		Bara Banki	..	6·04	6·04
7	Sitapur ..	Biswan	..	6·17	6·17
		Hargaon	..	19·74	19·74
		Maholi	·95	6·53	7·48
8	Jaunpur ..	Shahganj	..	2·66	2·66
9	Faizabad ..	Masodha	..	2·77	2·77
10	Hardoi ..	Hardoi	..	11·65	11·65
11	Kheri ..	Aira	..	5·91	5·91
		Gola	..	17·32	17·32
12	Shahjahanpur	Rosa	..	6·56	6·65

1	2	3	4	5	6
13	Bareilly ..	Bareilly	7·81	8·79	16·60
		Baheri	..	10·67	10·67
14	Pilibhit ..	Pilibhit	13·14	13·25	26·39
15	Bijnor ..	Seohara	·10	21·66	21·76
		Bijnor	1·88	13·27	15·15
		Dhampur	14·52	9·31	23·93
16	Dehra Dun ..	Doiwala	1·30	3·87	5·17
17	Saharanpur ..	Deoband	..	10·32	10·32
		Lhaksar	..	11·38	11·38
		Saharanpur ..	1·26	11·19	12·45
		Iqbalpur	1·66	9·33	10·99
		Abdullapur	..	3·38	3·38
18	Muzaffar nagar	Mansurpur ..	..	15·88	15·88
		Khatauli	..	10·95	10·95
		Rohanakalan ..	..	11·24	11·24
		Shamli	..	12·13	12·13
19	Meerut ..	Sakotitanda	..	6·59	6·59
		Daurala	..	5·98	5·98
		Mowana	..	6·65	6·65
		Jaswant	..	8·63	8·63
		Mohiuddinpur ..	..	6·04	6·04
		Modinagar ..	..	5·32	5·32
		Simbhaoli	..	6·95	6·95
20	Bulandshahar	Panninagar	1·54	7·00	8·54
21	Naini Tal ..	Kashipur	·93	7·58	8·51
22	Etah ..	Neoli	..	7·25	7·25
23	Moradabad ..	Amroha	3·82	13·74	17·56
		Bilari	2·16	10·70	12·86
24	Rampur ..	Rampur	·20	13·74	13·94
		Total ..	87·04	456·80	543·84

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

विकास अन्वेषणालय द्वारा प्रकाशित किये गये प्रकाशनों की सूची

१—इक्सटेन्सन सेक्शन—

(१) गाइड रूरल यूथ आर्गेनाइजेशन

(२) ग्राम युवक संगठन की रूपरेखा (हिन्दी)

(३) युवक गीत माला (हिन्दी)

(४) युवक ज्ञानमाला बुकलेट्स जो हिन्दी भाषा में छपी है। (इनकी कीमत एक आना एक प्रति के हिसाब से है जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन आफिसर तथा डेवलपमेंट वर्करों से मिल सकती है, अगर इनकी ज्यादा तादाद में जरूरत हों तो युवक ज्ञानमाला बुकलेट्स हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, पी० बी० ७० ज्ञानवापी, वाराणसी से प्राप्त की जा सकती हैं।)

(१) टमाटर	(२) बैंगन	(३) मक्का
(४) बरसीम	(५) गेहूं	(६) आलू
(७) मटर	(८) भिन्डी	(९) पपीता
(१०) प्याज	(११) पात गोभी	(१२) पेड़ लगाओ
(१३) गुलाब का बछरा	(१४) भूमि का बचाव	(१५) मुर्गी पालना
(१६) प्राथमिक चिकित्सा	(१७) आसपास की सफाई	(१८) जादू की वंशी
(१९) वीर अभिमन्यु	(२०) फूल गोभी	(२१) हमारा भोजन
(२२) चना	(२३) बकरी पालन	

(५) वार्षिक लेखा पुस्तक, युवक मंगल दल (हिन्दी)।

२—कोआपरटिव सेक्शन—

(१) इन्टेग्रेटेड कोआपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

(२) कोआपरेटिव मेम्बर एजूकेशन प्रोजेक्ट

(३) सहकारिता पाठमाला (टेन लेसन्स हिन्दी में कोआपरेटिव मेम्बर एजूकेशन के वास्ते)।

(१) सहकारी समिति प्रजातांत्रिक है

(२) व्यवस्थित बैठकें।

(३) चुनाव

(४) मतभेद और आपसी झगड़े—उन्हें कैसे दूर किया जाये

(५) सदस्य समिति में संयुक्त अधिकारी हैं

(६) पूंजी सेवक है स्वामी नहीं

(७) सहकारी समितियों द्वारा व्यापक स्वामित्व

(८) सरकार भी आपके सहायता के लिये

(९) आप अपने उपनियमों को तो जानिये (१)
(१०) आप अपने उपनियमों को तो जानिये (२)
(४) कोआपरेटिव बुकलेट्स (हिन्दी)--
(१) सहकारिता जिन्दाबाद,
(२) अब हम अपने ही से उधार लेते हैं।
(३) हम चुनाव किसका करें।

३--इन्डस्ट्रीज सेक्शन--

(१) पाइलट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग,
(२) पाइलट प्रोजेक्ट पपाइन इन्डस्ट्री,
(३) पाइलट प्रोजेक्ट पोटरी,
(४) पाइलट प्रोजेक्ट स्माल स्केल प्रोडक्शन आफ क्रिस्टल सुगर।

४--साइल कन्जरवेशन सेक्शन--

(१) पाइलट प्रोजेक्ट साइल कन्जरवेशन (साइक्लोस्टाइल्ड),
(२) नदी के बहाव में (हिन्दी),
(३) पट्टियों में खेती।

५--लाइब्रेरी--

(१) क्लासीफाइड कैटेलौग आफ पी० आर० ए० आई० पार्ट--१
(२) क्लासीफाइड कैटेलौग आफ पी० आर० ए० आई० पार्ट--२

६--सेकेन्ड फाइव यिअर प्लान सेक्शन--

(१) प्लान फ्रेम आफ सेकेन्ड फाइव यिअर प्लान (इंगलिश),
(२) उक्त का हिन्दी अनुवाद।

७--मिसलेनिअस--

(१) फर्स्ट एन्युवल रिपोर्ट आफ पी० आर० ए० आई० १ मई, १९५४ से ३० अप्रैल, १९५५ तक।
(२) प्लानिंग रेसर्च और एक्शन इन्स्टीट्यूट--फंकशन्स और आर्गेनाइजेशन।

८--ओडिओ भिसुअल एड्स--

(१) मेन्गोट्री--सेट आफ पांच कार्ड आन कोआपरेशन,
(२) कोआपरेटिव वुल--ए फ्लेनेलग्राफ आन कोआपरेशन,
(३) कोआपरेटिव ह्वील--ए फ्लेनेलग्राफ आन कोआपरेशन,
(४) कैलीब्रेशन आफ निक्को सीड ड्रिल--ए फर्मास्ट्रिप।

पी० यए० यू० पी०--ए० पी०--१८५ एल० ए०--१९५६--७९६।